Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक २] द्वितीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९६२ का ६ठा दिवस [संख्या ५

सोमवार, दिनांक १५ अक्टूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजनीति, उद्योग, आबकारी, राजस्व, वित्त, सामान्य प्रशासन, शिक्षा, कृषि, विक्रय-कर, सहकारिता, खनिज, देवस्थान, कर एवं जागीर विभाग]

भरतपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

१३०. **श्री रामकिशन (वैर)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या भरतपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को कोई सहायता दी गई है ? यदि हां, तो कितनों को और क्या क्या ?

(२) क्या सरकार उन राजनीतिक पीड़ितों को कोई सहायता देने का इरादा रखती है जिन्होंने अभी तक सरकार को आवेदन-पत्र नहीं दिया है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :

(१) जी हां, भरतपुर जिले के २२ राजनीतिक पीड़ितों को सहायता दी गई है । उसकी सूची संलग्न है ।

(२) उनके आवेदन-पत्रों पर अभी भी विचार किया जा सकता है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामकिशन : जिन लोगों को सहायता दी गई उसका क्या आधार है ? क्या उन्होंने राजनीतिक आन्दोलनों में नुकसान उठाया है इसलिए दी गई है या ऐसे ही ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिए पूरे नियम बने हुए हैं उसके अनुसार जांच करने के बाद ही दी जाती है ।

श्री रामकिशन : जैसा आपने फरमाया कि आवेदन-पत्रों पर अभी भी विचार किया

Page No. 2

(श्री रामकिशन)

जा सकता है उसके लिये कोई अन्तिम तिथि मुकर्रर की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आखिरी तिथि कोई निश्चित नहीं है। आवेदन-पत्र आते हैं उन पर नियमों के अनुसार विचार करके सहायता दी जाती है।

श्री रामकिशन : अभी भी क्या आवेदन पत्र विचाराधीन है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आवेदन-पत्र आते ही रहते हैं, मीटिंग्ज़ होकर उस पर फैसला होता रहता है। इस समय भी विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या १३१

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

पापड़ खार बनाने का ठेका-तहसील आमेर

१३२. **श्री रामकिशन (वैर) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि तहसील आमेर (जयपुर) के कालाडेरा, मुन्डया गीनोई, कानरपुरा, निवाना, धोवलाई, वलेखन क्षेत्र में पापड़ खार बनाने का ठेका नीलाम करने के लिये सरकार ने तारीख २६-३-६२ निश्चित की थी ?

(२) यदि हां, तो क्या यह ठेका हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सत्य है कि सरकार ने उक्त ठेका बिना नीलाम के ही पहले वाले किसी ठेकेदार को दे दिया है ?

(४) यदि हां, तो किस आधार पर और कितने रुपयों में ?

(५) क्या किसी और ठेकेदार की तरफ से सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र मिला था जिसमें बढ़ती रकम में ठेका लेने को कहा गया था ?

(६) यदि हां, तो उस दर्ख्वास्त पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उप मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद):

(१) हां, नीलाम की मूल तिथि १३-३-६२ थी परन्तु किसी की बोली न लगने पर २६-३-६२ निश्चित की गई।

(२) बोली न लगाने के कारण पिछले ठेके की अवधि बढ़ा दी गई।

(३) ठेका पहले वाले ठेकेदार को ३० जून, १९६२ तक दे दिया गया।

(४) क्योंकि इनकी बोली पहले वाले ठेके में सबसे ज्यादा थी और जिला उद्योग अधिकारी की रिपोर्ट के मुताबिक इस रकम से ज्यादा रकम आने की संभावना नहीं थी। इनका ठेका निम्नलिखित रुपयों में दिया गया :—

(अ) धिनाई चरागाह सवाई चक रु० ५,१०१ सालाना।

(ब) कालाडेरा, मंडिया साहब रामपुरा, बीसा इत्यादि रु० २,८०१ सालाना।

(स) नीवाना घोबलाई बलेखन रु० ३७१ सालाना।

(५) हां।

(६) विलम्ब हो जाने के कारण मौजूदा ठेकेदार के ठेके की अवधि बढ़ा दी गई, परन्तु इस दरख्वास्त के कारण बजाय ३ साल के केवल ३०-६-६२ तक की ही अवधि बढ़ाई गई।

Page No. 3

श्री रामकिशन : क्या यह सत्य है कि नोटिफिकेशन जिस तारीख के लिये निकला था उससे पहले ही ठेका दे दिया गया था पुराने ठेकेदार को।

श्री चन्दनमल वैद : मैंने अर्ज किया न कि एक बार ठेके की तारीख निश्चित होने पर कोई बोली लगाने वाले जब नहीं आये इसलिए पुराने की ही छः महीने की अवधि और बढ़ा दी गई।

श्री रामकिशन : इसके बाद तो दुबारा दूसरी तारीख २६-४-६२ के लिये निश्चित की गई और फिर इसकी इत्तला नोटिफिकेशन द्वारा कर दी गई कि आगे ३०-४-६२ को रखी गई है। पर इसके पहले ही ठेका दे दिया पहले वाले को, तो यह कैसे हुआ।

श्री चन्दनमल वैद : दुबारा २६-३-६२ की तारीख निश्चित की गई थी और पहली तारीख १३-३-६२ को थी तो १३-३-६२ और २६-३-६२ में बहुत कम समय रह गया था तो बोली लगाने वाले फिर नहीं आवेंगे ऐसा समझकर यह तय किया गया कि इसके बाद की कोई तारीख देकर ठेके की बोली लगवाई जावे और इस बीच उसी को दे दिया जावे छः महीने के लिये तो काफी समय मिल सकेगा और बोली लगाने वाले भी ज्यादा आ सकेंगे, यह सोच कर यह किया गया।

श्री रामकिशन : यह समय तो निश्चित कर दिया था। पहले २६-३-६२ का था। उसे नोटिफिकेशन निकाल कर ३०-४-६२ का समय निश्चित कर दिया था, यह समय काफी था। एक महीने से अधिक का समय था और यह निश्चित हो चुका था। पर ३०-४-६२ के पहले ही ठेका पुराने ठेकेदार को दे दिया गया। यह कैसे? उस नोटिस की प्रति भी मेरे पास है।

श्री चन्दनमल वैद : मेरे पास तो केवल दो तारीखों की ही सूचना है।

श्री रामकिशन : यह भी तो गवर्नमेन्ट का ही नोटिफिकेशन है जिसके द्वारा दूसरी तारीख मुकर्रर की गई थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कौनसी तारीख ?

श्री रामकिशन : ३०-४-६२ की। तो क्या इस तरह से एक तारीख देकर उससे पहले ही सम्बन्धित अधिकारीगण ठेकेदार से मिल मिला कर बीच में ही गोलमाल कर जाते हैं और उसी को ठेका दे देते हैं तो इसकी सरकार को जांच करानी चाहिये और निश्चित तौर से जांच करा कर जो सरकार का इसमें नुकसान हुआ है उसके लिये किसी न किसी को जिम्मेदार बनाना चाहिये।

श्री चन्दनमल वैद : मुझे जो अतिरिक्त सूचना दी जा रही है उसकी जानकारी करने के बाद ही मैं आवश्यक कार्यवाही कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब इस ठेके की क्या स्थिति है ?

श्री चन्दनमल वैद : अब इसके लिये दुबारा तारीखें निश्चित हो चुकी हैं। कई तारीखें हैं। १२-१०-६२, १६-१०-६२ और १६-१०-६२। १२-१०-६२ वाली के लिये मेरे पास इस समय सूचना नहीं आई है, हो गया होगा। १६-१०-६२ का कल हो जाना चाहिये।

शराब के ठेके

१३३. श्रीमुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि सरकार ने यह निश्चय किया है कि जो ज्यादा से ज्यादा शराब बेचेगा उन्हें ठेका दिया जावेगा ?

(२) क्या इसके लिये सरकार ने ज्यादा शराब बेचने वालों को अधिक कमीशन देने का निश्चय किया है ?

(३) यदि हां, तो सरकार इस नीति के आधार पर शराब को शनैः शनैः कम किस तरीके से करेगी ?

उप-मन्त्री, आबकारी (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं।

(२) गारन्टी की तादाद तक बेचने पर कमीशन दिया जाता है, अधिक बेचने पर कोई अधिक कमीशन नहीं।

(३) गारन्टी प्रथा प्रचलित करने से अवैध शराब की बिक्री बन्द हुई है क्योंकि नीलाम में अधिक बोली देकर ठेकेदारों द्वारा अवैध शराब की बिक्री की सम्भावना थी।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या अब भी नीलामी नहीं होती ठेकों की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गारन्टी सिस्टम लागू करने के बाद नीलाम की प्रथा को बन्द करने का प्रयास हमारा बन्द नहीं होगा अब।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या पहले ठेके नीलाम कर दिये गये थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां।

श्री अब्दुलजब्बार : और फिर कैंसिल कर दिये गये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां, जहां जहां यह प्रथा आरम्भ कर दी गई है। वहां वहां।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या इससे शराब की अधिक बिक्री सरकार नहीं कर रही है और इस तरह से अधिक लोगों को शराब पिलाने में उसकी रुचि हुई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शराब की बिक्री तो इससे बढ़ेगी, पर इससे दूसरी बुराई इल्लिसिट डिस्टिलेशन की बन्द होगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या सरकार शराब की बिक्री इस तरह से बढ़ाकर लोगों की ज्यादा से ज्यादा शराब पीने की आदत नहीं डाल रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरकार की नीति कतई यह नहीं है। सरकार की यह नीति है कि जो बड़ा दोष है उसका पहले निराकरण किया जावे। इल्लिसिट डिस्टिलेशन से और एडल्टरेशन से बहुत ज्यादा हानि हो रही है, वह बहुत ज्यादा व्याप्त है इसलिये गारन्टी सिस्टम लागू करके इस बुराई को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बाद में उद्देश्य तक पहुंचा जा सके।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : पहले ठेके से जहां २५ हजार की रकम आती थी, वहां अब यह रकम कायम कर देने से १ लाख से ऊपर आमदनी हुई है और इस प्रकार से यह आमदनी भी गरीबों की जेब से आवेगी। सरकार उनको मदहोश करके, उनको अधिक शराब पिलाकर जो उनकी जेबें खाली करना चाहती है तो क्या सरकार की यह नीति उचित है ?

Page No. 5

श्री निरंजननाथ आचार्य : चालीस परसेन्ट रेवेन्यू बढ़ाने का प्रयास है । १० परसेन्ट प्रेज़ेन्ट रेवेन्यू बढ़ी है । उस नीति से ६ परसेन्ट बढ़ने की सम्भावना है । सरकार की यह नीति कदापि नहीं है कि अनाप-शनाप भयंकर रूप से रेवेन्यू को बढ़ाया जाय । पर नीति यह है कि जो लाइसेन्स सिस्टम से दुष्परिणाम स्वरूप इल्लिसिट और एडल्टरेट शराब बढ़ गई थी, उस दुष्परिणाम को कम किया जावे । यह प्रयास है सरकार का और इस सिस्टम से हमें इसमें कामयाबी मिल रही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सरकार ने इसकी जांच की है कि पहले कितनी बिक्री होती थी और अब इस सिस्टम को इन्ट्रोड्यूस करने के बाद कितनी हो गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पहले जो डिस्टिलेशन इल्लिसिट तरीके से की जाती थी और जो एडल्टरेशन होती थी और जिसको रोकना कठिन हो रहा था उसमें काफी सुधार इस सिस्टम से आया है और आज जिन ठेकेदारों ने यह गारन्टी सिस्टम से ठेके लिये हैं आज वे ही हमारे खबर देने वाले हो गये हैं और वे सावधान रहते हैं कि कहीं इल्लिसिट डिस्टिलेशन उनके क्षेत्र में न हो ।

(श्री मुरलीधर व्यास और श्री अब्दुल जब्बार के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले नीलामी से ठेके हुए, इसके बाद में सरकार की तरफ से बाकायदा आदेश दिये गये हैं सर्कूलर के द्वारा कि कोई इतनी शराब बेचेगा तो उसकी इतनी नीलामी की बोली मन्जूर होगी, नहीं तो कैंसिल की जा सकेगी और उस आधार पर जो जितना ज्यादा बेचने वाला होगा ठेका उसी को मिलेगा । इस प्रकार की व्यवस्था की है सरकार ने बाकायदा ऑर्डर के जरिये और मन्त्रीजी कहते हैं कि नहीं की । क्या यह सही नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : गारन्टी का तो मतलब ही यही है कि अमुक दुकान पर इतना तो बेचने की गारन्टी देनी ही होगी ।

श्री मुरलीधर व्यास : तो फिर जो ज्यादा ऊंची बोली बोलेगा उसको ठेका मिलेगा इस प्रकार की व्यवस्था ही सरकार ने रखी है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बड़ा सीधा सा प्रश्न है । पर अध्यक्ष महोदय, मुश्किल यह है कि गारन्टी सिस्टम क्या है इसकी जानकारी माननीय सदस्य को नहीं है, इसकी जानकारी आपको हो जाय तो अच्छा है ।

जिस ठेकेदार के पास ठेका है, उसी को फिर से गारन्टी बेसिस पर दिया जावे और रिटेल प्राइस तीन साल पहले की एवरेज निकाल कर लाइसेन्स में भी तीन साल पहले की एवरेज रकम को जोड़ दिया जावे और उसमें १० परसेन्ट आगे कर दिया गया और इस तरह से वह जो रकम आवेगी वह गारन्टी की रकम है । अब इसमें लाभ यह है कि जो इल्लिसिट डिस्टिलेशन पहले होता था और एडल्टरेशन होता था वह रुका है और ये ही ठेकेदार अब हमारे इन्फोर्मेन्ट्स हो गये हैं । सदन के सामने इस लाइसेन्स

Page No. 6

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सिस्टम के प्रश्न पर बड़ा विचार हुआ है और रेवेन्यू बोर्ड के भी कमेन्ट्स हैं इस पर; तो इस स्थिति को साफ करने के लिये एक रकम इस तरह से निश्चित कर दी।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका मतलब तो यह हुआ कि आप इस तरह से इल्लीसिट डिस्टिलेशन को और एडल्टरेशन को रोक नहीं सके, नाकामयाब साबित हुए और अब इसको रोकने के लिये ज्यादा से ज्यादा पैसा आपने ठेकेदारों से वसूल किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शराब पिलाने का रास्ता निकाला।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

भूदान में प्राप्त भूमि

१३४. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भूदान में आज तक कुल कितनी जमीन प्राप्त हुई है ?

(२) प्राप्त जमीन में कृषि योग्य भूमि कितनी है ?

(३) प्राप्त भूमि में से कितनी भूमि वितरित की जा चुकी है ? बाकी बची भूमि कब तक वितरित कर दी जावेगी ?

(४) भूमि-वितरण करते समय क्या यह ध्यान में रखा गया है कि सहकारिता पर खेती करने वालों को प्राथमिकता दी जाय ? यदि हां, तो कितनी भूमि सहकारी खेती के लिए दी गई ?

(५) भूदान के महकमे पर सरकार को प्रति वर्ष कितना खर्च लगता है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) भूदान में अब तक ३,३७,८१५ एकड़ भूमि प्राप्त हुई है।

(२) कुल प्राप्त भूमि में से लगभग ७० प्रतिशत काश्त योग्य है।

(३) अब तक १,०५,६८३ एकड़ भूमि वितरित की गई है। शेष को शीघ्र वितरित करने के प्रयत्न जारी हैं।

(४) भूदान यज्ञ में भूमि केवल भूमिहीन व्यक्तियों को ही दी जाने को प्राप्त हुई है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५४ बनाया गया है, उसमें सहकारी खेती का प्रावधान नहीं है। परन्तु जिन भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि वितरित की गई है उनको आपस में मिलकर सहकारी खेती करने पर कोई रोक नहीं है।

(५) सरकार से बोर्ड को वार्षिक अनुदान दिया जाता है, इसके लिए कोई खास रकम निर्धारित नहीं है। अब तक दिये गये अनुदान इस प्रकार हैं :—

१९५५/५६	११,०००) रुपये
१९५६/५७	२५,०००) रुपये
१९५७/५८	३०,०००) रुपये
१९५८/५९	१५,०००) रुपये
१९५९/६०	१४,०००) रुपये
१९६०/६१	३०,०००) रुपये
१९६१/६२	३०,०००) रुपये
कुल अनुदान	१,५५,०००) रुपये।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

Page No. 7

उद्योग संस्थाओं को सुविधायें

१३५. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : [(श्री भैरोंसिह किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया]

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) किसी भी उद्योग संस्था को सरकारी व्यय पर पाइप लाइन व इलेक्ट्रि-सिटी लाइन की सुविधा किस आधार पर दी जाती है ?

(२) गोपाल इन्डस्ट्रीज, कोटा को पाइप लाइन व बिजली लाइन सरकारी व्यय पर कब और क्यों दी गई तथा इस पर सरकार का कितना व्यय हुआ ?

(३) जे० एन० मार्शल एण्ड कम्पनी, कोटा को सरकारी व्यय पर पॉवर लाइन कब व क्यों दी गई तथा इस पर सरकार का कितना व्यय हुआ ?

श्री उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) साधारणतया किसी एक उद्योग को बिजली अथवा पानी की लाइन सरकारी व्यय पर नहीं दी जाती लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ऐसा नियम है कि अगर बिजली की लाइन बोर्ड के लिए इकोनोमिकली पेइंग हो तो बोर्ड अपने खर्चे से बिजली की लाइन लगा देता है। जहां पर सरकार ने किसी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया है वहां पर सरकार अलोटीज़ से डेवलपमेंट चार्जेज़ लेती है और इसके एवज़ में बिजली और पानी की लाइन की जरूरत हो तो फैक्ट्री की सीमा तक सरकारी खर्च पर लगा देती है।

(२) बिजली लाइन के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है। पाइप लाइन औद्योगिक क्षेत्र भीमगंज मंडी, कोटा को दी गई है न कि गोपाल इन्डस्ट्रीज़ कोटा को। इस कार्य के लिए राजस्थान सरकार ने ३५,२२८) रु० का व्यय मार्च, १९६२ में स्वीकृत किया है।

(३) इस कार्य के लिए राज्य सरकार ने कोई राशि स्वीकृत नहीं की है।

श्री भैरोंसिंह : यह जो आपने बताया कि पाइप लाइन दी है तो क्या इस संबंध में सरकार का कोई नियम बना हुआ है ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं आपको बता चुका हूं कि क्या नियम है।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि साधारणतया यह नहीं दी जाती है तो क्या मैं यह समझूं कि साधारणतया और खास तौर को डिफाइन करने के लिए कोई नियम नहीं बना रखे हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने यह बताया है कि जहां पर सरकार ने किसी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया है, वहां पर सरकार अलोटीज़ से डेवलपमेंट चार्जेज लेती है और उसके एवज में बिजली और पानी की लाइन की जरूरत हो तो फैक्ट्री की सीमा तक सरकारी खर्च पर लगा देती है।

और मैंने (२) में बताया कि इस पर इतना रुपया खर्च हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : साधारणतया पाइप लाइन नहीं दी जाती है तो क्या यह शुमार किया जाय ......

श्री चन्दनमल वैद : किसी एक उद्योग को, एक इन्डिविज्युवल उद्योग का बताता हूं। इन्डस्ट्रियल एरिया में जो उद्योग होते हैं उसमें ऐसी सुविधा दी है।

श्री भैरोंसिंह : गोपाल इन्डस्ट्री को क्या इस कारण दी है कि वह इन्डस्ट्रियल एरिया में है।

श्री चन्दनमल वैद : माफ करें माननीय सदस्य, मैंने बतलाया है कि गोपाल इन्डस्ट्री को कोई पाइप लाइन नहीं दी गई है। मैंने अर्ज किया है कि गोपाल इन्डस्ट्री को नहीं दी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : तो फिर जावर माइन्स के लिए स्पेशल प्लान बनाकर पानी पहुंचाने की योजना क्यों है ?

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न है बिल्कुल। माननीय सदस्य कहां का प्रश्न कहां ले जाते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आप यह कहते हैं कि व्यक्तिगत को नहीं दी जाती है तो जावर माइन्स को क्यों दी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): आम तौर से बिजली, पानी और जमीन की व्यवस्था उद्योग के लिए जहां तक हो पाये की जाय, यह सरकार की नीति रही है।

श्री भैरोंसिंह : यह नीति तो ठीक है, लेकिन किसी के साथ भेदभाव हो तो उस भेदभाव को रोकने के लिए मैं समझता हूं कि डेफिनिट रूल्स बना देंगे तो सरकार से मिलने वाली सहायता का वे लाभ उठा सकेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जिन इन्डस्ट्रीज को इन्डस्ट्रियल एरिया में होने के कारण पाइप लाइन दी गई है तो उससे डेवलपमेंट चार्जेज चार्ज कर लिये गये हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं कह चुका हूं कि गोपाल इन्डस्ट्री को नहीं दी गई है। जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां दी गई है और नियमानुसार जितने डेवलपमेंट चार्जेज लिये जाने चाहिएं वे लिये गये होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लिये गये हैं कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : वह तो जिस तरह से इन्डस्ट्रियल एरिया को दी जायगी उसमें वह शामिल होगा वह विशेष रूप से नहीं लिया जाता है। वह तो सारा जोड़कर डेवलपमेंट चार्जेज वगैरह भूमि की रेट निर्धारित करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि पाइप लाइन दी है। जहां पर औद्योगिक एरिया है-वहां पर डेवलपमेंट चार्जेज वसूल किये जाते हैं और यह दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : सभी क्षेत्र पर जितना डेवलपमेंट का खर्चा लगेगा वह जोड़कर जितना खर्च आता है वह प्लॉट पर चार्ज कर देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन यह है कि जैसा कि माननीय उप-मंत्रीजी ने कहा कि इन्डस्ट्रियल एरिया में डेवलपमेंट चार्जेज अलग होते ह तो इन्डस्ट्रियल एरिया की सीमा तक पाइप लाइन डालते हैं उसके लिए किससे डेवलपमेंट चार्जेज वसूल करते हैं ?

Page No. 9

श्री अध्यक्ष : ऐसा कुछ नहीं किया है।

श्री रामानन्द।

स्टाम्प खरीदने की व्यवस्था

१३६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि अलवर में १००) रु० से ऊपर के स्टाम्प वेण्डर से न मिलकर सीधे ट्रेज़री से खरीदने की व्यवस्था है ?

(२) क्या सरकार को मालूम है कि इस व्यवस्था के कारण जनता को भारी असुविधा है और स्टाम्प लेने के लिए एक व्यक्ति को दो-दो दिन खराब करने पड़ते हैं ?

(३) क्या सरकार स्टाम्प बेचने का प्रबन्ध स्टाम्प वेण्डरों के द्वारा करने पर विचार करेगी ?

उप-मंत्री, कर व आबकारी (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इससे पहले यह व्यवस्था थी कि स्टाम्प बेचने का काम स्टाम्प वेण्डर ही किया करते थे और कितने अर्से से यह व्यवस्था की गई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इससे पहले और व्यवस्था थी। बड़े शहरों में नोट एक्सीडिंग ३०) रु० तक के लिए ट्रेज़री में जाना पड़ता था और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नोट एक्सीडिंग ५०) रु० के लिए ट्रेज़री में जाना पड़ता है। अब यह सहूलियत है कि नोट एक्सीडिंग १००) रु० तक वह वहां पर खरीद सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो आपने ही रेस्ट्रिक्शन लगाया है ३०) रु० और ५०) रु० का। उससे पहले किसी भी तरह के स्टाम्प खरीदने के लिए ट्रेज़री पर नहीं जाना पड़ता था यानी सन् ५७ तक कोई भी स्टाम्प खरीदने के लिए ट्रेज़री में नहीं जाना पड़ता था; स्टाम्प वेन्डर के जरिये ही मिल जाते थे। आपने सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए स्टाम्प वेण्डर्स से काम लेकर ट्रेज़री को दिया है, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): इस प्रश्न से संबधित एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि जिले में सब-रजिस्ट्रार के यहां बहुत बड़े बड़े डीड्स रजिस्टर्ड कराना चाहता है और वह उसी दिन यह इच्छा जाहिर करता है और राय बनाता है कि आज ही रजिस्टर्ड कराना है लेकिन आपके इस कानून के कारण वह रजिस्ट्री नहीं हो पाती है क्योंकि एक दिन तो रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प खरीदने में लगता है।

श्री अध्यक्ष : और उसका इरादा बदल जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह असुविधा दूर की जानी चाहिए, माननीय अध्यक्ष।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह असुविधा का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, इस पर विचार करना उपयुक्त है और सुविधा देने का प्रयास किया जायगा, अगर ऐसी असुविधा रहती है तो।

स्टेट होटल, खासा कोठी, जयपुर पर व्यय

१३७. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही कि राजस्थान स्टेट होटल, खासा कोठी, जयपुर में टूरिस्टों के ठहरने लिए कुछ एयर कन्डीशन्ड कमरे नये बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कितने और उन पर कितना व्यय किया जायेगा ?

(२) अभी स्टेट होटल, खासा कोठी पर कितना व्यय किया जा रहा है और उससे कितनी आय हो रही है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं।

(२) पिछले दो वर्षों की आय-व्यय इस प्रकार है :-

वर्ष	आय	व्यय
१९६०-६१	२,२८,६३१	२,५६,८८३
१९६१-६२	२,७०,२२३	२,२५,७८१

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बकाया भी शामिल है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो साल का लाभ तो बता दें अलग अलग कि कितना लाभ हुआ इन दो साल के फीगर्स से।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रश्न संख्या १३८।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : (१) जी हां......

श्री परसराम मदेरणा : पहले साल में घाटा है और दूसरे साल में ५०,०००) रहा।

जालोर जिले में कॉलेज

१३८. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि सरकार की हर जिले में एक कॉलेज खोलने की योजना है ?

(२) अगर हां ? तो जिला जालोर में अब तक कॉलेज क्यों नहीं खोला गया है ? अब कॉलेज जालोर में कब तक खोल दिया जावेगा ?

(३) क्या सरकार यह निर्णय लेगी कि जब तक हर जिले में एक २ कॉलेज न हो तब तक जिले में दो कॉलेज नहीं खोले जांय ?

(४) क्या सरकार शिक्षण संस्थाओं की संख्या को देखते हुए जालोर में कॉलेज शीघ्र ही खोलना उपयुक्त नहीं समझती ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरञ्जननाथ आचार्य): (१) जी हां ।

(२) चालू योजना काल में यह सम्भव नहीं हो सकेगा ।

(३) हर जिले में कम से कम एक कॉलेज और बड़े जिले में एक से अधिक कॉलेज खोलना सरकार का लक्ष्य है । इसकी पूर्ति के लिए जालोर में भी, इस योजना में नहीं तो अगली योजना काल में खुल सकेगा ।

(४) मद की कमी इसमें अभी बाधक है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) **:** कितनी जन-संख्या के पीछे एक कॉलेज खोलने की सरकार की नीति है ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : प्रश्नकर्ता को पूछने दें, उनके जिले का प्रश्न है ।

श्री विजयसिंह झाला : आपने कहा कि बड़े जिले में २ कॉलेज होंगे तो कितनी जनसंख्या पर एक कॉलेज होना चाहिए ? किस आधार पर आपने रखा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमारी नीति के अनुसार प्रत्येक जिले में एक कॉलेज होगा और जो बड़ा जिला है वहां पर दो होंगे । जन-संख्या का तो इसमें समावेश हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिला जालोर की जनसंख्या साढ़े पांच लाख है । दो वर्ष पहले केबिनेट मीटिंग में सेन्क्शन हो गई थी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि शीघ्र ही कॉलेज खोलने का विचार सरकार कर रही है । तो साढ़े पांच लाख की जनसंख्या पर क्या सरकार यह उपयुक्त नहीं समझती कि वहां पर कॉलेज हो ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जहां तक खोले जाने का प्रश्न है मैंने यह नहीं अर्ज किया कि उपयुक्त नहीं था । मैंने निवेदन किया है कि ज्योंही मद का प्रश्न हल होगा यह प्रश्न हल हो जायगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जहां दो दो कॉलेजेज़ हैं वहां पहले एक एक कॉलेज खोलकर सारे जिलों में एक एक कॉलेज होना चाहिए, ऐसे निर्णय की पाबन्दी हो तो हर जिले में एक एक कॉलेज आसानी से हो सकता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जहां तक मद की सुविधा का प्रश्न है उसको ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में जब तक एक एक न हो जाय तब तक दो का प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

अलवर में केटल ब्रीडिंग फार्म्स की जमीन

१३६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) **:** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि अलवर में केटल ब्रीडिंग फार्म बनाने के लिए अलवर शहर के २७ किसानों की लगभग ६० बीघा जमीन एक्वायर होने के नोटिस जारी हो चुके हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस केटल ब्रीडिंग फार्म को बनाने के लिए अलवर शहर से दूर कुण्डल में वन विभाग की जमीन उपलब्ध हो सकती है जिसके लिए विभागीय अफसरों ने अपनी सहमति भी प्रकट की है ?

Page No. 12

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(३) क्या यह सही है कि उक्त २७ किसानों के पास थोड़ी २ जमीन है जो उनके रोजगार का मुख्य साधन है ?

(४) क्या सरकार अलवर शहर के इन २७ किसानों की जमीन में ब्रीडिंग फार्म न लगा कर कुण्डल में या अन्य स्थान पर बनाये जाने का विचार कर रही है ?

उप-मन्त्री, न्याय (श्री परसराम मदेरणा) : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न की जानकारी पूरी नहीं मिली है, इसलिए इस प्रश्न को नेक्स्ट टर्न पर रखा जाय ।

बालिका प्राथमिक शिक्षा

१४०. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : Will the Minister for Education please state:-

1. What was the target number of students fixed for imparting primary education during the Second Plan for girls ?

2. What is the figure of actual achievement as compared to the target fixed ?

3. What are the causes of the short-fall, if any ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : 1. 2,00,000

2. 2,15,460

3. The achievement was 107.73% of the target. As such the question of downfall does not arise.

गोचर भूमि पर अनधिकृत कब्जा

१४१. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या ग्राम सरनाऊ, तहसील सांचोर, जिला जालोर में सामती सुजाना वगैरह बनाम गोविन्दराम के दरमियान गोचर जमीन पर नाजायज़ कब्जा करने का मुकदमा एस. डी. ओ. भीनमाल की अदालत में चला था और उस भूमि को पैमाइश विभाग व एस. डी. ओ. भीनमाल द्वारा गोचर करार कर दिया गया था ?

(२) क्या रेकॉर्ड में गोचर जमीन होते हुए भी गोविन्दराम बिश्नोई ग्राम सरनाउ ने उस पर अभी तक नाजायज़ कब्जा कर रखा है ?

(३) अगर हां, तो नाजायज़ कब्जा हटाने की कार्यवाही तहसील सांचोर ने अब तक क्यों नहीं की तथा अब सरकार इस कब्जे को कब तक हटा देगी ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां ।

(२) जी हां । गोचर भूमि के खसरा नम्बर १५१ के सिर्फ १० बीघा १२ बिस्वा रकबे पर अभी गोविन्दराम बिश्नोई ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है ।

(३) तहसीलदार सांचोर द्वारा नाजायज़ कब्जा करने पर उस पर जुर्माना कर दिया गया है और कब्जा शीघ्र ही हटा दिया जावेगा ।

कोटा ट्रान्सपोर्ट कं० में बकाया

१४२. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) कोटा ट्रान्सपोर्ट कं० प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स टेक्स की किस किस वर्ष की कितनी २ बकाया है और क्यों ?

(२) इसकी वसूली के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) कोटा ट्रान्सपोर्ट कं० पर राजस्थान सेल्स टेक्स लागू नहीं होता है इसलिए उससे सेल्स टेक्स की वसली का प्रश्न नहीं उठता ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भैरोंसिंह : लागू क्यों नहीं होता ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : एक्ट अलग अलग है, सेल्स टेक्स अलग है, दोनों के बीच की चीज......

श्री भैरोंसिंह : सेल्स टेक्स और एक्साईज़ एण्ड टैक्सेशन डिपार्टमेन्ट एक ही हैं, इस डिपार्टमेन्ट की कितनी बकाया है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, हम सेल्स टैक्स के मसले पर ढूंढते रहें, उसमें नहीं मिला। दूसरे कानून के अन्तर्गत बकाया है या नहीं, यह पूछने पर अर्ज कर सकता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कॉमनसेन्स की डिक्शनरी में देखते तो पता चल जाता ।

श्री अध्यक्ष : यह कानून का मामला है ।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री केदारनाथ ।

गन्ना सर्वेक्षण एवं क्रय प्रणाली

१४३. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : Will the Minister for Industries be pleased to reply :—

(1) Is it a fact that the system of Cane Survey and Cane Purchase in the Ganganagar Sugar Mills Ltd., is neither scientific nor satisfactory ?

(2) The figures of cane available for crushing (according to the Survey figures) and actually cane crushed for the last three years may be given.

उप-मन्त्री, विकास (श्रीमती कमला बेनीवाल) : 1. No.

2. The figures of cane available for crushing (according to survey figures) and actually crushed for the last three years are as under.

Year	*Survey figures*	*Actually received and crushed*
1959-60	60,48,461Mds.	26,37,626Mds.
1960-61	59,20,481Mds.	24,89,316Mds.
1961-62	44,98,448Mds.	23,88,111Mds.

श्री अध्यक्ष : Shri Kedar Nath Next Question.

Page No. 14

श्री केदारनाथ : मुझे इस प्रश्न के फर्स्ट पार्ट के बारे में कुछ पूछना है। क्या यह सही है कि केन सर्वे इन्सपेक्टर जब विलेजेज् में केन की फसल का सर्वे करने जाते हैं तब वे वहां के लंबरदार, पटवारी आदि की सेवाओं का फायदा नहीं उठाते और मनमाने ढंग से सर्वे करते हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मनमाने ढंग से सर्वे करते हों।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Has the Government examined the question as to why there is so much difference between the actual figures and the crushing ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : काश्तकार जो गन्ने की खेती करते हैं उनके ऊपर पाबंदी नहीं है कि वे अपनी फसल का गन्ना कहीं ले जाना चाहें तो ले जाने से इन्कारी हो इसलिये वे अपना गन्ना दूसरी जगह भी ले जाते हैं, सारा इसी इन्डस्ट्री को नहीं देते।

श्री केदारनाथ : क्या उनके बेचने पर पाबन्दी नहीं है......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि ६० लाख मन गन्ना अवेलेबल है और करीब २६ लाख मन क्रश करते हैं। बाकी गन्ने का कहीं युटिलाइज़ेशन होता है या वेस्ट जाता है ?

कृषि-मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : वेस्ट होने का सवाल नहीं है। दूसरी मंडियों में ले जाकर बेच सकते हैं। यह पाबन्दी नहीं है कि सारा का सारा गन्ना फैक्ट्री को ही देवें। जितनी फैक्ट्री को जरूरत होती है उतना फैक्ट्री को देते हैं बाकी दूसरी जगह बेचते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है या अन्दाज से ही कहते हैं कि वेस्ट नहीं जाता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार ने पता लगाया है; गुड़ बनता है और बाजार में विकता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या किसान फैक्ट्री को ज्यादा गन्ना इसलिये नहीं देते कि उसकी रेट्स कम हैं, फैक्ट्री और बाजार के रेट में अन्तर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फैक्ट्री की रेट कम होने का सवाल नहीं है। रेट से किसान बिल्कुल संतुष्ट हैं।

श्री भैरोंसिंह : गंगानगर शुगर मिल में केन की रिक्वायरमेन्ट कितनी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तीन साल के औसत से ३० लाख मन करीब समझें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वश्चन, श्री केदारनाथ।

कृषि-विभाग की खाद की बिक्री

१४४. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि कृषि विभाग की खाद किसान मार्केटिंग सोसाइटी, गंगानगर की मार्फत बिकी है ? अगर हां, तो कितनी और किस दर से ?

(ख) क्या उस सारी बिक्री की कीमत अदा हो चुकी है ? अगर नहीं, तो क्यों ? और कितनी रकम बाकी है ? इस बाकी रकम को वसूल करने का सरकार क्या विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १४४ की सूचना पूर्ण एकत्रित नहीं हो पाई है इसलिये कुछ अवधि और देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामानन्द अग्रवाल।

डीडवाना में सोडियम सल्फेट की प्राप्ति हेतु पाइलोट प्लॉन्ट

१४५. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): Will the Minister for Industries be pleased to state:—

What progress has been made in setting up a pilot plant for the recovery of Sodium Sulphate at Didwana.

उप-मंत्री, विकास (श्रीमती कमला बेनीवाल): Practically all requisite machinery for setting up of the Sodium Sulphate Plant has been received. The construction of the factory buildings is in progress and is likely to be completed by Dec. 1962, when erection of the Plant will be taken up.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि इस मशीनरी के साथ कुछ ऐसे पार्ट्स जिनके बिना यह मशीनरी इन्स्टाल नहीं की जा सकती अभी नहीं आये हैं?

कृषि-मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): वे आ गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : कब आ गये?

श्री नाथूराम मिर्धा : दो माह पहले।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): क्या इस प्लान्ट के आने के बाद बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा : कंस्ट्रक्शन तो कभी शुरू किया गया, लेकिन यह अलग तरह का था इसलिये समय लगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

गिरदावरी दुरुस्ती हेतु दरख्वास्तें

१४६. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में सब-डिवीजनल ऑफिसर्स के कार्यालयों में सन् १९५९ की गिरदावरी दुरुस्ती हेतु दरख्वास्तें पेश हुई हैं? अगर हां, तो कितनी संख्या में और उनमें से कितनी दरख्वास्तों का फैसला हुआ है?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में बाढ़ आ जाने से सूचना नहीं आ पाई है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट वीक।

(विराम)

Shri Balchand Daga.

किशनगढ़ हाई स्कूल में विज्ञान की कक्षायें

१४७. **श्री बालचन्द डागा** (किशनगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि किशनगढ़ में हाई स्कूल के समय में साइन्स क्लासेज चालू थीं?

(श्री बालचन्द डागा)

(२) क्या यह भी सही है कि अब हायर सेकन्डरी स्कूल में साइन्स की क्लास चालू नहीं है ?

(३) क्या यह भी सही है कि किशनगढ़ डिग्री कॉलेज में साइन्स क्लास चालू है ?

(४) अगर हां, तो फिर हायर सेकन्ड्री स्कूल में साइन्स क्लास क्यों बन्द की गई है व अब कब तक यह साइंस क्लास चालू कर दी जावेगी ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जी हां।

(२) जी हां, चालू नहीं है।

(३) जी हां।

(४) विज्ञान विषय खोलने के लिये १.५ लाख की नोन रेकरिंग व १५,००० की रेकरिंग ग्रान्ट की आवश्यकता होती है। के. डी. जैन हायर सेकन्डरी स्कूल किशनगढ़ में पहले से ही विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है। जब तक के. डी. जैन हायर सेकन्डरी स्कूल विज्ञान विषय पढ़ने वाले छात्रों की मांग की पूर्ति करता है, किसी दूसरी स्कूल में यह विषय खोलना उचित प्रतीत नहीं होता। फिर इस स्कूल में न तो लेब्रोरेटरी है, न स्वयं का स्कूल भवन ही है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): विज्ञान को उन्नति देने के लिये सरकार इस तरीके से साइन्स क्लासेज़ कब तक बन्द करती रहेगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह।

खेती की जमीन पर मकान

१४८. श्री उमरावसिंह (बनेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बनेड़ा तहसील में जिन व्यक्तियों ने खेती की जमीन में मकान बनाये हैं उनके विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं ? अगर चल रहे हैं, तो कितने किसानों पर ?

(२) क्या यह सही है कि जिन किसानों पर ऐसे मुकदमें चल रहे हैं उनको एक्स जागीरदारों ने व पंचायतों ने नजराना लेकर जमीनें दी हैं जिन पर उन्होंने मकान बनाये हैं ?

(३) क्या यह सही है कि जिन किसानों ने ऐसी जमीनों पर मकान बना लिए हैं उनसे उस जमीन की लागत से सात गुना रूपया वसूल करने के नोटिस तहसीलदार बनेड़ा ने दिये हैं ?

(४) अगर यह सही है, तो कितनी रकम इस तरह बनेड़ा तहसील के किसानों से वसूल होगी ?

(५) क्या यह सही है कि इस तरह के मुकदमे सिर्फ छोटे गांवों में रहने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध ही चलाये जा रहे हैं ?

(६) क्या यह सही है कि मांडल भीलवाड़ा रोड पर नाथानी ब्रॉदर्स के एक बगीचे में व भीलवाड़े में बहातियों के बगीचे में जहां खेती होती है लोगों ने मकान बना रखे हैं ? क्या उनके विरुद्ध भी कोई मुकदमे चलाये जा रहे हैं व उस जमीन की सात गुनी रकम वसूल करने के नोटिस दिये गये हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जी हां। कुल २३२ किसानों पर मुकदमे चल रहे हैं।

(२) ऐसे कुल मामलों की जांच पूर्ण नहीं हुई है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें काश्तकारों ने भूतपूर्व जागीरदारों व पंचायतों से ऐसी भूमि के पट्टे प्राप्त करना कहा है यद्यपि पंचायतों को इस प्रकार कृषि भूमि को बिना परिवर्तित कराये हुए आबादी के लिये विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है।

जहां तक जागीरदारों द्वारा पट्टे दिये जाने का प्रश्न है इनकी वैधता की जांच की जा रही है।

(३) यह सही नहीं है। नोटिस राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ९१ के अन्तर्गत दिये जाते हैं।

(४) प्रश्न २ के उत्तर से यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(५) जी नहीं।

(६) मांडल भीलवाड़ा रोड पर नाथाजी के बगीचे में मकान बना हुआ है, उसकी जांच की कार्यवाही तहसील भीलवाड़ा द्वारा हो रही है। बाहेतियों के बगीचे में ३ बीघा रकबा भूतपूर्व मेवाड़ राज्य के समय में ही आबादी में परिवर्तित हो गया था और ऐसे आबादी में परिवर्तित भाग में ही मकानात बनाये गये हैं।

श्री उमरावसिंह : जैसा कि अभी आपने फरमाया पंचायतों को अधिकार नहीं है। ऐसी जमीन का पट्टा देने का तो जब लोगों को पर्याप्त पट्टे दे दिये और उन्होंने पट्टे प्राप्त करने के बाद जमीन पर मकान बनाये हैं तो जब सेमी गवर्नमेन्ट संस्थान के पट्टे उनके पास हैं और उसके हुक्म के अनुसार उन्होंने मकान बनाये हैं तो इसमें उन काश्तकारों की क्या गलती है कि जिसके कारण उनको नोटिस देकर उनके मकान गिराने की कार्यवाही की जा रही है और मकान गिराने के आदेश दे दिये हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसे आदेश नहीं दिये हैं।

श्री उमरावसिंह : मैं खुद तहसीलदार के पास गया था, उन्होंने आदेश दिये हैं। जब कि राजस्थान सरकार नहीं बनी थी उससे पहले के पीढ़ियों से ६० मकान बने हुए हैं; उनको जमीन जागीरदारों द्वारा दी गई थी उस समय जिस समय कि जागीरदार को जमीन देने का हक था। फिर इस तरह की कार्यवाही वहां के तहसीलदार ने क्यों की और मकान गिराने का आदेश क्यों दिया?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सैक्शन ९१ में कार्यवाही की जाती है, अवैध मानने का प्रश्न था तो उस निर्णय के विरुद्ध कलेक्टर के यहां अपील हो सकती है। इस तरह की कोई मिसाल मेरे सामने नहीं है कि यहां मकान गिराये गये हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मकान गिराये नहीं हैं लेकिन गिराने के आदेश जारी किये है या नहीं और जो इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं क्या वे जायज़ हैं जबकि आपकी राजस्थान गवर्नमेन्ट नहीं बनी थी उनसे पहले के मकानात बने हुए हैं उनके मालिकों को नोटिस दे देना कहां तक वाजिब है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सेक्शन ९१ के तहत कार्यवाही किसी के भी खिलाफ की जा सकती है । यदि बिना आबादी में परिवर्तित भूमि पर मकान बनाते हैं तो सेक्शन ९१ के तहत कार्यवाही की जा सकती है । यदि इस कार्यवाही पर ऑब्जेक्शन सामनेवाला व्यक्ति लेता है और यह सिद्ध करता है कि उसकी पट्टाशुदा जमीन है और वैधानिक रूप से सही पाई जाती है तो सेक्शन ९१ की कार्यवाही ड्रॉप हो जाती है । बनेड़ा तहसील में ऐसी कोई नजीर मेरे सामने नहीं है कि वहां इस तरह से एक भी मकान गिराया गया हो । फिर यह सारा मामला राजस्थान व्यापक नहीं है !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जिन्होंने रिहायशी मकान बनाया है और वह जमीन म्युनिसिपल एरिया के २ मील के रेडियस में नहीं है उनको भी आपने नोटिस दिया है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पता नहीं आप कहां की बात कर रहे हैं ? मैंने बनेड़ा तहसील के बारे में बताया है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या मंत्रीजी यह बता सकते हैं कि लैंड रेवेन्यू की धारा ९१ के फोर्स में आने के साथ इस धारा में प्रोविजन है कि जिनके मकान लैंड रेवेन्यू एक्ट लागू होने से पहले बने हैं उनके खिलाफ दफा ९१ के तहत कार्यवाही की जा सकती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है; पहले के मकान बने हैं उनके लिये वहां पर प्रोविजन साफ है । वे यदि इम्प्रूवमेंट की तारीफ में आते हैं तो जमीन का लगान जब तक देते रहते हैं तब तक वे काश्तकार की परिभाषा में आते हैं, इम्प्रूवमेन्ट की तारीफ में आते हैं । लगान देते रहते हैं तो हटाने का प्रश्न नहीं है । सवाल तब आता है जब बिना परिवर्तित कराये मकान बेच दें या मकान बनावें ।

श्री उमरावसिंह : क्या आप आश्वासन देने को तैयार हैं कि जिन्होंने खेत में मकान बनाये हैं खुद के रहने के लिए उनको नहीं तोड़ा जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आश्वासन का सवाल नहीं है । कानून में आश्वासन नहीं दिया जाता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही नहीं है कि जिन्होंने रहने के लिए मकान बनाये हैं उनको भी नोटिस दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री उमरावसिंह ।

बनेड़ा में गर्ल्स हाई स्कूल

१४६. **श्री उमरावसिंह** (बनेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार की कोई योजना बनेड़ा में गर्ल्स हाई स्कूल खोलने की है ?

(२) क्या यह सही है कि बनेड़ा की जनता द्वारा कन्याशाला में चार कमरे बना देने व जागीरदार द्वारा पुरानी बनी हुई स्कूल शिक्षा विभाग को दे देने पर भी सरकार की तरफ से इस शाला में एक भी कमरा नहीं बनवाया गया है ?

(श्री उमरावसिंह)

(३) क्या यह भी सही है कि कमरों की कमी से लड़कियां खुले मैदान में बैठती हैं ?

(४) क्या सरकार इस कन्याशाला में जल्द ही चार कमरे बनवाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा : (श्री निरंजननाथ आचार्य (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) वर्तमान भवन अपर्याप्त है।

(४) निकट भविष्य में कुछ कमरे आवश्यकतानुसार बढ़ाए जायेंगे।

श्री उमरावसिंह : यह जो आपने इस प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब दिया है 'जी नहीं;' तो क्या बनेड़ा की जनता ने वहां पर चार कमरे अपनी लागत से नहीं बनाये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दूसरा पोरशन आपने नहीं पढ़ा; शिक्षा विभाग को देने पर भी सरकार की तरफ से इस शाला में एक भी कमरा नहीं बनवाया गया है, इसका उत्तर मने दिया।

श्री उमरावसिंह : सवाल यह है कि कन्या स्कूल की इमारत नहीं बनती है, इसके लिये भवन नहीं बनता है तो जनता ने १०, १२ हजार रुपये लगाकर ४ कमरों का निर्माण किया और वहां पर लड़कियों की संख्या भी काफी है जैसा कि आप फर्मा रहे हैं वहां बिल्डिंग में ८ कमरे भी कम हैं; इससे साफ जाहिर होता है कि लड़कियों की संख्या अधिक है। इतनी संख्या होते हुए और इतनी पुरानी स्कूल होते हुए हाई स्कूल नहीं बनने का क्या कारण है ? क्या सरकार के कुछ नियम हैं जिसके आधार पर मिडल स्कूल को हाई स्कूल बनाया जाता है और उसमें यह स्कूल शामिल नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरकार के कुछ रूल्स और कुछ आधार इस संबंध में बने हुए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हायर सेकन्ड्री स्कूल खोली जावे। शाहपुरा में खोल दिया। इस साल का प्रश्न हल हो गया। इसके अलावा १२ कमरे होने चाहिए। आपके कहने के मुताबिक ८ ही कमरे हैं। इसके अलावा ९वीं कक्षा में १५ लड़कियां होनी चाहिये। यह कुछ नियम है। यह नहीं कि नीचे की क्लासेज में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। जो मैंने बताये ये आधार आगे बढ़ने के हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन।

बीकानेर जिप्सम कम्पनी

१५०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) **:** क्या खनिज मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर जिप्सम कं० प्रति टन पर रेजिंग एवं लोडिंग के लिये मजदूरों को क्या पेमेन्ट करती है ?

(२) इसके अलावा जिप्सम पर प्रति टन कितना खर्चा और आता है ?

(३) जिप्सम कं० सिन्द्री फर्टीलाइज़र कं० सीनेट कम्पनीज तथा अन्य खुदरा विक्रेताओं को जिप्सम किस भाव पर देती है ?

Page No. 20

उप-मंत्री राजस्व : (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, अभी इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह

नाट्य संघ जयपुर को अनुदान

१५१. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सन् १९६१-६२ में जयपुर की एक अप्रमाणित संस्था नाट्य संघ को लगभग ३०००) रु० की धनराशि का अनुदान दिया गया।

(ख) क्या यह सही है कि इससे पहिले किसी अप्रमाणित संस्था को अनुदान नहीं दिया गया? यदि हां, तो इस संस्था को क्यों और किन नियमों के अन्तर्गत दिया गया?

(ग) इस संस्था के कौन कौन पदाधिकारी हैं?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (क) यह सही है कि अखिल भारतीय नाट्य संघ से संबद्ध नाट्य संघ, जयपुर नामक संस्था को राज्य सरकार ने अखिल राजस्थान स्तर पर किये गये नाटकोत्सव के लिये ३०००) रु० का अनुदान दिया था।

(ख) राजस्थान संगीत अकादमी के वित्तीय सहायता नियम संख्या २ के अन्तर्गत सामान्यतः अकादमी से सम्बद्ध संस्थाओं को सहायता पाने के योग्य समझा गया है किन्तु नाट्य संघ को यह अनुदान अकादमी के विधान की धारा १९ के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिया गया।

(ग) गत वर्ष इस संस्था के मुख्य पदाधिकारी इस प्रकार थे :—

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समझ ही गये होंगे?

(विराम)

श्री निरंजननाथ आचार्य

अध्यक्ष– श्री रोमेशचन्द्र, (स्टेशन डाइरेक्टर अखिल भारतीय रेडियो, जयपुर शाखा) श्री एस० विश्वनाथन।

ओनरेरी जनरल सेक्रेटरी– श्री भरत भार्गव।

ओनरेरी ज्वाइन्ट सेक्रेटरी– श्री सुरेश श्रीवास्तव।

कोषाध्यक्ष– श्रीमती उषा डूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न पूछना है। क्या अध्यक्ष महोदय के सामने कोई अनियमितताएं आई?

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या आप उप-मंत्री को प्रश्न पूछ रहे हैं या अध्यक्ष महोदय से।

श्री भैरोंसिंह : जिन्होंने अप्रमाणित संस्थाओं को योग दिया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये अप्रमाणित नहीं हैं। यह अखिल भारतीय नाट्य संघ से संबद्ध है जिसकी ३९ शाखाएँ भारत में हैं और जो इन्टरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट पेरिस से सम्बद्ध है।

Page No. 21

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह उचित है कि जिस मंत्री महोदय का प्राइवेट तौर से इससे संबंध है, इस प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

बीकानेर के राजकीय मन्दिरों के लिये समिति

१५२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मंत्री, देवस्थान विभाग निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग की तरफ से बीकानेर में राजकीय मंदिरों एवं तत्संबंधी अन्य कार्यों में सलाह देने हेतु कोई समिति बनी हुई है ? अगर हां, तो उक्त समिति के कौन कौन सदस्य कब से हैं ?

(२) उक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति के क्या आधार हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) बीकानेर में राजकीय मन्दिरों के कार्य में सलाह देने हेतु एक टेम्पल कमेटी तीन वर्ष के लिए बनाई गई थी जिसने कार्य १५-३-५९ को शुरू किया, जिसकी अवधि १४-३-६२ को समाप्त हो जाने से नई कमेटी के निर्माण हेतु प्रस्ताव सरकार के समक्ष प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है क्योंकि अब पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के चेप्टर ५-१०, १-७-६२ से लागू हो चुके हैं ।

(२) समिति के सदस्यों की नियुक्ति का आधार यह रहा था कि यह योग्य, धार्मिक मामलों में श्रद्धा रखने वाला व निस्वार्थ सेवा की भावनाएं रखने वाला होना चाहिये ।

श्री भीमसेन : अब तक जो कमेटी चल रही थी उसके स्थान पर दूसरी कमेटी बनाने का क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने बताया कि पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के चेप्टर लागू हो चुके हैं और नई कमेटी के निर्माण हेतु, प्रस्ताव सरकार के समक्ष प्राप्त हो गया है, इसलिये यह नये एक्ट के अनुसार कमेटी है उसके आधार पर बनेगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपने इसके दो आधार रखे हैं । योग्य, धार्मिक मामलों में श्रद्धा रखने वाला और निस्वार्थ सेवा करने वाला इसमें कोई कांग्रेस सदस्य नहीं है ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप कैसे जान सकेंगे कि यह निस्वार्थ और धार्मिक मामलों में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो लोगों को जानकारी होती है । यह तो जितनी मैनेजिंग कमेटी मंदिरों की बनाई है उसके सदस्यों को गवर्नमेंट नोमीनेट नहीं करेगी । जनतन्त्र के तरीकों से चुने जावेंगे और जो चुने जावेंगे वे कमेटी के सदस्य होंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या ऐसा राजस्थान में कभी हुआ है कि लोगों ने चुना है । आपने फरमाया कि लोग मिलकर चुनेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): इस तरह की अभी तक कितनी कमेटियां बनाई गई हैं जो चुनावों द्वारा बनी हों और लोगों ने चुना हो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १-७-६२ से यह लागू किया है। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिये तीन महीनों की अवधि दी गई है। अब वह अवधि समाप्त हुई है। इसलिये इसका अभी प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कमेटियां बनाई हैं या वही जो पहले से चली आ रही हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जो मैंने उत्तर में बताया है यह बीकानेर की उस समिति के बारे में बताया है कि जो इस एक्ट के लागू होने से पहले फंक्शन कर रही थी, वे उस फंक्शन करने से उस समिति में सदस्य नियुक्त किये गये हैं। उसके लिए क्या आधार थे, वे ये हैं और वे उत्तर में बताये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

यात्री-कर

१५३. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर से निम्बाहेड़ा चलने वाली बसों से यात्री-कर के रूप में होने वाली औसतन मासिक आय कितनी है ?

(२) साल के वे मास कौन से हैं जिनमें यात्री कर की आय कम होती है और आय कम होने के कारण क्या हैं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) उदयपुर से निम्बाहेड़ा रूट पर चलने वाली बसों के यात्री-कर की मासिक आय औसत १६३० रुपया करीब है।

(२) वर्ष में जुलाई, अगस्त, सितम्बर के मास में आय कम होती है; इसका कारण यह है कि मंगलवाड़ से रास्ता कच्चा है, मोटरें मंगलवाड़ तक ही चलती हैं व कुछ मोटरों के रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट सरेन्डर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन महीनों में बिज़नेस के मन्दा होने से यातायात कम होता है।

श्री अब्दुलजब्बार : इनकम बढ़ाने के लिए आपने फाइनेन्स डिपार्टमेंट को सजेशन बताये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने उचित नहीं समझा।

श्री अब्दुलजब्बार : आपके डिपार्टमेंट को चार महीने तक लोस होता है, इसको पूरा करने के लिए कि यह नुकसान नहीं हो, सरकार के खजाने में इन्कम बढ़े, उसके लिए फाइनेन्शियल डिपार्टमेंट को सजेशन भेजें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके बारे में सजगता है, लेकिन आर्थिक संकट है; इसलिए नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

मन्दिरों की काश्त की जमीनें

१५४. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) मन्दिरों की आमदनी के लिये जो काश्त की जमीनें हैं उनको राज्याधीन करने का क्या तरीका है ?

(२) क्या यह सही है कि गांव मालासर, तहसील बीकानेर के मन्दिर की जमीनों को बिना कोई सुनवाई का मौका दिये हुए तथा बिना मुआवजे के राज्याधीन करके मन्दिर से इस साल लगान वसूल कर लिया गया है ? अगर हां, तो इस अवैधानिक कार्यवाही के लिये कौन जिम्मेदार है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) ऐसी जागीरें जो धार्मिक संस्थानों के काम में आती हैं उन्हें राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट, सन् १६५२ की धारा २१ के अन्तर्गत रिज़्यूम किया जाता है।

(२) जी हां। गांव मालासर के मंदिर की भूमि का गलतफहमी से लगान वसूल कर लिया गया है, जिसकी जांच हो रही है।

श्री भीमसेन : यह गलतफहमी किस स्तर पर पैदा हुई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसी की जांच की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): जिसको गलतफहमी हुई है वही जांच कर रहे होंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी नहीं।

सेन्ट्रल लाइब्रेरी, जयपुर

१५५. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि सेन्ट्रल लाइब्रेरी, जयपुर जो पहिले एक किराये के मकान में थी उसको महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी, जयपुर में शिफ्ट करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) यह लाइब्रेरी सन् १६५५ से पूर्व कब से कब तक कहां कहां रही ? क्या यह सही है कि यह लाइब्रेरी सन् ५५ से लेकर अब तक जनता के लिये नहीं खोली गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (क) जी हां। केन्द्रीय पुस्तकालय को महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय जयपुर में मिला दिया गया है। द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान में पुस्तकालीय सेवाओं के प्रसार एवं विकास के लिये आर्थिक कठिनाई के कारण केन्द्रीय पुस्तकालय को चलाने एवं उसके विकास के लिये आवश्यक स्थान, स्टाफ, पुस्तकें व अन्य सामग्री के लिये उचित प्रावधान की व्यवस्था के अभाव में उसे अलग से चलाना सम्भव नहीं हो पाया।

(ख) केन्द्रीय पुस्तकालय अप्रेल, सन् १६५६ में खोला गया इसलिये सन् १६५५ के पूर्व कहां कहां रहा इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

केन्द्रीय पुस्तकालय को आम जनता के लिये खोलने का उद्देश्य कभी नहीं रहा। इस पुस्तकालय के अपने विशिष्ट कार्य हैं।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

विशेषतः विभिन्न स्थानों एवं प्रकाशकों से पुस्तक सूचियां मंगवा कर राजस्थान के विभिन्न स्तरीय पुस्तकालयों के लिये उपयुक्त पुस्तकों की सूचियां तैयार करना, रैफरेन्स सेवा के लिये विभिन्न स्तरीय पुस्तकालयों के उपयुक्त रैफरेन्स पुस्तकों की लेन-देन के लिये पुस्तकों का संकलन व उनकी सूची तैयार करना, विभिन्न स्तरीय पुस्तकालयों को तकनीकी निर्देशन देना इत्यादि इत्यादि ।

श्री भैरोंसिंह : क्या ये सूचियां जो आपने इसमें बताई हैं कभी प्रकाशित की गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सूचियां प्रकाशित की तो नहीं, लेकिन प्रयास आरम्भ है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : १६५५ से अब तक ?

श्री भैरोंसिंह : १६५६ से अब तक प्रयास किया जा रहा है या १६५६ के बाद किया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रयास की बात है इसलिये जल्दी सम्पन्न कराने का प्रयास किया है ।

श्री भैरोंसिंह : प्रयास कर रहे थे, वह क्या महाराजा लाइब्रेरी में प्रयास चल रहा है या इसमें शामिल हो जायगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा विश्वास है, चूंकि दूसरे विषय का उसमें समावेश किया गया है इसलिये इस प्रयास का समावेश है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इसमें कितनी पुस्तकें हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पता नहीं कितनी पुस्तकें हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह लाइब्रेरी कहां से मिली थी ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): यह भागीरथ प्रयास कब से चालू है ?

श्री अध्यक्ष : केन्द्रीय सरकार की योजना के अन्तर्गत चालू की गई है ।

श्री भैरोंसिंह : केन्द्रीय सरकार की योजना के अन्तर्गत स्थापित की गई है, फिर इसमें शामिल क्यों हुई ? आप बतायें, कितना खर्च था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

श्री भैरोंसिंह : कितना रुपया अलॉट किया गया है और कितना खर्च होता था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सूची है, मैं नजर कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

जयपुर नगर के स्कूलों की मरम्मत

१५६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सन् १६६०-६१ में जयपुर नगर के स्कूलों की मरम्मत के लिए ७८ हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किये गये ? यदि हां, तो उस धन से किन किन स्कूलों की मरम्मत की गई और प्रत्येक स्कूल की मरम्मत के लिये कितना धन दिया गया ?

(२) जयपुर नगर में कितने प्राइमरी व मिडल स्कूल हैं और उनमें से कितने ऐसे स्कूल हैं जिनमें १०० से अधिक छात्र हैं ? कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखी जाय ।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(३) सन् १९६१-६२ में जयपुर नगर के स्कूल भवनों के विस्तार एवं उनकी मरम्मत के लिये कितना रुपया व्यय किया गया और उससे किन किन स्कूलों का विस्तार एवं मरम्मत हुई है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां। ७८ हजार की प्रशासनिक स्वीकृति नवम्बर, १९६१ में दी गई थी। इस धन की व्यय की फाइनेन्शियल स्वीकृति अभी तक नहीं दी गई है।

(२) सूची संलग्न है।

(३) १९९९ रुपये कच्चे भवन मरम्मत की ग्रान्ट में से तीन स्कूलों की शिक्षा विभाग की ओर से मरम्मत में व्यय किये गये। स्कूलों के नाम ये हैं:—

१. प्रार्थमिक शाला, नाहर बाड़ा, जयपुर	४१९ रुपये
२. प्राथमिक शाला, लक्ष्मण डूंगरी, जयपुर	५०० रुपये
३. प्राथमिक शाला, वाटर वर्क्स, जयपुर	१०५० रुपये

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अब तक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन क्यों नहीं मिली ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन तो उसकी हो गई, अध्यक्ष महोदय, फाइनेन्शियल सेंक्शन का प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह फाइनेन्शियल सेंक्शन क्यों नहीं मिली ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब आर्थिक स्थिति दूसरी आ गई इसलिए प्रश्न पैदा नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर का सवाल आता है और आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। डिपार्टमेंट की केयरलेसनेस से यह फाइनेन्शियल सेंक्शन नहीं हुई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ६४ हजार की एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन हुई, ऐसे वर्क इन हैंड थे कि सौ लाख की व्यवस्था होने पर भी पूरी व्यवस्था नहीं हो। ऐसी स्थिति में जब तक वर्क इन हैंड सम्पूर्ण नहीं हो जाय तब तक फाइनेन्शियल सेंक्शन की स्थिति पैदा नहीं होती और अधिक इसलिए नहीं पैदा होती कि इस वर्ष आर्थिक स्थिति ऐसी है इसलिए वर्क इन हैंड को ही पूर्ण करने की व्यवस्था है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन दी गई उस समय वर्क इन हैंड नहीं थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उस वक्त यह स्थिति थी, १९६१-६२ में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन होने के बाद हमने वापिस विचार शुरू किया कि यह व्यवस्था जो हुई है यह सम्पूर्ण कर भी दी जायेगी या नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मरम्मत के बिना बिल्डिंग की हालत कैसी है?

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री अब्दुलजब्बार : बिल्डिंग गिर जायेगी तो बच्चे मर जायेंगे। उसकी हालत ठीक होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

चरागाह भूमि

१५७. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत चरागाह सम्बन्धी नियमों में प्रति दो पशुओं के पीछे एक बीघा जमीन के हिसाब से चरागाह भूमि छोड़ने का प्रावधान है ?

(२) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का मुख्य धंधा खेती न होकर पशु-पालन ही है ?

(३) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की कोलायत, लूणकरणसर एवं बीकानेर तहसीलों में सरकारी बंजड़ जमीन प्रचुर मात्रा में है ? अगर हां, तो बीकानेर जिले के पशु-पालन धंधे तथा प्रचुर मात्रा में सरकारी बंजड़ जमीन के होते हुए सरकार प्रति पशु कम से कम एक बीघा जमीन के हिसाब से चरागाह भूमि छोड़कर पंचायतों के सुपुर्द करने को तैयार है ताकि पंचायतें चरागाहों को संभाल कर अपनी आमदनी बढ़ा सकें ?

(४) क्या यह भी सही है कि पशु पालन विभाग प्रति पशु कम से कम दो बीघा भूमि चरागाह के रूप में छोड़े जाने की राय रखता है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां।

(२) इस जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का मुख्य धन्धा पशु-पालन एवं खेती, दोनों ही हैं।

(३) इन तहसीलों के बहुत से गांवों म तो सरकारी बंजड़ भूमि प्रचुर मात्रा में है किन्तु कहीं कहीं सरकारी बंजड़ भूमि कतई नहीं है तथा कुछ में कम है। एक बीघा प्रति पशु जमीन चरागाह के लिये छोड़ने का अभी सरकार का विचार नहीं है। जो आधा बीघा का प्रावधान है वह पर्याप्त प्रतीत होता है। ग्राम पंचायतों की आमदनी बढ़ाने के अन्य साधन बहुत से हैं।

(४) जी नहीं। पशु-पालन विभाग की राय केवल निजी पशु-पालन फार्म्स को ही भूमि देने के सम्बन्ध में है जो कि सरकार के विचाराधीन है।

श्री भीमसेन : पशु-पालन विभाग से क्या यह सरकार को सिफारिश कर चुका है कि एक बीघा प्रति पशु के लिए भूमि हो ही बंजड़।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अर्ज किया कि वह फार्म के लिए सलाह दी है और वह विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

देवस्थान विभाग के मंदिरों के कर्मचारियों के सेवाओं सम्बन्धी नियम

१५८. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या मंत्री, देवस्थान विभाग उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या देवस्थान विभाग के अन्तर्गत जाने वाले मंदिरों में काम करने वाले पुजारी, पण्डे तथा अन्य प्रकार के कर्मचारियों की सर्विस के लिये कोई नियम हैं ? यदि हां, तो ये नियम कब से लागू हैं ? कृपया इन नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या देवस्थान विभाग द्वारा इन नियमों का पालन कराया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि श्री रिखब-देवजी के मन्दिर में पुजारी अथवा अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां इन नियमों के विपरीत की गई हैं ? यदि हां, तो किन-किन की और क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां। ये नियम ३-९-५९ को राजस्थान गजट में प्रकाशित किये गये। नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

कृषि योग्य सरकारी भूमि पर कृषि

१५९. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर नगर परिषद् सीमा में कितनी ऐसी कृषि योग्य सरकारी भूमि है जिस पर कृषि नहीं होती।

(२) क्या इस भूमि पर कभी कृषि हुई है? यदि हां, तो किन २ सालों में। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा की जाय।

(३) क्या सरकार ऐसी भूमि को बस्तियां बनाने के लिये देने का विचार रखती है? यदि हां, तो यह कब तक कार्य-रूप में परिणित होगा? और यदि नहीं, तो इस भूमि का क्या उपयोग किया जायेगा?

(४) क्या ऐसी भूमि पर लोगों ने आधिपत्य किया हुआ है?

(५) यदि किया हुआ है, तो सरकार की इस बारे में क्या नीति है और क्या सरकार अतिक्रमणार्थियों को बेदखल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उस भूमि का क्या किया जायगा?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना काफी लम्बी है।

श्री अध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास।

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स के मजदूरों को सुविधाएँ

१६०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार को विदित है कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स में मजदूरों के श्रम से उत्पादन बराबर बढ़ रहा है तथा मिल मुनाफे में चल रही है? यदि हां, तो फिर सरकार उन्हें फिर से श्रमिक कानून सम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधाएं क्यों नहीं प्रदान करती?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): सरकार को विदित है कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स के भारत सरकार के नियंत्रण में आने के बाद मिल का उत्पादन पहले से बढ़ गया है तथा मुनाफा हो रहा है लेकिन इसका कितना श्रेय मजदूरों को है तथा कितना मैनेजमेंट को, यह कहना कठिन है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुरलीधर व्यास: यह कहना कठिन किस प्रकार से है, आप यह फर्मायें कितना मजदूरों का है और कितना मैनेजमेन्ट का है। जहां तक प्रोडक्शन बढ़ाने का मैनेजमेंट को श्रेय है, तो इस बारे में स्पष्ट नीति है, किसका श्रेय है।

श्री अध्यक्ष: श्री भैरोंसिंह।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): सुनाई नहीं दिया। आवाज मिल गई भोंपू में।

Page No. 28

श्री मुरलीधर व्यास : कितना मुनाफा बढ़ गया है।

श्री अध्यक्ष : मुनाफा कितना बढ़ गया है, आपको कुछ अन्दाज है ?

श्री चन्दनमल बैद : यह तो भारत सरकार से पूछ कर बताया जा सकता है।

(१२ म० प०)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): प्रश्न यह था कि मुनाफा है तो उन्हें सुविधाएँ क्यों नहीं दी जातीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

सक्सेशन सर्टिफिकेट

१६१. **श्री भैरोंसिंह** (किशन पोल, जयपुर) : क्या मंत्री जागीर विभाग उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जागीर पुनर्ग्रहण के पूर्व जागीरदार की लाऔलाद मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा, दत्तक पुत्र या किसी अन्य उत्तराधिकारी को रेवेन्यू बोर्ड से सक्सेशन सर्टिफिकेट (Succession Certificate) लेना पड़ता है ?

(२) क्या यह सही है कि जागीर पुनर्ग्रहण के पश्चात जागीरदार की मृत्यु हो जाने के पश्चात् डिस्ट्रिक्ट ऑफीसर के द्वारा सक्सेशन सर्टिफिकेट (Succession Certificate) दे दिया जाता है ?

(३) यदि हां, तो इनमें यह अन्तर क्यों रखा गया है ?

(४) क्या सरकार प्रश्न (क) की श्रेणी में आने वाले जागीरदारों के लिये भी प्रश्न (ख) में आने वाले जागीरदारों की भांति ही व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उप-मंत्री, जागीर (श्री रामप्रसाद लढ्ढा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जागीरदार की मृत्यु उनकी जागीर खालसा हो जाने के पूर्व हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी का प्रश्न एग्ज़िस्टिंग लॉ (Existing Law) जिसका उल्लेख राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एन्ड रिज़ेम्प्शन ऑफ जागीर्स एक्ट, १९५२ की धारा २ (डी) में बतलाये गये कानून के अनुसार रेवेन्यू कोर्ट्स राजस्थान जागीर डिसिज़न्स (प्रोसीडिंग्स एन्ड वेलिडेशन) एक्ट, १९५५ के आधार पर करते हैं और यदि किसी जागीरदार की मृत्यु उनकी जागीर खालसा होने के पश्चात् होती है तो उसके उत्तराधिकारी का निश्चय जागीर रिज़ेम्प्शन की एक्ट की धारा ३८ के अन्तर्गत उनके पर्सनल लॉ के अनुसार की जाती है; इसलिए यह अन्तर रखा गया है।

(४) जी नहीं, क्योंकि दोनों प्रकार के मामलों के निपटारे के लिये अलग अलग कानून हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को मालूम है कि रेवेन्यू बोर्ड से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने में अत्यधिक दिक्कतों का मुकाबला करना पड़ता है और कई मामले ऐसे हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण बॉण्ड्स नहीं मिल पाये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रकार की जानकारी नहीं है। पर जिस प्रकार जागीर कानून के अन्तर्गत रिज्यूम होने से पहले मर जाते थे तो रूलर या राज्यपाल उसको डिसाइड किया करते थे वे अधिकार सरकार ने अपने पास न रख कर क्वाजी जूडीशियल वोडी रेवेन्यू बोर्ड है उसको दिये हैं। जनतान्त्रिक दृष्टि से यह व्यवस्था अच्छी है। हो सकता है इसमें डिफिकल्टीज हों पर इससे अधिक निष्पक्ष न्याय मिल सकता है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो कानूनी बात है। पर यदि बड़े बड़े जागीरदार रेवेन्यू बोर्ड से सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करें तो कोई खास दिक्कत नहीं पर छोटे छोटे जिनका चार सौ पांच सौ का मामला है वे लोग चार सौ पांच सौ के लिये रेवेन्यू बोर्ड में जा कर सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करें तो उन लोगों को जितना मिलता है उससे अधिक खर्चा आ जाता है। तो जिस प्रकार जागीरदारों की इन्कम के अनुसार केटेगरीज़ तय कर रखी हैं उसी प्रकार इसमें केटेगरी तय कर दें कि अमुक सीमा तक रेवेन्यू बोर्ड से और अमुक सीमा तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एस. डी. एम. से सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है, तो इससे छोटी रकम वाले लोगों को सुविधा होगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस बात को एग्जामिन करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

अल्प काल सूचना प्रश्न, श्री मुरलीधर व्यास।

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

डूंगर कॉलेज, बीकानेर में छात्रों की हड़ताल।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) डूंगर कॉलेज, बीकानेर में छात्रों की हड़ताल कब से किस बात को लेकर चल रही है?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधि मंडल, शिक्षा मंत्री व मुख्य मंत्री से मिला है?

(ग) जिस बात को लेकर विवाद चल रहा है उसका हल करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) हड़ताल २५ सितम्बर से आरम्भ की गई......

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो कॉलेज का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये आप शान्त रहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : कॉलेज से सम्बन्धित मंत्री महोदय जबाब दें।

श्री अध्यक्ष : आपको संतोष हो जायगा, आप शान्त रहिये।

उप मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) हड़ताल २५ सितम्बर से आरम्भ की गई नये विधान को लेकर।

(२) प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री से ७-१० को मिला।

(३) खास कर विवाद को हल करने में सरकार के सामने निम्नलिखित कठिनाइयां हैं :-

(क) विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता।

(ख) माल ट्रीटमेंट स्टॉफ मेम्बर के साथ २७-७-६२ को किया गया है।

(ग) विद्यार्थियों में इस आन्दोलन को शुरू करने में सहिष्णुता का अभाव।

(घ) संविधान की उपयुक्तता पर विचार।

ये चार प्रश्न सरकार के सामने विचार करने के लिये प्रस्तुत हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न तो यह है कि लड़कों ने उनका संविधान खुद बनाया है, उनके संविधान को मान्य करना चाहिये, उन्हीं के लिये है और उन्होंने बनाया है। उसको मान्य करने के सम्बन्ध में हड़ताल की गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हड़ताल संविधान को लेकर लड़कों ने शुरू की है।

श्री मुरलीधर व्यास : जो संविधान शार्दूलसिहजी के समय से चला आ रहा है, फिर उसको लागू करने में सरकार को क्या अड़चन है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर पुराने संविधान में और इस नये संविधान में थोड़ा सा फर्क है, इन्डाइरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन नये संविधान में प्रिंसिपल ने दिया है वह इसमें है और सबसे बड़ा अनुशासन का प्रश्न है अनुशासनहीनता को किसी तरह नहीं होने दें, इस प्रकार का संविधान हो तो कॉलेज की व्यवस्था ठीक चल सकती है। इसलिये इस प्रश्न पर विचार करना उपयुक्त है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या नया विधान पुराने विधान के मुकाबले में प्रतिक्रियावादी नहीं है। क्या नये संविधान के अनुसार प्रिंसिपल अपने हाथ में शक्ति नहीं ले लेता है कि जब चाहे यूनियन को खत्म कर दे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये दोनों तुलनात्मक दृष्टि पर आधारित हैं। इस पर भी सरकार विचार कर रही है कि कौनसा विधान कौनसी खराबी लिये हुए है। २८ तारीख को स्टाफ के मेम्बर के साथ दुर्व्यवहार किया और अशोभनीय बातें की गई। इससे ये सारे विचार स्थगित हैं इस प्रश्न पर।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : प्रिंसिपल द्वारा पुराने विधान को रद्द किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार को मालूम है कि गत वर्ष के पिछले वर्ष से आज तक वहां कोई हड़ताल नहीं हुई है। गत १० वर्षों से वहां यह विधान है और इस विधान के अनुसार कार्य अच्छी तरह से चल रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कारण सद्भावना है, कारण स्पष्ट है। संविधान को लागू करने के बारे में क्या स्थिति हुई; इसको कम करने के प्रयास में प्रिंसिपल महोदय संलग्न हैं।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ प्रश्न करने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द !

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : प्रश्न यह है कि संविधान में रद्दोबदल करने से पूर्व छात्रों को कॉन्फिडेन्स में लिया गया या नहीं ? छात्रों में अनुशासनहीनता की बात को विचारा जा रहा है तो मैं नहीं मानता कि अनुशासनहीनता किस चीज की की जा रही है, फिर ऐसी स्थिति, ऐसा प्रश्न ही क्यों पैदा हुआ ? संविधान को बदलने का अधिकार किसको है, यह देखना चाहिये और यह देखना उचित होगा कि इस प्रकार की स्थिति पैदा होने में प्रिंसिपल कहां तक जिम्मेदार है और कहीं छात्रों की अनुशासनहीनता के नाम पर संविधान को प्रतिक्रियावादी तो नहीं बनाया जा रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : विचार करते समय आपकी भावना पर विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री फूलचन्द जैन : प्रश्न यह है कि...

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि इस पर विचार किया जायगा तो इस पर आपको संतोष हो जाना चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा।

(१२ मध्याह्न)

पलाना कोयला खान में मजदूरों द्वारा कोयला काटने पर पाबन्दी लगाने विषयक याचिका

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं पलाना कोयला खान में मजदूरों द्वारा कोयला काटने पर पाबन्दी लगाने के सम्बन्ध में ६३ याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

सभापति तालिका हेतु मनोनयन

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम ६(१) के अन्तर्गत मैंने निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये मनोनीत किया है :–

(१) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(२) श्री भीमसेन

(३) श्री केसरीसिंह (८९)

(४) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

ग्राम बसाई नवाब (सब डिविजन धौलपुर) में डाकुओं द्वारा लूटपाट सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

दिनांक ५ अक्टूबर, १९६२ को धौलपुर सब–डिविजन के ग्राम बसाई नवाब में डाकुओं द्वारा लूटपाट करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री भैरोंसिंह ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी विषय पर एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री हरिशंकर

(श्री अध्यक्ष)

ने भी दी है और उन्होंने धौलपुर से आर० ए० सी० बटालियन हटाने के कारण बसाई नबाब ग्राम में डकैती पड़ना जाहिर किया है।

यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि इस पर सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर विचार किया जाय। अतएव मैं उपरोक्त दोनों स्थगन-प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

यदि गृह मंत्री उपयुक्त समझें तो आज या कल इस पर वक्तव्य दे दें।

अजमेर जिले में पुलिस की कार्यवाहियों सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

दूसरा स्थगन प्रस्ताव।

सर्व श्री विजयसिंह झाला, सम्पत्तिलाल बोहरा व हरिप्रसाद शर्मा ने इस आशय के स्थगन-प्रस्तावों की सूचना दी है कि अजमेर जिले में पिछले कुछ दिनों से निरन्तर पुलिस द्वारा इस प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही हैं जिससे वहां का नागरिक जीवन असुरक्षित हो गया है। यह मामला इतने अविलंबनीय लोक महत्व का नहीं है कि जिस पर सदा की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर विचार किया जाय। अत: मैं इन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की इजाजत नहीं देता हूं।

माननीय गृह मन्त्रीजी आज या कल, जैसी उनको सुविधा हो, इस पर चाहें तो अपना स्पष्टीकरण हेतु वक्तव्य दें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आज कर दें तो अच्छा होगा।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मेरा भी एक स्थगन-प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : उस पर भी विचार किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : अजमेर के सम्बन्ध में जो स्थगन-प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजमेर से लोग न्याय प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधान सभा की शरण में आये हैं। अगर उन शरणागत आये लोगों की बात भी न सुनी जाय और वे वापिस उसी प्रकार निराश हो कर लौट जायं तो फिर यह माना जायगा कि जिनके ऊपर एट्रोसीटीज़ की जा रही है उनको सरकार का समर्थन प्राप्त है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि गृह मन्त्रीजी उनको सुन लें नीचे जाकर। मैं और मेरी पार्टी के कुछ लोग मिल कर हम उनके सामने कुछ ग्रीवान्सेज़ रखेंगे वे उनको सुन लें।

एक मिनट में इस सम्बन्ध में और निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर इस प्रकार का राजस्थान का हिस्सा बन गया है कि जहां पर आर० पी० एस० के ऑफिसर्स औरतों के साथ बलात्कार करते हैं, बिना इन्क्वायरी करके सटोरिये मान कर पुलिस पकड़ कर उनका काला मुंह करके शहर में घुमाती है ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) यह तो भाषण ही शुरू हो गया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, जैसी व्यवस्था है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय गृह मन्त्रीजी क्या जवाब देंगे ?

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : अध्यक्ष महोदय, ११ बज कर १० मिनिट पर तो मुझे यह स्थगन-प्रस्ताव मिला है। इसमें जिन केसेज़ का उल्लेख किया गया है वे ६१-६२ के बिगनिंग से सम्बन्ध रखते हैं, अदालतों में सब-जुडिस भी हों, उनका अभी तो जवाब दिया नहीं जा सकता, मुझे इन्फोर्मेशन मंगवानी पड़ेगी और अजमेर से सम्बन्धित......

श्री भैरोंसिंह : इसमें नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : एक तो मसूदा कांड का है, दूसरा विजयनगर का है और दूसरे केसेज़ हैं, गांवों से सम्बन्धित है, उनको फाइलें अदालतों में हैं, तो वहां से मंगानी पड़ेंगी। इस सारी स्थिति को देख कर सूचना मंगानी पड़ेगी और उनको मंगा कर ही तो देख सकता हूं और कह सकता हूं। I will take a couple of days.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप नीचे जाकर उनसे बात कर लें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : अभी से क्या फायदा है, फाइलें तो मंगानी ही पड़ेंगी। गृह मंत्रीजी हमेशा तैयार रहे हैं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मौत हमारे शिर पर मंडरा रही है। पुलिस तैयार है, हम जैसे आदमियों को वह शूट करदे। यह उनका खुला चेलेंज है। हमारे पास इसके प्रमाण हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी के साथ ही बोलना चाहिये। 'काल मंडरा रहा है, मौत मंडरा रही है, पुलिस शूट कर देगी'; यह भाषा उनको शोभा नहीं देती।

श्री भैरोंसिंह : कब तक इत्तिला मिल जायगी ?

श्री मथुरादास माथुर : दो-तीन दिन में पेश कर दूंगा, ज्योंही मेरे पास आने पर।

श्री अब्दुलजब्बार : ढिलाई क्यों बरतते हैं ?

श्री अध्यक्ष : ढिलाई का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य हर बात हर समय कहने को तैयार हो जाते हैं।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह।

श्री हीराभाई : On a point of information, Sir, मेरा एक स्थगन-प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : मैंने जैसा बताया उसका उत्तर दिया जावेगा। उसके बारे में जानकारी की जा रही है और उसका सदन में उल्लेख किया जावेगा।

Page No. 34

स्टेट अण्डरटेकिंग्ज़ (राज्य देयताओं) पर विचार-विमर्श

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं, "कि स्टेट अन्डरटेकिंग्ज़ के ऊपर विचार किया जाय"।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इस पर मेरा एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है। यह जो प्रस्ताव है वह क्लीयर तो नहीं है तो किसके अन्तर्गत है ? लेकिन फिर भी प्रस्ताव के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी सदन के पास न हो. स्टेट अन्डरटेकिंग्ज़ के बारे में प्रस्ताव है और उस पर विचार किया जाने वाला है, अन्डरटेकिंग्ज़ की क्या बैलेन्स शीट है......

श्री अध्यक्ष : Order please ! यह कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव रखा है उस पर विचार किया जावेगा; उस पर सरकार विचार करेगी और जवाब देगी।

श्री मुरलीधर व्यास : उपलब्ध सामग्री देने की बात थी, वह इस प्रस्ताव के साथ नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष : यह तो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है उनसे पूछिये। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह : (अश्रव्य)

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय सदस्य क्या जानकारी देंगे, सरकार खुद दे, जिससे जानकारी हो सके और उसका उपयोग हो।

श्री अध्यक्ष : इस वक्त यह बात उठाने लायक नहीं थी। माननीय सदस्य को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने दें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं और यह समर्थन इसलिए करता हूं कि शायद राजस्थान की सरकार ही एक ऐसी सरकार होगी जो अपने अन्डरटेकिंग्ज़ के बारे में कभी सदन को कॉन्फिडेन्स में नहीं लेगी। आज लोक सभा में देख लीजिये, और देश की अन्य विधान सभाओं में देख लीजिये जितने स्टेट अन्डरटेकिंग्ज़ हैं उनके ऑडिटर्स की रिपोर्ट, डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट और ऑडिटर जनरल की उन अन्डरटेकिंग्ज़ के बारे में विशेष रिपोर्ट तैयार होती हैं वे सारी की सारी सदन के पटल पर रखी जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि राज्य सरकार ने अब तक इसके लिए कोई कोशिश ही नहीं की।

'स्टेट अन्डरटेकिंग्ज़' इस प्रकार का मसला है जिसमें स्टेट के हाथ में अन्डरटेकिंग्ज़ का पूर्णतया कन्ट्रोल या सुपरविज़न होता है, स्टेट का अधिक से अधिक रुपया उनमें लगा हुआ होता है, ऐसी हालत में स्टेट का अपना कर्तव्य होता है कि जिस राजस्थान की जनता का रुपया इन अन्डरटेकिंग्ज़ में व्यय करने जा रहे हैं साल में उनको एक दफा तो बतायें कि कितने रिटर्न्स हैं, किस स्थिति में वे अन्डरटेकिंग्ज़ चल रही हैं लेकिन राजस्थान की जनता की बदकिस्मती है कि न तो सरकार इसके लिये चेष्टा करती है और न आज तक किसी रूप में बेलेन्स शीट अथवा रिपोर्ट सदन में पेश की गई है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में ऐसी २० अन्डरटेकिंग्ज़ हैं जो

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार के अधिकार में चल रहे हैं। यदि मैं मोटे रूप में कहूं कि उन २० में से ३ में लाभ हो, बाकी १७ ऐसी हैं जिनमें प्रतिवर्ष सरकार को हानि उठानी पड़ती है। यह सबसे बड़ा सुबूत है कि सरकार उनकी व्यवस्था कर रही है। राजस्थान का कोई भी आदमी स्वीकार नहीं कर सकता है कि यह एक संतोषजनक व्यवस्था है और असंतोषजनक व्यवस्था हो तो सरकार का फर्ज़ होता है कि जहां असंतोषजनक व्यवस्था को दूर करने की बात हो उसको सदन में रखें और उसके लिए सदन के माननीय सदस्यों की राय लें और जो सरकार के सामने बाधायें हैं उनको दूर करने की चेष्टा करें। मोटे तौर पर गंगानगर शूगर फैक्ट्री, पलाना कोल माइन्स, साथ ही साथ राजस्थान रोडवेज़ आदि ये ८ मोटे आइटम्स हैं, मोटे तौर पर जिनमें लाखों रुपयों का खर्चा किया गया है। बाकी छोटे २ आइटम्स हैं; स्टेट होटल्स, राजस्थान के स्टेट हैन्डीक्राफ्ट्स, एम्पोरियम्ज और अन्य भी जो सरकार के अन्डरटेकिंग्ज़ हैं, सरकारी पैसा उनमें लगा हुआ है उनमें सिवाय घाटे के और कुछ नहीं मिलेगा। यह भी नहीं कि घाटा अचानक हुआ हो या एक साल में या दो साल में हुआ हो लेकिन जब से सरकार ने उनको प्रारम्भ किया है वहां से लेकर, एक दो वर्ष छोड़ दिये जायं, लेकिन उनमें निरंतर घाटा होता है और यह किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ के नीचे नहीं रहे हैं। मुख्य मन्त्रीजी चले गये हैं, ये मुख्य मन्त्री जी के पास रहे हैं। बदकिस्मती यह है कि मुख्य मन्त्रीजी जिस किसी विभाग को कन्ट्रोल करते हैं उनका प्रशासन उनसे नहीं चलता है। काम ज्यादा हो, या राजनैतिक दलबन्दी में फंसे हों; किसी में फंसे हों। उनको इस विषय की चिन्ता नहीं है। लेकिन हमें चिन्ता इस विषय की है कि राजस्थान सरकार उन संस्थाओं में रुपया लगाती है, उनको रिटर्न्स क्यों नहीं मिलते हैं, क्या बाधायें हैं और उनका किस प्रकार निराकरण किया जा सकता है। बदकिस्मती ऐसी है कि इन मसलों पर विचार नहीं किया जाता। इन सारे तथ्यों से हम यह अन्दाज लगा सकते हैं; आखिर इन उद्योगों की राजस्थान में क्या स्थिति है।

सब से पहले, मैं, गंगानगर शूगर फैक्ट्री, की मिसाल लेता हूं। यह सही है कि राजस्थान सरकार ने मुझे इस बारे में कोई लिटरेचर नहीं दिया, जो कुछ भी जानकारी मैं एकत्रित कर सका हूं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह शत प्रतिशत सही है। फिर भी मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जिस समय वे देखें कि मैं सही नहीं कह रहा हूं कृपया दुरुस्त करने की चेष्टा करें।

अध्यक्ष महोदय, ५६-५७ से लेकर आज तक इस गंगानगर शूगर फैक्ट्री के अन्दर जो प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन पर भारत सरकार ने एक एक्सपर्ट्स की कमेटी अपोइन्ट की थी ताकि अन्य राज्यों से इसकी तुलना की जा सके। भारत सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने जो ओपीनियन दी थी वह यह कि किसी भी शूगर फैक्ट्री को चलाने के लिये उसकी क्रशिंग केपेसिटी प्रतिदिन ९०० टन होनी चाहिये। लेकिन हमारी गंगानगर शूगर फैक्ट्री की जो क्रशिंग केपेसिटी रही वह इस प्रकार है :–

सन् ५६–५७ में	५७६ टन
सन् ५८–५९ में	५२८ टन
सन् ५९–६० में	७२६ टन

(श्री भैरोंसिंह)

कहने का तात्पर्य यह था कि आज तक भी यह फैक्ट्री उस एवरेज तक नहीं पहुंच पायी है। सरकार अभी तक उस एवरेज तक नहीं पहुंच पायी है, इसका मतलब यह हुआ कि कहीं न कहीं इसकी वर्किंग में गलती है। सरकार का इस पर पचास लाख रुपये का खर्चा है और इतने ही अमाउन्ट का हमने कर्जा ले रखा है। इतने इन्वेस्टमेंट के बाद भी हमें प्रोडक्शन कम नजर आता है। पिछले वर्ष में शूगर केन की क्रोप ठीक नहीं हुई। आज ही एक प्रश्न के उत्तर में माननीय उप-मंत्रिणी महोदया ने बताया, उससे ऐसा लगता है कि स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र के अन्दर गन्ने की पैदावार अधिक होती है किन्तु उस फैक्ट्री की क्रशिंग केपेसिटी कम होने के कारण पूर्णतया उसका उपयोग नहीं हो पाता। हमारे पास जो आंकड़े हैं उससे साफ जाहिर होता है कि दिन-प्रति दिन क्रशिंग केपेसिटी गिरती जा रही है और इसी कारण कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके लिए माननीय मंत्री महोदय से विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि एक तरफ प्रोडक्शन कम हो रहा है और दूसरी तरफ कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। यह मिसाल अजीबोगरीब है। आखिर गन्ने से कितनी शूगर निकलती है यह अहम मसला है। अगर इस पर हम ठीक प्रकार से विचार करके चलें तो इस बात की जानकारी मिलेगी कि हमारी जो प्रोडक्शन पॉवर है वह भी धीरे धीरे कम होती गई है :

५३-५४ में ८.५१

५४-५५ में ८.८७

५५-५६ में ९.४८

५६-५७ में ९.९०

५७-५८ में ९.२५

५८-५९ में ८.३

५९-६० में ८.५०

आगे के बारे में अभी तक अकाउन्ट्स नहीं दिये गये हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ५३-५४ में जहां प्रोडक्शन ८.५१ का था दस वर्ष बाद भी ६२-६३ में भी ८.५० से बढ़ा नहीं है, एक पोइन्ट कम ही है। इसके बावजूद हमारी राज्य सरकार ने इसमें काफी इन्वेस्ट कर रखा है, जितनी भी कैपिटल लगाई हुई है वह बहुत कम है। अगर उसी तरह की नई शूगर फैक्ट्री इन्स्टाल की जाय तो इससे चौगुनी रकम अब खर्च करनी पड़ेगी। इस समय जहां पच्चीस लाख रुपया खर्च किया गया है आज अगर इसी प्रकार की फैक्ट्री इन्स्टाल की जाय तो ७५ लाख रुपया खर्च होगा, इसके बावजूद भी हमारी सरकार इससे मुनाफा नहीं प्राप्त कर सकी। लाभ कैसे नहीं होता, यह समझने की बात है? कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम की जाय और क्रशिंग केपेसिटी ज्यादा बढ़ाकर शक्कर का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा किया जाय और इसके अलावा वहां की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है ठीक प्रकार से फंक्शन करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमें उसमें काफी लाभ मिल सकता है। मैंने कल ही इसकी बेलेंस शीट देखी है, मुझे उससे जानकारी मिली, वह मैं सदन में रखना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। राजस्थान सरकार ने एक कमेटी अपोइन्ट की थी, जिस कमेटी के अन्दर श्री एम० यू० मेनन चेयरमैन थे कमिश्नर ऑफ इन्डस्ट्रीज इसके कनूवीनर

(श्री भैरोंसिंह)

थे । डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर उसके मेम्बर थे व चीफ इन्जीनियर भी मेम्बर थे । रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी भी मेम्बर थे और एक चेम्बर के रिप्रेजेन्टेटिव श्री बी० एस० सूद जनरल मैनेजर, रिप्रेजेन्टेटिव थे । उन्होंने फीगर्स दिये हैं कि कितना सालाना प्रोडक्शन हुआ । माननीय मंत्री महोदय उसे जरूर नोट कर लें यह अहम मसला है :—

५५-५६ में १,७४,९७२

५६-५७ में १,८६,४९३

ये आंकड़े डिपार्टमेन्ट ऑफ इन्डस्ट्रीज़ एन्ड सप्लाइज़ की पुस्तिका में दिये गये हैं । इसके अलावा डाइरेक्टर्स की जो बैलेन्स शीट है उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जिस बैलेन्स शीट के अन्दर ये जो फीगर्स बताये हैं ये फीगर्स बदल दिये हैं । यह भी सरकार की रिपोर्ट है । उन फीगर्स की जगह गंगानगर शुगर मिल्स की तरफ से डाइरेक्टर्स जो रिपोर्ट निकालते हैं वे इस प्रकार हैं: १,८८,८२३.२५ और १,७४,९७२ मन थे । इन फीगर्स को देखने से पता चलता है उसमें १७०० मन कम होती है । एक तरफ तो हमारे सेक्रेटेरिएट वाले पुस्तक प्रकाशित करते हैं उसमें ये फीगर्स होते हैं और दूसरी तरफ डाइरेक्टर्स रिपोर्ट तैयार करते हैं उसमें सरकार का उत्पादन कम हो जाता है । घोटाले और गबन को जाने दीजिये, लेकिन जो १७०० मन का शक्कर का घोटाला है उसको नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता । १ मन शक्कर की कीमत ४४ रुपया हम लगाते हैं तो करीब १ लाख से ज्यादा का नुकसान तो इसी में हो गया, यह राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण हुआ है ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (मांडल) : यह आंकड़ों की गलती है ।

श्री भैरोंसिंह : अभी मैं टोटल करके बताता हूं । टोटल इसका आता है, २५,००० मन । जो डिफरेन्स है वह कुल आता है एक में १८६० मन और दूसरे में ६६७ मन । और यह २५०० मन का डिफरेन्स आता है कुल । २,५०० मन शुगर की कीमत ४४) और ४०) रुपये मन के हिसाब से भी लगावें तो एक लाख के करीब की रकम का घोटाला इस गंगानगर शुगर मिल्स में हुआ है । पर हमारी सरकार ने इस तरह के घोटालों की रोकथाम करने का अटेम्प्ट नहीं किया है अब तक ।

मैं यह मानकर नहीं चलता कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं । सरकार को रिपोर्ट पेश हुई हैं, मंत्री को, सेक्रेटरी को पेश हुई हैं । उन्होंने देखा है और बाकी के अधिकारियों ने भी देखा होगा इस रिपोर्ट को । पर हमारी सरकार बिल्कुल जैसे कान में तेल डालकर सो रही है, इस प्रकार चल रही है । उनको चिन्ता नहीं, एक लाख का घाटा हो जावे तो । मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह मामूली मसला नहीं है । इसमें क्लर्क या हैड क्लर्क फंसा हुआ नहीं है जिसके कारण कि आप हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट को इन्क्वायरी करने के लिये लगा दें और निश्चिन्त हो जावें । मैं कह दूं आपको कि इसमें बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ मिला हुआ है । मैं अगर यहां उनके नाम लूंगा तो फिर परम्परा का

(श्री भैरोंसिंह)

सवाल आवेगा कि यहां सदन में किसी अधिकारी का नाम लिया जा रहा है। पर मैं इतना और निवेदन कर दूं कि कुछ अधिकारियों ने जान-बूझ कर चालाकी की है, सरकार के खजाने में घाटा दिलाने की कोशिश की है। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इसकी जुडीशियल इन्क्वायरी की जावे। अगर जुडीशियल इन्क्वायरी की गई तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार का बड़े से बड़ा अधिकारी जो बड़े ओहदे पर बैठ कर शासन करने का नारा लगाता है, उसका प्रोसीक्यूशन हो सकता है। पर हमारी सरकार इसकी कब हिम्मत प्राप्त करेगी, यह प्रश्न आता है। मैं आशा करता हूं कि यह सरकार ऐसी हिम्मत प्राप्त करे। अधिकारियों के रौब-दौब में न आकर वह जल्दी ही इसकी जुडीशियल इन्क्वायरी करावे।

इसके अलावा यह भी कहना चाहूंगा कि इस गंगानगर शूगर फैक्टरी में तो ऐसा लगता है कि व्यवस्था और अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। नैट प्रोफिट जो उसको हुआ उसकी तालिका मैं आपको सुनाता हूं। ६१ में ४ लाख का प्रोफिट था, ६० में पांच लाख था और इसी प्रकार ५९ में ९ लाख और ५८ में ८ लाख था। अब आप अन्दाज लगाइये कि किस प्रकार यह लाभ शनैः शनैः कम होता गया? तो ऐसी स्थिति में हमारी सरकार को कम से कम यह तो विचार करना चाहिये कि आखिर हम जिस गति से बढ़ते जा रहे हैं उस गति से जो मुनाफ़ा मिलता था वह भी धीरे धीरे कम हो जावेगा। इसका भी कोई आधार फिर नहीं रहेगा। हमने इनमें जितनी पूंजी लगाई है उसमें यदि व्यापार के हिसाब से देखें तो व्यापारी जो भी इन्वेस्टमेन्ट करता है तो उसमें यदि उसको ९ परसेन्ट का लाभ नहीं होता है तो कभी भी वह पूंजी का इन्वेस्टमेन्ट नहीं करता। पर यहां तो उस परसेन्टेज का सवाल भी नहीं है। अब यहां तो एक-दो परसेन्ट का लाभ भी हो जाता है तो सरकार समझती है लाभ मिल रहा है। आखिर यह तो सरकारी महकमा ही है। पर सवाल यह पैदा होता है कि जब एक व्यापारी इतनी पूंजी लगा कर ९ परसेन्ट का लाभ उठा सकता है तो हमारी सरकार को ऐसी कौनसी दिक्कत है जिसके कारण वह एक-दो परसेन्ट का फायदा भी नहीं उठा सकती। मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने अन्डरटेकिंग्ज को आइडियल बनावें ताकि पब्लिक सैक्टर का नारा आपका कुछ आकर्षक बने। मेरी तो मान्यता है कि सरकार कितनी ही मेहनत करे, पब्लिक अन्डरटेकिन्ज के मुकाबले में प्राइवेट एन्टर-प्राइजर ज्यादा प्रोडक्शन करेगा और प्रोडक्शन के अलावा इसके साथ साथ बाकी की और भी सुविधाएँ ज्यादा दे सकेगा समाज और सरकार को। पर इस पर सरकार की देखभाल और कन्ट्रोल पूरी तरह होनी चाहिये नहीं, तो फिर वे स्वच्छंदता से कमाई करने की चेष्टा करते हैं। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वह अपनी मशीनरी को काफी टाइटन करे।

एक बदकिस्मती और है। पिछले दिनों में माननीय मन्त्री महोदय स्वीकार करेंगे

(श्री भैरोंसिंह)

कि भारत सरकार ने एक कोल कन्ज़म्पशन कमेटी अपोइन्ट की थी। उसने यह निष्कर्ष निकाला था कि भारत में कोई भी शूगर क्रशिंग फैक्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें गंगानगर शूगर फैक्ट्री के बराबर कोयला खर्च होता हो। इन मिलों में जितना भी गन्ना आता है उसका जो छिलका बचता है उसे भट्टियों में देकर आधा काम उससे ले लेते हैं। पर इसके बाद भी गंगानगर में इस शूगर मिल में कोयले का कन्ज़म्पशन कम नहीं होता है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी ने सिफारिश की है कि इसे कम कराया जाय। पर हमारी सरकार ने कोई ऐक्शन अभी तक इस बारे में नहीं लिया है। ऐक्शन लेना तो दर किनार रहा, पर अगर उसके कोल कन्ज़म्पशन के फीगर्स देखें तो पता लगेगा कि कम होना दूर, साल दर साल उसका कन्ज़म्पशन और अधिक से अधिक बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि वहां के अधिकारी यह समझ बैठे हैं कि इस कोल के ज्यादा खपत करने से ही कहीं शूगर का उत्पादन बढ़ेगा और फायदा होगा। पर ऐसी स्थिति है नहीं, राजस्थान सरकार के आर्डिनरी शेअर हैं। प्रिफरेन्स शेयर को और आर्डिनरी शेयरर को एक पैसा डिविडेन्ड का नहीं दिया गया। इसलिये नहीं कि सरकार पर कुछ बकाया है। प्रिफरेन्स शेअर १.३६ हजार के हैं। जब तक इन शेअर्स को देने के लिये एरियर है, ऑर्डिनरी शेयर को डिविडेन्ड दे नहीं सकते। हमारी सरकार इस स्थिति से भी गुजर रही है। कुछ करने की स्थिति में फिर भी वह नहीं है। मैं कहूंगा कि हमारी सरकार कम से कम मोटे रूप से इन सारी चीजों को देखे और यह सिद्ध करने की चेष्टा करे कि जो सरकार के हाथ में इन्वेस्टमेन्ट है वह सुरक्षित है।

उत्पादन के आंकड़े भी साथ साथ बताया करते हैं आप सबको। पर मैं बताऊं इसमें आपको शूगर का लाभ नहीं है। लिक्विड शराब के कारण से आपको लाभ होता है। वह देखकर आप कहते हैं कि आखिर इस शूगर फैक्ट्री में इतना लाभ हो रहा है। मैं कहूंगा कि आप यदि इन आंकड़ों की डिटेल में जावें और हरेक अमाउन्ट को आप देखें तो मालूम होगा कि शूगर क्रशिंग और शूगर प्रोडक्शन में फायदा आपको नहीं है। मोलेसेज़ बनते हैं उससे जो लिक तैयार किया जाता है और जिसे ऐक्साइज़ डिपार्टमेन्ट को दिया जाता है उसके कारण से लाभ होता है और इस तरह से इस शराब ने इस गंगानगर शूगर फैक्ट्री की इज्जत को बचा रखा है। नहीं तो, इस गंगानगर शूगर फैक्ट्री की इज्जत समाप्त हो जाती।

सरकार कहेगी कि उसे कुछ दिक्कतें हैं, वे क्या हो सकती हैं, मैं समझ नहीं पाया। पिछले दिनों यहां पर एक नेशनल शूगर मैन्युफेक्चरिंग इन्स्टीट्यूशन्स कानपुर के चीफ टैकनोलॉजिस्ट आये थे। उन्होंने हमारी इस शूगर फैक्ट्री की सारी मशीनरी को चैक अप किया था और इसके बाद बताया कि इस फैक्ट्री के अन्दर मशीनरी की अनऑथोराइज्ड रिपेयर हुई है। मशीनरी पर वर्क करने वाला और इसको जानने वाला आदमी नहीं है वहां पर और वे मशीनरी को रिपेअर कर डालते हैं।

(श्री भैरोंसिंह)

ओवरॉलिंग में जितनी मात्रा में तेल उस मशीन में डालना चाहिये वह उतनी मात्रा में वे तेल डाल नहीं पाते और इसके कारण मशीन बाद में जाकर इन्सीडेन्ट में टकराती है और वर्क बन्द हो जाता है। इसके कारण प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। पर बदकिस्मती ऐसी है कि पिछले दिनों में कोल्ड और हॉट वाटर चैनल बनाई गई। काम चालू किया गया तो चैनल में लीकेज हो गया और वह टूट गई। इस पर कन्ट्राक्टर को नोटिस दिया गया। कन्ट्राक्टर ने कहा, महाराज, पन्द्रह दिन तो इसको बनाये को पूरे हुए नहीं और आपने आज ही वर्क इस पर शुरू कर दिया तो फिर टूटेगी नहीं तो क्या होगा। मशीनरी वर्क पूरा पक्का नहीं होता तो इसे पहले ही उस पर इन्स्टाल करेंगे तो कैसे टिकेगा वह। और इसके कारण हमारी सरकार को तो ५५ हजार का नुकसान हो गया। ठेकेदार अपनी कीमत ले गया और इन्डस्ट्री को जो प्रोडक्शन होना चाहिये था वह भी नहीं हुआ मशीनरी खराब होने से वह भी रुक गया। ये तीन चीजें हो गई, पर सरकार की तरफ से ऐक्शन ले सकें ऐसी बात नहीं हुई। सिलन्डर टूल्स में खराबी पैदा हो गई, हमारी सरकार इसके लिये किसी की रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स करे ऐसी भी चेष्टा वह नहीं करती। इसलिये हम यह समझ कर चलते हैं कि गंगानगर शूगर फैक्ट्री से आप चाहे जितने प्रोडक्शन की बात बतावें, चाहे जितनी उम्मीद आगे की करके चलें आपकी वे सारी आशाएँ धूल में मिलने वाली हैं। मुझे याद है पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों पर बहस हो रही थी, रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर ग्रुप इन्डस्ट्रीज़ को देखा और देख कर इस नतीजे पर पहुँचा कि गन्ने का उत्पादन बढ़ा है और गिरा भी है। कृषि विभाग कहता है कि राजस्थान के उस क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन बढ़ता जा रहा है और यह इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट उसी सरकार का कहता है कि घटा है। दोनों सरकारी विभाग हैं, पर दोनों में आपस में कोई तालमेल नहीं। लोगों को बताने के लिये कि इस शूगर मिल में घाटा है इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट गन्ने के प्रोडक्शन को कम बता रहा है। पर कृषि विभाग अपनी करामात बताने के लिये उसे बढ़ा हुआ बताता है। सरकार को सही बात बतानी चाहिये और इसके लिये आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल इन पर इतना कठोर और कड़ा करना पड़ेगा कि ये एफीशियेन्टली वर्क कर सकें।

२३ हजार का गबन हुआ अभी। जो गबन करने वाले हैं मुमकिन हैं वे पकड़े गये हों।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): यह गबन ७० हजार का है।

श्री भैरोंसिंह: मेरे पास जानकारी २३ हजार की है। अगर सत्तर हजार है तो यह और भी खराब बात है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि २३ हजार के गबन के कल्प्रिट को आप दबा देंगे, मैं मान सकता हूं, पर इसमें जिनका कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लीजेन्स है ऐसे अधिकारियों को भी तुरन्त अगर आप इसके साथ सजा भुगतने में शामिल नहीं करेंगे तो आप यह

(श्री भैरोंसिंह)

मानकर चलिये कि ये गबन और भ्रष्टाचार और शिथिलता दिनों-दिन बढ़ते जावेंगे और इससे कई प्रकार के नुकसान भी हो सकते ?

अन्त में इस विषय में एक निवेदन और करूंगा। खर्चे के आइटम बता रहे हैं कि आपके यहां किस प्रकार के खर्चे होते हैं। आपने कुछ ट्रक्स खरीदे। दो डॉज ट्रक्स चालीस हजार के सन् ५७ में खरीदे, और मरसेडीज दो और ६१ हजार के फरवरी और अप्रेल ५७ में खरीदे, फिर ३ मरसेडीज ५७ में ६० हजार में खरीदे। इस तरह टोटल १,६२,६०८) के आपने सात ट्रक्स खरीदे। इन सात के खरीदने में तो आपका खर्चा हुआ है १,६२ हजार के करीब और अब मैं बताना चाहता हूं कि इन ट्रक्स के मरम्मत में इस गंगानगर शुगर फैक्टरी का कितना खर्चा हुआ है :—

५७ में ६,७२८)
५८ में २५,४८४)
५९ में ५८,७२६)
६० में ५३,४७६)
और ६१ में ६०,०००) रुपये

ट्रकों की कीमत है १,६२ हजार और मरम्मत पर खर्चा हो गया २,०७,०००) रु०।

जिस व्यवस्था को लेकर आप यह कहना चाहते हैं कि हम इन्डस्ट्री को बना करके चलें मैं उनसे यह भी पूछना चाहूंगा कि रिपेयर्स पर आपने खर्चा किया तो आपको यह जानकारी रहनी चाहिए...

श्री अध्यक्ष : यह रिपेयर्स के लिए है या डीज़ल का भी खर्चा इसमें शामिल है?

श्री भैरोंसिंह : डीजल का खर्चा नहीं है। वह मैं बता दूं कि रिपेयर्स का खर्चा है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : ४ लाख।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : फैक्ट है।

श्री भैरोंसिंह : इसलिए कहता हूं कि लाखों का घोटाला है। इतना ही नहीं मैं आपके ख्याल में लाना चाहता हूं कि जिस नम्बर के टायर पर आप खर्च करते हैं तो पुराने तो दे दिये जाते हैं और नये नम्बर का दे देते हैं। ट्रक्स यहां जयपुर में पड़े रहते हैं, उन पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लेबल लगे हैं। यह सरकार की प्रशासकीय व्यवस्था है ! हम देखते हैं कि लम्बे अर्से से वे मरम्मत के लिए जयपुर में पड़े हैं। सारे के सारे आउट ऑफ ऑर्डर में हैं। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल है या नहीं। एक डाइरेक्टर बना कर यानी इंडस्ट्रीज का डाइरेक्टर बनाकर काम उसके हाथ में न देकर सारा काम अपने हाथ में ले लिया है। मैं आशा करता हूं कि डाइरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज जो सारे राजस्थान की इंडस्ट्रीज की देखभाल करता है उसके पास काम बहुत ज्यादा होने के कारण जितना समय उनको लगाना चाहिए नहीं लगा पाता है तो वह भी हो सकता है, लेकिन सरकार को विचार करके चलना चाहिए कि हम इस सम्बन्ध में इतनी व्यवस्था करें कि जिस व्यवस्था के कारण किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गुन्जाइश नहीं हो और हमारा प्रोडक्शन बढ़ता रहे।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे रिज़ोल्यूशन पर ठीक प्रकार से विचार करें। साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की कोल कन्ज़म्प्शन कमेटी आई थी तो उसकी रिपोर्ट रखें। गंगानगर शूगर मिल के प्रोडक्शन के सम्बन्ध में भारत सरकार ने जो सलाह दी वह सारी सलाह इस सदन की मेज पर रखें ताकि उसके अनुसार सदन के माननीय सदस्य कुछ सुझाव प्रस्तुत कर सकें और वह रिपोर्ट किस प्रकार की है उस सम्बन्ध में कुछ अर्ज कर सकें। लेकिन उस सम्बन्ध में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी जा रही है।

दूसरा आइटम था पलाना कोल माइन्स का। यह इस प्रकार का मसला है जिसको मैं यह कहूं कि सरकार कुछ ऐसा समझ कर चल रही है कि यह हमारी सारी चीज भारत सरकार के गिरवी रख दी है। जब भारत सरकार इस विषय में करना चाहेगी तभी कर सकेंगे, अदरवाइज़ कोई स्टेप नहीं ले सकते; चाहे राजस्थान को किसी प्रकार का कितना ही घाटा क्यों न हो। मुझे याद है कि माननीय सदस्य जो डीडवाना से आये हैं उनकी अध्यक्षता में एस्टीमेट्स कमेटी ने हमारी सरकार को क्या क्या अच्छे अच्छे कमेंट्स दिये हैं। मैं समझता हूं कि कोई भी समझदार सरकार हो तो उसको समझना चाहिए कि कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि जिसमें इसके लिए एडवर्स कमेन्ट्स नहीं हों। उसके बावजूद सरकार, मैं ऐसा समझता हूं.........

श्री मोतीलाल चौधरी : नोट एडवर्स बट एक्चुअल फेक्ट्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : Adverse and actual both.

तो ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, जब पलाना के उत्पादन की बात करते हैं तो सन् ४८ में जब बीकानेर स्टेट के हाथ में पलाना कोल माइन्स का सुपरविज़न था तो ४८ के अन्दर इसका प्रोडक्शन जिस समय स्टेट कन्ट्रोल था, बीकानेर स्टेट का कन्ट्रोल था उस समय हमारा प्रोडक्शन पीक पर था और उस समय से आज तक वह गिरता आया है पिछले दो सालों को छोड़ दें जबकि उसमें कुछ प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन इन दो सालों में भी जो सन् ४८ में था उसको नहीं पहुंच सका है। यदि इसके आंकड़े देखना चाहें तो यह आंकड़े मेरे पास हैं। अगर मन्त्री महोदय चाहें तो मैं पढ़ कर सुना दूं।

४४ से ४६ तक वह ७२,३३१ टन था और उसमें ४८ के अन्दर हाइएस्ट था।

५० से ५७ तक ४५,१३३ टन का था, ५८ में १२,००० टन, १९५९ में १७,००० टन, ६० में ४०,००० टन और ६१ में ४४,००० टन।

इस तरह के प्रोडक्शन आपके आये हैं। ४८ में बीकानेर स्टेट के टाइम में जो प्रोडक्शन होता था वह हाइएस्ट था। उसके मुकाबले में अब तक आप तीन चौथाई तक नहीं पहुंचे हैं और न किसी तरह सम्भव भी है कि अभी दो-चार साल तक पहुंचे। १४ वर्ष से राजस्थान सरकार ने पलाना कोल माइन्स अपने हाथ में ली होगी। इन १४ वर्षों में लगातार घाटा खाया है। उसके

(श्री भैरोंसिंह)

पहले जो स्थिति थी बीकानेर स्टेट के टाइम में, रूलर्स के टाइम में जिनको हमारे कई मेम्बर्स इस तरह से गिनती करते हैं कि सामन्त थे; तो सामन्तों ने पूंजी से सन् ४८ के अन्दर जितना प्रोडक्शन करके बताया, आज जब कि खर्चा ज्यादा हो रहा है, कोस्ट आॅफ प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ती जा रही है और उत्पादन कम होता जा रहा है तो मैं समझता हूं कि वे इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते कि हमारी अयोग्यता के कारण प्रोडक्शन कम हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार यह कह रही थी कि हम ओपन कास्ट माइनिंग की व्यवस्था चालू करेंगे । बीकानेर स्टेट के टाइम में ओपन कास्ट माइनिंग की स्कीम चालू होने वाली थी । उन्होंने ८ लाख के करीब की मशीनरी जिसके आधार पर इस काम को आसानी से किया जा सकता है । उस समय से उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए रख दिये गये थे । ४८ से ही ओपन कास्ट माइनिंग वहां पर चालू करने का प्रिन्सीपल वहां पर स्टेट ने स्वीकार किया था और १४ वर्ष के बाद हमारी सरकार यह कहती है कि हम ओपन कास्ट माइनिंग की व्यवस्था को लागू नहीं कर सके हैं, और राजस्थान के मन्त्री महोदय चाहे कितने ही किसी प्रकार के आश्वासन दें ५ वर्ष से पहले ओपन कास्ट माइनिंग की व्यवस्था नहीं हो सकती है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में दो करोड़ की व्यवस्था की गई थी, उस २ करोड़ में से अभी तक एक नया पैसा भी खर्च नहीं किया गया है ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे यहां सके लिए ३,८७,००,००० रु० की व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था के अनुसार हमने पिछले वर्ष कुल १,२७,००० रु० का एलाॅकेशन रखा है । मैं समझता हूं पिछले और इन सारे वर्षों में खर्चे का १० परसेन्ट का हिसाब लगाकर यानि १० परसेन्ट खर्चा कम से कम प्रतिवर्ष हो जाता है तो वह १० पर्सेंट ३० लाख रुपया होता है और यह सरकार कुल कर रही है १ लाख का खर्चा । आप अन्दाजा लगाकर सोचिये कि फ्लाना ओपन कास्ट माइनिंग की व्यवस्था किस प्रकार से चालू हो जायगी ? वह नहीं हो पा रही है । हमारी सरकार कहती है कि भारत सरकार की सलाह मांगी है तो भारत सरकार ने सन् १९५९ में एक एक्स-पर्ट कमेटी ऐपोइन्ट की थी । उस कमेटी ने सुझाव दिये थे और उन सुझावों के अनुसार उसका एक वर्किंग प्लान बना था । वह कमेटी ५८ में नियुक्त की थी और ५९ मे उसने रिपोर्ट पेश की थी । कमेटी ने वर्किंग प्लान बनाया था कि किस समय तक मशीनरी के टेन्डर इन्वाइट किये जायं, किस समय वे खोले जायेंगे, और किस समय तक स्क्रूटिनी की जायेगी, किस समय तक मशीनरी मंगाई जायगी, और मशीनरी आने के बाद किस समय तक उसको लगाया जायगा और किस समय तक उसका ग्राउंड वर्क तैयार हो वह तैयार कर लिया जायगा और ग्राउंड वर्क करने के पश्चात् किस समय तक मशीनरी इस्टाल कर दी जायगी और किस समय तक कितना कितना प्रोडक्शन बढ़ता जायगा । इस तरह का वर्किंग प्लान उस कमेटी ने भारत सरकार को दिया था । उस प्लान के बारे में हमारी सरकार मौन रही है । हमारी सरकार यह कह सकती है कि अभी कुछ मशीने खरीदी हैं । वे मानते हैं

(श्री भैरोंसिंह)

कि हमने उसी एक्सपर्ट कमेटी की ओपीनियन के आधार पर कुछ ड्रिलिंग मशीनें खरीदी है। उनका यह हाल है कि उस कमेटी ने इस मामले में सिफारिश नहीं की कि ड्रिलिंग की मशीन डाइमण्ड कटर की होनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ने डाइमण्ड कटर की ड्रिलिंग मशीन खरीदी जिसके कारण से कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार उसका विश्लेषण करके विचार करे और कुछ मशीनें जो खरीदी हैं उनका किस प्रकार से उपयोग हो रहा है और कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाय, यह सारा नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो यह मैंने वर्क आउट किया है सारे मसले को किस तरह से कितना खर्चा होता है; यह मैं आपको बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार साथ ही साथ पहले यह कह कर चलती थी कि हमारे पास फर्स्ट ग्रेड माइनिंग इंजीनियर नहीं हैं। इसलिये जितनी गहरी खाई और जितना गहरा खड्डा खुदवाना चाहिये उतना खुदवाने की उनकी केपेसिटी नहीं है, इसलिए प्रोडक्शन गिरता जा रहा है। अब आपने फर्स्ट ग्रेड माइनिंग इंजीनियर की नियुक्ति करदी। लेकिन जिस समय से ये फर्स्ट ग्रेड माइनिंग इंजीनियर यहां पर आये हैं उस समय से या तो राजस्थान सरकार की बदकिस्मती समझिये या इन इंजीनियर महोदय की बदकिस्मती समझिये या जनता की बद-किस्मती समझिये, प्रोडक्शन गिरता जा रहा है और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। आप जरा सोचिये कि यह क्यों हो रहा है ? मैं समझता हूं मंत्रीजी गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि पहला काम तो उन्होंने यह किया कि ट्रेड यूनियन्स को आपस में कैसे लड़ावें। उन्होंने अपनी तरफ से एक यूनियन बनाई और जो यूनियन वर्षों से चली आ रही थी उसको डिसलोज करने के लिये दूसरी ट्रेड यूनियन को प्रोत्साहन दिया, उसका नतीजा यह हुआ कि उनकी उप-पत्नी उप-सरपंच चुनी गई....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): यह 'उप-पत्नी' है या धर्मपत्नी है ?

श्री भैरों सिंह : धर्म पत्नी है, लेकिन उप-सरपंच है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : उप-पत्नी की व्यवस्था कम्युनिस्ट पार्टी में होगी ?

श्री रामकिशन (वैर): आपके यहां भी है; उनके यहां ज्यादा है, आपके यहां कम है।

श्री भैरों सिंह : आखिर हम किस सीमा तक जाने वाले हैं। पिछले दिनों उन्होंने ट्रेलिंग की व्यवस्था की है, उससे ज्यादा भार पड़ने लगा है। उससे पहले कोल उठाने और उसको ले जाने की व्यवस्था पीस रेट पर थी, उससे हमारी सरकार को न मालूम क्यों दिक्कत महसूस हुई कि उसको बदल कर ट्रेलिंग की व्यवस्था की। ट्रेलिंग व्यवस्था से चाहे हॉलेज की वजह से, चाहे हैंड प्रोसेस की वजह से ९) रु० प्रति टन आते हैं जबकि पहले २ रु० ५० नये पैसे आते थे; लेकिन बदकिस्मती से सरकार के माइनिंग इंजीनियर ने लिख दिया कि ९) रु० प्रति टन खर्च होंगे, इस खर्च के अंदर ट्रेलिंग का काम होगा। पहले जो ट्रान्सपोर्ट का खर्चा

(श्री भैरोंसिंह)

था वह २ रु० ५० न० पै० होते हैं उसको सरकार ने बंद कर दिया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस स्थिति में इन चीजों को सब से ज्यादा जानकारी रखने वालों ने........

(१२.५२ म. प.)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, हमारे यहां यह आदेश था, मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने एक याचिका प्रस्तुत की है लेकिन इस बात का जिक्र करूंगा कि एक तरफ मजदूर उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारी सरकार उस पर बंधन लगाती है इस बात का कि उत्पादन ज्यादा नहीं बढ़ाया जाय । मजदूर यूनियन ने भारत सरकार के पास शिकायत की, भारत सरकार के ईंधन मंत्री के पास शिकायत करते हैं तो वे शिकायत नहीं सुनते । मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर यह क्या हो रहा है मजदूर कहते हैं कि हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और माईनिंग इंजीनियर साहब कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाओगे तो जेलखाना दिखा दूंगा । आखिर यह झगड़ा कब तक चलेगा ? आप कह दीजिये कि उत्पादन नहीं बढ़ाना चाहते । यदि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो पीस वेजेज़ के बेसिस पर मज़दूर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेंगे । यह या तो मजदूरों का अहित करने की नीति है या रुपये का दुरुपयोग करने की नीति है। कोई न कोई कमी जरूर है जिसके कारण उत्पादन आज रोक रहे हैं । माइनिंग इंजीनियर को अधिकार दिया है । वह कहते हैं कि उत्पादन इसलिये नहीं बढ़ता कि ओल्ड मेथड्स प्रेक्टिस में लाते हैं लेकिन सवाल ओल्ड मेथड का सवाल नहीं हैं, उत्पादन बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं । फलाना कोल का वेल्युएशन नहीं कराया, फलाना लिग्नाइट से कितना लाभ होना चाहिये, उसके क्या टारगेट्स हैं उनको एचीव नहीं किया । पहले ओपन कास्ट और ब्रेकेटिंग प्लान्ट का सवाल था । अब सुनते हैं पॉवर जनरेट करने के लिये थर्मल प्लान्ट लगाया जायगा और उसमें सारे कोयले की खपत होगी । आप कुछ भी करें । आप कुछ भी करें,. हम पहले सुनते थे कि माइनिंग कॉरपोरेशन बनने वाला है; अब कहते हैं कि फलाना लिग्नाइट बोर्ड बनने वाला है । लेकिन न कोरपोरेशन बनता है और न बोर्ड बनता है । यदि नहीं बनता है तो भी कोई फर्क नहीं होता । ऐसी हालत में राजस्थान को जो घाटा हो रहा है उसको रोकने के लिए इतनी चेष्टा की थी और जो कुछ फैक्ट्स सामने लाये हैं, जिन पर विधान सभा से सैंक्शन ली है, जो कुछ आश्वासन विधान सभा में दिये हैं उनको पूरा करने की चेष्टा करेंगे तो मैं आश्वासन दिला सकता हूं कि माननीय सदस्य आपके साथ रहेंगे और जिस प्रकार का सहयोग चाहेंगे वैसा मिलेगा ।

लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना में ओपन कास्ट की व्यवस्था होती नजर नहीं आती है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिस गति से आप चल रहे हैं । आपका रुपया यों का यों लेप्स हो गया जो दूसरी पंचवर्षीय

Page No. 46

(श्री भैरोंसिंह)

योजना में रखा था। अब आप नये मंत्री आये हैं। मैं आपसे अपेक्षा रख कर चल सकता हूं; क्योंकि मुख्य मंत्रीजी दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे इसलिए राजस्थान की बहबूदी के बारे में चिन्ता करने का समय उन्हें नहीं मिलता था, उनको अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए समय लगाना पड़ता है। अब सत्ता का झगड़ा समाप्त हुआ है, अब आपको राजस्थान की बहबूदी की चिन्ता करनी चाहिए और जो गलत चीजें हो रही हैं उनको रोकने की चिन्ता करनी चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहूंगा।

एक तीसरी मोटी बात है, राजस्थान के रोडवेज़ की। सभापति महोदय, सन् १९५९ के अन्दर राजस्थान सरकार ने यह तय किया था कि राजस्थान के कुछ रूट्स का नेशनेलाइज़ेशन करेंगे। जिस समय इस सरकार ने निर्णय लिया उस समय डट कर इस बात का विरोध किया गया कि राजस्थान में प्राइवेट ऑपरेटर्स जो अपनी बसेज़ चला रहे हैं उनको डिसलोज करने की आवश्यकता नहीं है; लेकिन कुछ रिसोर्सेज़ का पोइन्ट बनाकर यह निर्णय लिया कि आखिर इस ट्रान्सपोर्ट के द्वारा प्राइवेट पार्टीज़ को जो आमदनी होती है, वह प्राइवेट पार्टीज़ को न होकर हमारी सरकार को होनी चाहिए। इसलिए बहुत से ऑपरेटर्स ने भारत सरकार से निवेदन किया कि नेशनेलाइजेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, "ठीक है, नेशनेलाइज़ेशन नहीं होगा; लेकिन उसके साथ ही अगर नेशनेलाइज़ेशन सरकार करेगी तो सरकार को कुछ सिद्धान्त अपने सामने रखने पड़ेंगे"। वह सिद्धान्त क्या निर्धारित किया था, उसकी एक लाइन सुना देता हूं।......

श्री बृजसुन्दर शर्मा: फिर से पढ़ना।

श्री भैरोंसिंह: "Normally routes which are already being adequately served by private operators should not be nationalised." भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को लिखा। खैर, राजस्थान सरकार ने वह स्कीम अपनी बनाली और स्कीम किस बात के लिए। वह कहने लगी, जो भारत सरकार ने आदेश दिया है, उन्हीं शब्दों को यहां यों का यों रिपीट कर दिया है कि हम इस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब सर्विस प्रोवाइड की गई है उसको देखें और उसके कारण से सरकार को लाभ हो रहा है, उसको देखें तो ऐसा लगता है कि न तो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है और न सरकार को कोई लाभ होगा। सरकार को सन् १९६०-६१ में लाभ हुआ है केवल ५.४० प्रतिशत लाभ और १९६१-६२ में घाटा रहा है, शुद्ध घाटा बारह हज़ार का। जैसे शुद्ध लाभ होता है वैसे ही शुद्ध घाटा हुआ है बारह हजार का। यह जो १९६१-६२ में हानि हुई है बारह हजार की, यह कितने इन्वेस्टमेंट पर हुई है? उसका अन्दाज लगायें तो ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान में ऐसा कोई व्यापारी नहीं होगा जो इतने कम के लाभ के ऊपर इतने लाख रुपया खर्च कर दे। फिर सरकार कह रही है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमने फेज़ प्रोग्राम बनाया है, उसके अन्दर हम ज्यादा से ज्यादा रूट्स को लेंगे और उन रूट्स को लेकर उन पर बसेज़ चलायेंगे। बसेज़ की एक फ्लीट सरकार ने पिछले दिनों खरीदी। हमारी सरकार ने एक पर्चेज़ कमेटी अपोइन्ट की थी, एक एक्सपर्ट कमेटी अपोइन्ट की थी। उसकी राय थी कि बेडफोर्ड

(श्री भैरोंसिंह)

चेसिस न खरीदी जाय और हाई पॉवर कमेटी अपोइन्ट की थी, उसन भी राय दी कि बेडफोर्ड चेसिस न खरीदी जायं। हमारी सरकार ने भी हुक्म दे दिया कि बेडफोर्ड चेसिस न खरीदी जायं। मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी एक्सपर्ट कमेटी, हाई पॉवर कमेटी कहती है कि बेडफोर्ड चेसिस न खरीदी जायं, राजस्थान सरकार कहती है कि मर्सीडाइज़ कम्पनी कहती है कि सरकार ९० मर्केंडाइज़ चाहती है, वह देने को तैयार है। लेकिन फिर भी ३० चेसिस का ऑर्डर दे दिया और वह भी बेडफोर्ड चेसिस का और वे खरीदी जाती हैं......

अनेक माननीय सदस्य : डोज़, डोज़।

श्री भैरोंसिंह : वह डोज़ ९० देने के लिए तैयार है, लेकिन उतनी न लेकर तीस लेते हैं और वह भी बेडफोर्ड खरीदीं। वह क्यों है, इसमें क्या कारण है; वह या तो मंत्री महोदय जानते होंगे या जिससे खरीदी गई हैं वह जानता होगा। जनता में चर्चा है, और मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, लेकिन वह चर्चा मैं यहां कहना मुनासिब नहीं समझता हूं। अगर कोई जानकारी चाहें तो लॉबी में बता सकता हूं .....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): जानते आप भी हैं।

श्री भैरोंसिंह : जानता मैं भी हूं और जानते आप भी हैं।

श्री रामकिशन (वैर): छिपा भी दोनों रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कहने की दोनों में हिम्मत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, सेकिंड प्लान में ६३१ का नेशनलाइज़ेशन किया और १९६१-६२ में १४७ का नेशनलाइज़ेशन किया। टोटल यह लिया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, मैं उसका जिक्र नहीं करता। हमारी सरकार ने १९५९-६० में १०० और खरीदीं, स्पेयर पार्ट्स के साथ खरीदीं। ये सरकार ने ४४ लाख में खरीदीं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर मुझे कोई बस का परमिट मिलने वाला है तो उस बस के परमिट के पहले मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि मुझे आर० टी० ए० परमिट देती है या नहीं। उसकी सिक्योरिटी हो जाती है तो मैं गाड़ियों पर इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि सरकार करोड़ों रुपया खर्च करके चलती है लेकिन उसको अन्दाज नहीं होता कि जितनी गाड़ियां खरीदीं उनको यूटीलाइज़ कर पायेंगी या नहीं। यूटीलाइज़ नहीं कर पाती है तो आपका मनी आइडल रहता है। उस मनी के अन्दर से सेविंग का नाम नहीं, बल्कि घाटा रहता है। गाड़ियों की मशीन खराब होती है, चोरी होती है सामान की और डिटीरियोरेट होती जाती हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि आपने रूल्स प्रकाशित किये उसमें क्या डिफेक्ट रखा? आपने जांच की कि इस डिफेक्ट को रखने के पीछे कोई राज तो नहीं है? आपने नेशनलाइज़ेशन का नोटिस इश्यू किया, उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए सात दिन का समय रखा। उसके कारण लोग हाई कोर्ट में गये। आप सुप्रीम कोर्ट में गये। इसकी वजह से

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार को नुकसान होता है तो पहले ही सरकार एक महीने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती तो उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होती । सुप्रीम कोर्ट में लड़ती रही और हार कर आई और फिर दूसरा नोटिस इश्यू किया। इतने दिन तक लोगों ने गाड़ियां चलाईं और खूब चलाईं जब कि सरकार का इन्वेस्टमेंट हो गया और गाड़ियां खरीद ली गई और वे जयपुर ब्रिज के पास में पड़ी गाड़ियों में आते जाते मुसाफिरों को दिखाती रही– जनता, तुम्हारी गाढ़ी कमाई का पैसा राज्य सरकार इस तरह बरबाद कर रही है, तुममें हिम्मत हो तो इस पैसे को बचाओ । गाड़ियों में आते जाते लोगों ने इस गाड़ियों की फ्लीट को खड़े हुए देखा है और उन्हें ऐसा लगता था जैसे भारत की सीमा की रक्षा के लिए नेफा के लिए ये ली गई हैं और सरकार ने रिक्वीज़ीशन करके इनको यहां इकट्ठा किया है ।

मैं पूछना चाहूंगा सरकार से, वर्तमान मंत्री से पूछना चाहूंगा कि आपके रोडवेज की हालत क्या है ? आपकी किसी गाड़ी की अभी तक हिस्ट्री शीट नहीं बन पाई है । किसी एक गाड़ी की भी हिस्ट्री शीट नहीं है कि कितनी गाड़ियां कब रवाना हुईं, कब ली, कितना डिटोरियोरेशन हुआ है, कितनी मशीनरी खराब हुई, किसकी कितनी केपेसिटी है । यह हिस्ट्री शीट किसी की भी पूरी नहीं है । यह भी नहीं है कि पर-मील कोस्ट ऑफ ऑपरेशन क्या आता है, यह भी डिटर्मिन नहीं किया । इसके साथ ही जो एक्सीडेंट होते हैं, उनके बारे में भी आपने कोई निर्णय नहीं लिया कि एक्सीडेंट के कारण क्या हैं और इसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए ।

आपने पिछले दिनों टिकट बुक्स की व्यवस्था करने की बात कही, वह नहीं हुई । जो कैशियर है, उसकी सिक्योरिटी नहीं ली । जोब्स कार्ड नहीं बनाये । यह व्यवस्था चल रही है । मैं पूछना चाहूंगा, आखिर यह छोटी बात है ? अगर किसी ऑफिसर को कह दें कि वर्किंग के बारे में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, वे पूरी होनी चाहिए तो उन चीजों की पूर्ति नहीं होती है ।

राजस्थान के डाइरेक्टर, प्रिन्टिंग एण्ड प्रेस, जो कि माननीय मंत्री महोदय के अधीन हैं, उनको हुक्म दिया जाता है कि राजस्थान के दो वर्ष के लिए टिकट प्रिन्ट कराओ । आपको याद होना चाहिए और ध्यान होगा कि राजस्थान सरकार ने पिछले दो-तीन वर्ष पहले डाइरेक्टर, प्रिन्टिंग एण्ड प्रेस को इस बात की सेंक्शन दी थी कि वह टिकट छपाने के लिए मशीन खरीदे । वह मशीन खरीदी गई और अलवर की प्रेस में भेज दी गई और जब टिकट छपाने का काम करना हुआ तो उस मशीन को ट्रक में रख दिया गया और जोधपुर छोड़ दिया गया । मैं नहीं समझता कि जिस चीज के लिए मशीन-खरीदते हैं उसका उसके लिए उपयोग क्यों नहीं होता ? वहां नहीं हुआ, फिर टिकट छापने का एक प्रेस को कॉन्ट्रेक्ट दिया गया कि एक लाख टिकट छापे । वह दो वर्ष के के लिए कॉन्ट्रेक्ट हुआ है । इस फर्म का नाम है भारत प्रेस । इसे कॉन्ट्रेक्ट दिया गया । वह फर्म क्या है ? इसके बारे में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य बतावेंगे, मैं तो केवल स्थिति बताने की स्थिति में हूं कि

(श्री भैरोंसिंह)

जितने टेन्डर्स इन्वाइट किये गये, यह सही है कि उसकी लोएस्ट रेट थी । लोएस्ट रेट किस हालत में थी यह मैं आपको बताना चाहता हूं। जब १७" × २७" का साइज़ था । मैं फिर देख लेता हूं कहीं कोई गल्ती तो नहीं हैं। (देखते हैं) पहले इसका साइज था १७" × २७" ÷ ४-२१; यह कागज की साइज़ थी । इतने के बराबर टिकट । इसके आधे हिस्से के टिकट बनते हैं। (कागज का साइज दिखाते हुए) बाद में जाकर उसको बदल दिया गया । एक कागज में जहां पहले ८४ टिकट बनते थे वहां पर उन्होंने ४८ टिकट बनाने की आज्ञा दी । इससे नतीजा यह होता है कि प्रिन्टिंग वर्क तो ज्यादा हो जावे और उसको पैसा भी ज्यादा मिल जावेगा । इससे ऐसा मालूम होता है कि डाइरेक्टर, प्रिन्टिंग एन्ड स्टेशनरी, प्रिविलेज क्लास की पोजिशन में है । उनको तो सर्टीफिकेट दिया हुआ है; खूब खाओ, चाहे कागज खाओ, चाहे मजदूरों को खाओ, चाहे मशीनों को खाओ, खाते रहो किसी की चिन्ता मत करो, तुम्हारे पीठ के पीछे सत्ता है । यह नहीं कि कोई एक मंत्री हो । मंत्री तो आज है और कल नहीं । वे आते है और जाते हैं और सड़कों पर घूमते-फिरते हैं और कोई मोटरों में घूमते है । मगर विधान सभा के सदस्य बदस्तूर रहते हैं । अगर कोई एक चला जाता है तो दूसरा उसकी जगह आलोचना करने वाला आता है । जो बैठे हुए होते हैं वे इसी प्रकार से रहते हैं । हम जानते हैं कि कुछ सरकारी अधिकारियों को अनुचित रूप से प्रोटेक्शन दिया गया है । पहले एक प्रिविलेज डिपार्टमेन्ट था उससे लड़ते हुए आ रहे हैं । उस पर तो एक मंत्री की कृपा थी, मगर इन पर तो किसी एक मंत्री की कृपा नहीं सारे मंत्रि-मंडल की कृपा है । इसलिये इन पर कोई भी कानून लागू नहीं होता, चाहे जितना ही खर्चा करें ।

मैं सरकार से थोड़ा यह कहना चाहूंगा कि आखिर किसी चीज की सीमा होती है । मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जयपुर अजमेर का रूट नेशनलाइज्ड नहीं है । यह पोलिटिकल रूट है । सबसे पहले इसको नेशनलाइज करने को था मगर इलेक्शन का नतीजा निकलने वाला था इसलिये यह रूट नेशनलाइज़ नहीं हुआ । इलेक्शन २७ तारीख को समाप्त हुए । वैसे माननीय मंत्री महोदय को पूरी जानकारी होगी कि जयपुर अजमेर रूट पर परमिट की मियाद ४ जनवरी को समाप्त होती थी । सरकार को कोई अधिकार नहीं था कि वह मियाद बढ़ावे । मगर वोट लेने के लिये सरकार ने उसकी मियाद ४-१-६२ से ४-२-६२ तक बढ़ा दी । इस बात को वे भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं । लेकिन ४ फरवरी को चुनाव समाप्त नहीं होने वाले थे । इसलिये वह मियाद २७ तारीख तक बढ़ाई गई । जब नतीजा निकला और कांग्रेस हार गई, गाड़ियां हार गईं; नेशनलाइज़ रूट एक तारीख से चालू हो गया । मैं यह निवेदन करूंगा कि यह क्यों ? मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे सरकार को नुक्सान हुआ है । सरकार को उन गाड़ियों को ऑल्टरनेट रूट देना पड़ा जिनका कानून के अनुसार कोई क्लेम नहीं था, उनको भी सरकार ने दूसरा आल्टरनेट रूट दिया है । इसके अलावा उन लोगों को परमिट देने की जरूरत नहीं थी जिन

(श्री भैरोंसिंह)

की गाड़ियें नहीं थीं और जिनका नाम ब्लैक लिस्ट में था उनको भी रूट दिये गये। लेकिन जो गरीब आदमी थे उनको परमिट नहीं दिया गया और न दूसरा रूट ही दिया गया।

इसके अलावा, आपकी रोडवेज़ है वह भी एक समस्या बनती जा रही है। आगे बैठने वाले या पीछे बैठने वाले सारे के सारे रोडवेज़ को गालियां देते हैं। जब कोई एम० एल० ए० बैठा होता है तो ज्यादा गालियां देते हैं। रोडवेज़ वालों को गाड़ी रोकने का समय नहीं है। सड़कों पर सवारियां खड़ी रहती हैं और गाड़ी में जगह होते हुए भी गाड़ी रुकती नहीं है; कन्डक्टर टिकट काटते नहीं हैं। उनकी जेब में टिकट पड़े रहते हैं। जिस समय इस संबन्ध में कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो मंत्री जवाब नहीं देते। फिर क्यों कोई रोडवेज़ में बैठे। मैं यह कहूंगा कि प्राइवेट ओपरेटर्स रोडवेज़ से कम पैसा किराए का लेते थे। आपसे ४५ परसेन्ट कम पैसे लेते हैं। जब आपका यह शिड्यूल बना तो जनता पर यह भार था; तो प्राइवेट वालों ने इसको महसूस किया था और हमारी सरकार ने इसकी कोई परवाह नहीं की। इसके अलावा जिस समय कोई मुसाफिर उनको आता हुआ दिखाई देता तो फौरन वे उसका सामान लेकर आते और अपने हाथों से उस सामान को गाड़ी में छत पर रखते थे और यह कहते थे कि जिस जगह आप उतरेंगे, सामान उतार दिया जावेगा। लेकिन आज हम जब जाते हैं तो रोडवेज़ वाले कोई परवाह नहीं करते; न तो कोई खलासी है न कोई दूसरा आदमी जो सामान को ऊपर छत पर रखे और उतारने के स्थान पर उतारे। हमको ही स्वयं अपने सामान को उतारना और रखना पड़ता है। अगर गिर गये तो होस्पिटल में जाना होगा। सामान टूट जाए तो नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा रास्ते में सवारियें खड़ी हैं। उनको उठाया नहीं जाता है, कन्डक्टर चला जाता है।

इसके अलावा मैं एक बात यह कहूंगा कि पिछले दिनों में मैंने यहां के कुछ डिपोज़ हैं उनके बारे में जानकारी करने की कोशिश की तो मालम हुआ कि हमारे यहां से दिल्ली से कमल एन्ड कम्पनी की मारफत कुछ माल खरीदा, जो किसी दूसरी फर्म से खरीदना था। उसने सारा का सारा माल जापानी सप्लाई कर दिया। लेकिन हमारी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। उस माल को स्टोर में रख दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें खर्चा कितना हुआ? आपको मालूम होगा कि एक भी आइटम खर्च नहीं हुआ।

मैं यह कहूंगा कि आपने जापानी सामान क्यों स्टोर में डाला? इसी प्रकार एक मशीन है वह गाजियाबाद से आई। ३०-३१ मार्च को डी० एल० जी० ३१७५ से यहां आई। इसी तरह से डीलक्स का ५ लाख का सामान खरीद कर रख लिया गया है। ऐसे हैवी पार्ट्स खरीद लिये गये हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं। आपको उन लोगों को ओब्लाइज करना था जिसके कारण आपने सामान खरीदा। अगर आपको उन्हें ओबलाइज करना ही था तो प्राइवेट केपेसिटी में आप उनको ओब्लाइज करते। सरकारी चीज़ों में ओब्लाइज करने लगे तो सरकार को नुकसान होगा।

Page No. 51

(श्री भैरोंसिंह)

ऐसी हालत में मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी गाड़ियों के ड्राइवरों को टूल्स संभलाये थे वे टूल्स कितने ड्राइवरों के पास मौजूद हैं और कितनों ने उसकी रसीद दी है। आप कहते हैं कि ड्राइवरों को हमने टूल्स दे दिये और ड्राइवर कहते हैं कि उनको टूल्स नहीं मिले। वे कहते हैं कि हमें अगर आपने टूल्स दिये हैं तो रसीदें दिखाओ उनको रसीदें नहीं दिखाई जाती और यह कहा जाता है कि तुमको टूल बोक्स दे दिये गये हैं। इसके अलावा आपने कभी इस बात की भी जांच की है क्या कि होर्न गायब है? आपके यहां पर कट आउट गायब है, शेल्स गायब है। समझ में नहीं आता कि जब आपकी गाड़ियें काम में नहीं आई फिर ये सामान गायब कैसे हो गया ? हो सकता है, अगर गाड़ियें काम आती तो वे टूट सकते थे। मगर जब गाड़ियें पड़ी हैं तो फिर उनके होर्न कहां चले गये ? वे तो तेज बोलने चाहिएं, मगर वे आज गायब हो गये हैं।

एक माननीय सदस्य : टायर भी गायब हो जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा है कि जब किसी को टायर बदलने पड़ते हैं तो उसको पुराना टायर दे देते हैं और उसको बदलने में दो तीन दिन लग जाते हैं। इस तरह से टायर और ट्यूब बदल दिये जाते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : ऐसा कभी किया भी है क्या?

एक माननीय सदस्य : आपको पुराना तजुर्बा मालूम होता है।

श्री भैरोंसिंह : मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस सारे मसले को व्यक्तिगत रूप से देखने की कोशिश न करें। मैंने इसलिये कहा है कि इस प्रकार की जो कार्यवाही होती है उसको रोकने की हमें व्यवस्था करनी होगी। आज अगर मैं यह कहूं कि आप नेशनलाइजेशन की स्कीम को समाप्त कर दें मगर आप इसको समाप्त नहीं कर सकते। मैं यह कहूँगा कि आप इसको पंजाब के पेटर्न पर लागू कर दें। भारत सरकार की तरफ से कमेटी की जो रिपोर्ट इस बेसिस पर है उसके पेटर्न पर चलावें।

माननीय अध्यक्ष, जयपुर-अजमेर, जयपुर-देवली और जयपुर-आगरा, जयपुर-भरतपुर के रूट को नेशनलाइज कर दिया। लेकिन मुझे डर लगता है कि अजमेर से आगे उदयपुर को नहीं जाता है। उदयपुर में राजनैतिक कारणों से नेशनलाइजेशन आफ रूट्स नहीं हो रहा है। तीन वर्षों में उदयपुर में छोटे २ रूट्स का नेशनलाइजेशन हुआ है। उन छोटे २ रूटों पर नेताओं की गाड़ियें नहीं है और जहां जहां नेताओं के रूट हैं वहां पर उनको नोटिसेज़ दिये जाते हैं। यदि आप उन रूटों को नेशनलाइज नहीं करना चाहते तो फिर फिजूल पैसे का खर्चा क्यों करते हैं। आपको कह देना चाहिये नेशनलाइजेशन इन रूटों का नहीं करेंगे। उन गाड़ियों की रूटों का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है जब दूसरे लोगों को मत आते हैं और उनको नहीं आते।

तो यह मैं आपकी जानकारी के लिये कहूंगा कि इससे बहुत बड़ा एक्सप्लोइटेशन होता है। कोई व्यक्ति इसके पैसे लें या न लें। हो सकता है कि आप न लें मगर सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

के कुछ आदमी जैसा की ऑपोजिशन में चर्चा है, कि नेशनलाइजेशन के विरोध में चन्दा इकट्ठा करते हैं। यह मेरा काम नहीं कि मैं जांच करके आपको बताऊं कि उसने नेशनलाइजेशन के विरोध में चन्दा इकट्ठा किया; लेकिन मैं यह कहूंगा कि जो ईमानदार हैं वे इसकी जांच करें कि यह पैसा जो इकट्ठा किया जा रहा है वह जाता कहां है? यदि आप इसके बारे में प्रमाण चाहते हैं तो मैं प्रमाण देने को तैयार हूं कि कितना चन्दा इकठ्ठा किया गया और वह कहां गया। देनेवाले इसको जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह चन्दा इलेक्शन में खर्च हुआ है। इलेक्शन की बातें मैं यहां नहीं करूंगा, मगर मैं यह अवश्य कहूंगा कि अगर रोडवेज़ के अन्दर जो गड़बड़ियें हैं उनको नहीं रोकने की कोशिश की तो एक दिन वह आयेगा कि रोडवेज़ को लोग सड़क से गुज़रने नहीं देंगे। सड़कों पर खड़े हो जायेंगे और उसको उधर से निकलने नहीं देंगे। जैसे कि वे आज चेष्टा कर रहे हैं।

इसके अलावा वहां के कर्मचारियों के और मैनेजर के बीच में सर्विस रूल्स और बोनस के सम्बन्ध में झगड़े चल रहे हैं। रोड़वेज़ के कर्मचारियों ने एक प्रस्ताव पास किया है कि यहां पर बहुत भ्रष्टाचार है। ऐसा प्रस्ताव किसी भी विभाग के कर्मचारियों ने पास नहीं किया है। लेकिन रोडवेज़ के कर्मचारियों ने प्रस्ताव पास किया है कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार है, उसको रोका जाय। मेरे पास भी उस प्रस्ताव की कॉपी आई है, और लोगों के पास भी उसकी कापियां गई हैं। मेरा छठा नाम है। मेरे से पहले ५ के पास कॉपियां गई हैं, उनमें मन्त्री महोदय, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य मंत्री आदि हैं। पेपर्स में भी छपी है। अगर चाहें तो कटिंग भी मैं सेवा में प्रस्तुत कर सकता हूं। मैं व्यक्तिगत आलोचना की दृष्टि से नहीं कहता, पर हमारा पैसा खर्च हुआ है, जनता का पैसा खर्च हुआ है; इसलिये इसमें सुधार करने की चेष्टा करें।

डीडवाना सोडियम सल्फेट—वह भी हमारी सरकार का अन्डरटेकिंग है। इसके बारे में सरकार क्या कह रही है? ३१ हजार का केपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें ५७ में था, ५९ में वह १३ लाख का हो गया। अब प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट के आंकड़ों को कम्पेरिज़न की दृष्टि से देखें तो पता चलेगा कि जब ५७ में ३१ हजार का इन्वेस्टमेंट था तब ५,४३,१६१ का प्रोफिट हुआ और जब ५९ में १३ लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ९१,१६० रहा। आप अन्दाजा लगा कर चलिये कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज्यादा प्रोफिट मिलना चाहिये। अभी मन्त्री महोदय कह कर गये कि इसके लिये मशीनरी आ गई है, उस समय मशीनरी खरीद कर नहीं आई थी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मशीनरी भी आखिर सरकार ही खरीदती है। जिस मशीनरी को लगाये बगैर काम नहीं चल सकता था, उसको नहीं लगा कर उस मनी को आइडल क्यों पड़ा रखा गया, क्यों ढिलाई के कारण उसकी चिन्ता न की गई?

डेगाना के बारे में भी यही हाल है, प्रोस्पेक्टिंग का हाल ढिलाई से चल रहा है। डूंगरपुर फ्लोराइट में भी खर्चा हो रहा है, इसके बारे में जब जानकारी देने की स्थिति

(श्री भैरोंसिंह)

होगी तब देने की कोशिश करूंगा ।

अब मैं कुछ स्टेट होटल्स और स्टेट एम्पोरियम्स के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। स्टेट एम्पोरियम्स के माने लोस है। एम्पोरियम शब्द जैसे लोस का पर्यायवाची शब्द है। सरकार की स्टेन्डर्ड की चीजें बिकती नहीं हैं और इन एम्पोरियम्स से लोस होता है। सरकार कहेगी कि हमारे ही नहीं, सब के घाटा लगा है। दो वर्ष पहले आपने यही बात कही थी। इसकी मैंने जांच की, साथियों को पत्र लिखे कि उनके वहां स्टेट एम्पोरियम्स के क्या हाल हैं? सब जगह से पत्र आते हैं कि हमारे यहां स्टेट एम्पोरियम्स लाभ में चलते हैं। पर राजस्थान में तेरह के तेरह एम्पोरियम्स लोस में चल रहे हैं। वहां एड्मिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डीचर ज्यादा है, माल की बिक्री की कोई व्यवस्था नहीं, बिक्री का कोई सिस्टम नहीं। इन एम्पोरियम्स में माल जो बेचा जाता है वह मेन्यूफैक्चरर्स से नहीं खरीद कर बीच के आदमियों से खरीदा जाता है। यही कारण है कि बाकी जो प्राइवेट एम्पोरियम्स हैं उनसे स्टेट एम्पोरियम्स की चीजें महंगी होती हैं; इस कारण बिक्री होती नहीं है। प्राइवेट एम्पोरियम्स वाले कमाते हैं। हम देखते हैं कि ठेलों में शर्बत की बोतलें और नीबू का पानी रख कर चलने वाले व्यक्ति भी कमाते हैं; पर हमारी सरकार स्टेट एम्पोरियम्स में घाटा उठाती है। इसके माने यह है कि हमारी सरकार में प्रशासनिक योग्यता नहीं है, वह अयोग्य है इसलिये घाटा उठाती है।

जयपुर स्टेट होटल को लीजिये। आप नीरोज में चले जाइये, चौधरी रेस्टोरेंट में चले जाइये, जगदीश होटल में जाइये और उनसे पूछिये कि कितना इन्कम टैक्स देते हैं तो कोई कहेगा कि १० हजार, कोई कहेगा ५ हजार। पर सरकार को पूछते हैं कि इस होटल से कितनी इन्कम होती है तो कहती है कि फायदा नहीं होता। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि स्टेट होटल में सर्विस ठीक तरह से नहीं होती। पिछले दिनों फोरिन से टूरिस्ट्स हमारे यहां आये और वहां ठहरे। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि यहां पर टूरिस्ट्स के लिये सुविधा वगैरह कैसी है; तो उन्होंने पत्रकारों को बताया कि अच्छी नहीं है। तो बाहर से टूरिस्ट्स आते हैं, उनके लिये अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं की जा सकती तो यह व्यवस्था टूरिस्ट्स सेंटर को दे दें। इस प्रकार से वे सारी व्यवस्था कर दें। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके आधार पर आपको गेन है वह १ परसेंट भी नहीं आता है। जितने करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे हैं उससे एड्मिनिस्ट्रेशन चलता है, मुनाफा कुछ नहीं होता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप स्टेट अण्डरटेकिंग्ज की व्यवस्था ऐसी करें कि जिससे जनता को आपकी प्रशासनिक दक्षता का पता चले। तभी आपमें जनता विश्वास कर सकती है। मैं यह मान कर चलता हूं कि जब तक सरकार में प्रशासनिक दक्षता नहीं आ जाती तब तक सरकार को स्टेट अन्डरटेकिंग्ज को हाथ में नहीं लेना चाहिये। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिन स्टेट अन्डरटेकिंग्स से सरकार को नुकसान हो रहा है, जिन स्टेट अन्डरटेकिंग्ज को सरकार नहीं चला सकती है उनको छोड़ दे। सरकार ने जिन जिन प्राइवेट इन्डस्ट्रीज पर एन्क्रोचमेंट किया है उनको मुक्त कर दें।

(श्री भैरोंसिंह)

और जिस प्रकार की गति से राजस्थान सरकार चल रही है, जो बचत है उसमें मुनाफा लेने की कोशिश करें, हां। इस तरह मुनाफा उठाने में मजदूरों का शोषण न हो जाय, इस चीज का ध्यान रखें।

मैं सरकार से कहूंगा कि स्टेट अन्डरटेकिंग्ज में सरकार का काफी रुपया इन्वेस्ट हुआ है और ज्यों ज्यों अधिक रुपया इन्वेस्ट किया जा रहा है त्यों त्यों प्रोडक्शन गिरता जा रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है। मैं इस विभाग के मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कुछ समय लगा कर स्टेट अन्डरटेकिंग्ज को ठीक प्रकार से चलाने की व्यवस्था करें।

यही बातें सदन के सामने रखते हुए मैं अपना प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह) : महारावल श्री लक्ष्मणसिंह!

बहुत सारे माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे, इसलिये यदि समय पर पाबन्दी लगा दी जाय तो ठीक रहेगा।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): समय पर अब पाबन्दी लगाई जाती है, सवा घंटे तक बोले हैं तब नहीं लगाई।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : समय निर्धारित कर दें।

श्री सभापति : मेरा निवेदन है कि हर माननीय सदस्य, बीस-पच्चीस मिनट में अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अभी तो ५ बजे तक का समय है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) बोलने वाले भी तो बहुत हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : सभापति महोदय, राजकीय उद्योगों के सम्बन्ध में सबसे पहले हमें इस समस्या को एक साइकोलोजिकल रूप से भी देखना होगा। मैं समझता हूं कि देश की स्थिति और देश का वातावरण आज ऐसा नहीं है कि राजकीय उद्योग पूर्णतया सफल हो सकें। हमारे देश में खास करके कर्मचारीगण में नियन्त्रण का अभाव है, जिम्मेदारी का अभाव है और अधिकांश रूप में जनसाधारण यह मान कर चलता है इन लोगों के सम्बन्ध में कि सरकारी रुपयों का दुरुपयोग हो, उसे बरबाद किया जाय, फिजूल खर्ची में इसको काम में लिया जाय और हर तरह से जो योजनाएं हों उनके विषय में यदि सफलता प्राप्त होती भी हो तो रेड टेपिज्म के द्वारा और कितनी ही बाधाओं के द्वारा उस सफलता को दूर किया जाय और उस सफलता को असफलता में परिणत करने की चेष्टा की जाय। सरकारी कर्मचारियों में यह भावना ८-९ वर्ष से दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इस भावना के ऊपर काबू पाना एक बहुत ही मुश्किल प्रश्न होता जा रहा है। हरएक सरकार का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह इस समस्या पर काबू पाने की पूरी कोशिश करे, अपने आपको सुदृढ़रूप से फर्मनेस से आगे बढायें और यदि नियन्त्रण में कमी होती गई और भ्रष्टाचार दिन दूना बढ़ता गया तो मेरे ख्याल से, हमारी जो योजनायें हैं, चाहे वे प्राइवेट सैक्टर में हों,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

चाहे वे पब्लिक सैक्टर में हों, अधिकतर पब्लिक सैक्टर की योजनायें मृगतृष्णावत् हो जावेंगी।

मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने कई समस्याओं के ऊपर इस सम्बन्ध में प्रकाश डाला है और खास कर राजकीय उद्योगों के सम्बन्ध में प्रकाश डाला है। यातायात के सम्बन्ध में चेयरमैन महोदय, मैं यह कहूंगा कि अधिकांश रूप से जिन रास्तों पर नेशनलाइज़ेशन की योजना लागू की गई वहां पर ८-९ बसेज़ यदि चलती थीं तो अब उनकी जगह १-२ बसेज ही रह गई हैं। उसके उपरांत कोई चलते चलते फेल भी हो जाती है या खराब हो जाती है तो ड्राइवर को जो आदेश उच्च कर्मचारियों द्वारा सम्भवतः दिये गये हैं कि उसको खोल कर न देख सकें, एन्जिन को सुधार न सकें, एन्जिन के हाथ तक न लगा सकें। कुछ दिन पूर्व मालपुरा और टोंक के बीच बस चलते चलते खराब हो गई, यात्री नीचे उतर पड़े और बस का ड्राइवर सड़क के किनारे जाकर बैठ गया। यात्रियों द्वारा उससे यह पूछा गया कि क्यों नहीं एन्जिन में देख रेख करके सुधार करने की चेष्टा करते हो। उत्तर मिला कि उसे उच्चस्तरीय अधिकारियों से आदेश प्राप्त हैं कि वह एन्जिन को नहीं खोल सकता। चेयरमैन महोदय, यह ऐसी भावना है कि सरकार या सरकारी कर्मचारी या उच्चस्तरीय कर्मचारी उनसे नीचे के कर्मचारियों पर कोई विश्वास नहीं करते। आज की समस्याओं को देखते हुए प्रशासनिक विभाग में किसी पर विश्वास नहीं करेंगे तो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कहा गया है। 'Trust begets Trust and Mistrust mistrust' यदि आप विश्वास ही किसी पर नहीं करेंगे तो आप पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। 'महाजनों येन गतः स पन्था' और 'यथा राजा तथा प्रजा' के रूप में यह आज चरितार्थ हो रहा है। अगर हमारे शासनारूढ़ दल में नियंत्रण और सिद्धान्तों की कमी है, अगर वे ही अपने देश को आगे न बढ़ा कर अपने स्वार्थों की सिद्धि को और प्रोत्साहन देते हैं तो हमारी योजनायें और खास कर वे योजनायें जो राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत संचालित हैं कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगी।

मैं हर साल राज्य सभा में रेलवे के बजट के सम्बन्ध में सुना करता था कि लाखों रुपयों का घोटाला हुआ। रेलवे तो एक स्वतंत्र संस्था है, रेलवे बोर्ड द्वारा संचालित है और एक पुरानी संस्था है। उसके अन्दर कुछ नियन्त्रण हैं, कायदे हैं उसके अनुसार यदि अनुशासन ढीला भी होगा तब भी लाखों रुपयों का घोटाला वहां हुआ करता है तो आप विश्वास करें कि हमारी यह जो राष्ट्रीयकरण की योजना है, यातायात की जो यह योजना है, मोटरों की यह योजना है, जब कि उसका यह तो एक प्रथम चरण है और प्रथम चरण में ही उनमें अनियमिततायें हैं: करबोरेटर और कट आउट इधर से उधर होते हैं, टायर बिकते हैं, एक तरह से यह काला बाजारी हमारी इस संस्था में चलती रही तो इस पर रोक-थाम करने की हमारे लिये एक बहुत विषम स्थिति बन जायगी।

मेरी पार्टी के सिद्धान्तों के अनुसार मैं यह समझता हूं कि स्वस्थ प्रतियोगिता के द्वारा ही कोई भी व्यापार सुचारू रूप से चल

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सकता है। अगर राज्य राज्य ही करें और व्यापार न करे और व्यापारियों को ही सुचारु रूप से व्यापार करने दें और यदि उन व्यापारियों में कोई कमियां हों उनको पूरी करने की चेष्टा शासन करे तो उत्तम और स्वस्थ प्रणाली हो सकती है। इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि मुख्य मुख्य धन्धों का राष्ट्रीयकरण न हो; राष्ट्रीयकरण हों, परन्तु ऐसे धन्धे जो प्राइवेट एन्टरप्राइज़ेज़ द्वारा चल सकते हैं, उनका राष्ट्रीयकरण अवांछनीय है। हम उनका राष्ट्रीयकरण कर नहीं सकते। अभी मैंने जैसा निवेदन किया कि हमारे देश में कई अनुभवी व्यक्ति हैं, किन्तु हमारे पास ऐसे आदमी भी नहीं हैं, जिनको इस हद तक अनुभव हो कि जिन पर विश्वास करके रोडवेज़ की नेशनलाइजेशन की स्कीम को आगे बढ़ा सकें।

तो मेरा निवेदन करना यह है, कि मैं समझता हूं कि राज्य को वे ही बड़े २ धन्धे राष्ट्रीयकरण की योजना के अन्तर्गत लेने चाहिये जो कि सफलतापूर्वक चल सकें। रोडवेज़ के इस नेशनलाइजेशन को या तो स्थगित कर दिया जाय या धीरे २ इसको इतना कम कर दिया जाय कि जहां जहां वर्तमान स्थिति में सुचारु रूप से गाड़ियां चल सकती हैं वहीं वे स्कीम्स स्टेट एन्टरप्राइज़ के अन्दर रहें और दूसरी जो कुछ भी हमारी योजनायें हैं उनको प्राइवेट एन्टरप्राइज़ द्वारा संचालित करने के लिए हमारे लिए कोई न कोई पॉलिसी निर्धारित करना आवश्यक होगा।

राष्ट्रीयकरण से हमको लाभ के बनिस्पत हानि विशेष है। जनता का, मुझे विश्वास है, इस योजना के द्वारा कोई विशेष लाभ नहीं। उनकी परेशानियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं और इस राष्ट्रीयकरण की योजना के द्वारा जनता के अन्दर यह एक भावना उत्पन्न हुई है। यह राष्ट्रीयकरण असफल ही नहीं होगा परन्तु सरकार के द्वारा एक हठधर्मी के रूप में इसको धारण करके हमारा शोषण किया गया है और हमें दुखी बनाया गया है। मेरे ख्याल से जहां पर किसी सरकार के प्रति जनसाधारण की यह भावना हो तो सरकार को अपनी हठधर्मी काम में नहीं लेना चाहिये, वास्तविक रूप से देखना चाहिये। वस्तुस्थिति के अनुसार उनको ऐसी योजना और पॉलिसी का निर्माण करना चाहिये जिससे जन-साधारण को सहूलियतें मिलें, उनको आराम मिले; उनके जो हक हैं, जो अधिकार हैं उनके ऊपर भी कुठाराघात न किया जाय। वैधानिक दृष्टिकोण और मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार, मैं समझता हूं कि यह राष्ट्रीयकरण की योजना उन प्राइवेट बस ओनर्स पर, उनके अधिकारों पर भी कुठाराघात करती है जो सरकार के लिये नितान्त अवांछनीय है। यह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार हरएक को आजादी है इस स्वतन्त्र देश में कि अपने व्यवसाय के द्वारा कमाये। उनसे टैक्स के रूप में सरकार लेती है, परन्तु राष्ट्रीयकरण की योजना को उससे लाभ नहीं होता है। उसके साथ साथ सरकार उनसे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी और दूसरे टैक्सेज लेती है जो राष्ट्रीयकरण के द्वारा राजस्थान सरकार को यह राष्ट्रीयकरण की योजना अदा नहीं करती है।

मैंने इस संबंध में यह भी देखा है, बहुतसी बसेज़ राज्य सरकार द्वारा ली गई थीं, खड़ी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

खड़ी बिगड़ गई और उनके पार्ट्स लोग ले उड़े। क्योंकि बसेज़ तो मंगवा ली गई थीं किन्तु गेरेज आदि की व्यवस्था नहीं थी इस बारे में हैप हैज़ार्ड पॉलिसी काम में ली गई। This is putting a cart before the horse योजना के अन्तर्गत काम नहीं किया गया और तावड़तोड़ इस रूप में किया गया कि हमको करना है और करके रहेंगे, भद्दे तौर से, बुरी तरह से येन-केन-प्रकारेण हमें करना है। यह जो इस तरह की पॉलिसी है सर्वथा अनुचित है।

केपीटल एक्सपेन्डीचर के सम्बन्ध में ५२६ लाख का खर्चा बताया गया है। सरकार के पास कोई धनराशि ऐसी नहीं जिससे वह इतनी बड़ी रकम इस कार्य में लगावे। आखिरकार कहीं से रकम प्राप्त की होगी उसके लिये सूद की व्यवस्था की होगी। जो पेम्फलेट वितरित हुआ है फैजिंग रोडवेज़ का उसमें इस बात का कतई उल्लेख नहीं है। केवल बसेज के खरीदने सम्बन्धी प्रावधान है कि २०० बसेज़ ली जायेंगी, उनमें से १०० बसेज़ रिप्लेसमेन्ट के लिये रखी जायेंगी। बसेज़ के रिप्लेसमेन्ट के लिये डेप्रीसियेशन आदि फन्ड की कोई योजना नहीं और न इस पुस्तिका में उसका उल्लेख ही है। तो इससे मैं क्या यह समझूं कि १०० नया पैसा पर माईल का जो अन्दाजा लगाया गया उसमें ये सूद डेप्रीसियेशन्स आदि की रकम भी शामिल है। मैंने जो कुछ इस निस्बत आंकड़े देखे हैं उसके अनुसार मेरी मान्यता है कि १२ नये पैसे प्रति मील नेट प्रोफिट नहीं होगा। मेरे ख्याल से यह लाभ भी कुछ बढ़ाकर बताया गया है। अगर आठ या सात नये पैसे प्रति मील भी मुनाफा होगया तो भी मैं समझूंगा गनीमत है। इससे ६१ लाख रुपया पांच वर्षों के अन्दर लाभ का योग बताया गया है। मेरे ख्याल से यह रकम भी बढ़ाकर बतायी गई है।

दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक ६.८१ लाख की आमदनी बताई गई है। ६१-६२ में ३.१४ लाख, ६२-६३ में ११.४८ लाख। ऐसी स्थिति में मेरी समझ से यह बाहर है कि पांच वर्षों में ६१ लाख रुपया सरकार कैसे प्राप्त कर सकेगी?

अपेन्डिक्स 'ए' के अन्दर जो योजना बताई गई है रोड माइल्स और रूट माइल्स की, इस संबंध में मैं चार-पांच उदाहरण सदन के सामने रखना चाहूंगा जिससे यह सिद्ध होगा कि जो रूट्स अभी निकाले गये हैं कितने तोड़-मरोड़कर और कितने लम्बे बना दिये गये हैं। आइटम दो १९६२-६३ जयपुर कोटा वाया देवली एक रूट है जिसमें रोड माइल्स तो १०२ और रूट माइलेज़ हैं ३८२। तो जयपुर से कोटा जाने वाला आदमी बजाय बस के, रेल से जाना पसन्द करेगा क्योंकि रोडवेज़ ३८२ मील चल करके कोटा पहुंचाती है। इसी तरह से ६२-६३ में आइटम पांच है जिसमें जोधपुर, पाली, सुमेरपुर है। जोधपुर से सुमेरपुर ६० माइल है, रूट माइलेज़ है २५२। इसी तरह से आइटम ७ है जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर वाया कपासन एन्ड मावली; इसका रोड माइलेज़ १०५ है लेकिन रूट माइलेज़ ३६६ है। इसी तरह से १९६३-६४ में देखिये नं. ८ पर है उदयपुर, खेरवाड़ा, अहमदाबाद

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

इन्क्लूडिंग खेरवाड़ा, डूंगरपुर, रतनपुर, इसके रोड माइल्स १६२ हैं और रूट माइलेज ३५७ हैं। तो इस तरह से अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विचार करना चाहिये कि यह रोड माइल्स और रूट माइल्स की कैसी योजना है ? दरअसल, क्या यह यात्रियों के लिये सुविधा-जनक होगा या नहीं ?

बस स्टेन्ड्स के संबन्ध में यह निवेदन करना है कि अगर प्राइवेट एन्टरप्राइज् के अन्तर्गत यह योजना रखी जाती तो उसमें भी इतना खर्च नहीं होता। अगर यह प्राइवेट योजना के अन्तर्गत रखा जाता तो कर्मचारियों के अधिकार अधिक सुरक्षित रहते, बस कर्मचारीगण के अधिकार सुरक्षित रहते। बस कर्मचारीगण स्ट्राइक कर सकते; सरकार उस पर बहुत सुन्दर रूप से हस्तक्षेप करके मीडियेटर बनकर उनके झगड़ों को निपटा सकती थी। राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत मजदूरों को, कर्मचारीगणों को स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं रहेगा जैसा कि कुछ दिनों पहले शनिवार के दिन एक प्रस्ताव के संबन्ध में सरकार द्वारा स्पष्टीकरण किया गया कि सरकार मजदूरों के स्ट्राइक के अधिकार को नहीं मानती उसकी अवहेलना करती है। मेरे ख्याल से रोडवेज की स्कीम में विशेष हानि है बनिस्वत लाभ के।

फ्लोराइट माइन्स के संबन्ध में जो डूंगरपुर में है वहां जो कुछ मैंने देखा उससे यह सिद्ध होता है कि 'कार्ट बिफोर दी होर्स' के अनुसार वहां कार्य किया जा रहा है। अभी तक फ्लोराइट एक्सप्लोरेटिव स्टेज पर है, कितना फ्लोराइट निकलेगा इस संबंध में ध्यान देने के बजाय बिजली लगा दी, बंगले तैयार कर दिये, सड़कें बना दीं, नल लगा दिये और बंगलों के चारों ओर दूब आदि भी लगा दी, लेकिन फ्लोराइट का पता नहीं। मेरे ख्याल से इस संबन्ध में सोच-विचार कर चलना चाहिये। इस तरह से हमें पहले से ही फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिये जिससे जनता के धन की हानि हो।

मेरे पूर्व वक्ता ने बीकानेर का उदाहरण दिया। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि भ्रष्टाचार तो सदा से चला आया है। कोई भी शासन हो, यह अनिवार्य रूप से हुआ करता है। भूतपूर्व देशी राज्यों में इतना भ्रष्टाचार नहीं था। हो सकता है उसक कोई कारण होगा, उससे हमारा संवन्ध नहीं। आज भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। पहले जो आटे में नमक के बराबर था तो अब नमक और आटा बराबर हो गया है। यह प्राकृतिक बात है, असाधारण बात नहीं। हम चाहते हैं कि देश के आजाद होने के बाद हमारे नेशनल कैरेक्टर में उन्नति होनी चाहिये, लेकिन वह नहीं हो रही है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आपका क्या मापदंड है कि पहले भ्रष्टाचार नहीं था और अब ज्यादा है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने नहीं सुना।

श्री मोतीलाल चौधरी : क्या मापदण्ड है इसका कि आपके वक्त में बुराइयां नहीं थीं और आज हैं ?

Page No. 59

श्री लक्ष्मणसिंह : सदाचार की मोनोपोली उस वक्त शासकों ने ले रखी थी, यह तो मैं नहीं कहता । पर आज मेरी ऐसी धारणा है कि जो मैं व्यक्त कर रहा हूं, अब आपको अधिकार है; आप चाहें तो उसे मानें अथवा मत मानें ।

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचार तो आज से कम था, इसके बजाय अत्याचार था उस समय ।

श्री रामकिशन (वैर) : यह बात तो सही है ।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री सभापति : Order please ! Order !!

श्री लक्ष्मणसिंह : इसके विवेचन में आने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उस समय अत्याचार और भ्रष्टाचार दोनों थे ।

श्री लक्ष्मणसिंह : भ्रष्टाचार उस समय बहुत था और आज नहीं है। उनका अधिकार है यह कहने का । वे कह सकते हैं । अपने अपने विचारों से इसका सम्बन्ध है । मैं अपनी पूरी सद्भावना से अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं और नितान्त इस प्रयोजन को ध्यान में रख कर कि इन विचारों का सरकार पर असर पड़े, उसके कर्णधारों पर असर पड़े, सदन के माननीय सदस्यों पर और खास करके मेरे सम्मुख विराजमान पक्ष के सदस्यों पर असर पड़े, सरकार के अधिकारी वर्ग और सामान्य कर्मचारीगण पर असर पड़े । तो मेरे ख्याल से इसका देश और समाज के उत्थान में एवं हित रूप ही होगा ।

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह) : श्री मोतीलाल ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय सभापति, आज का विषय स्टेट अन्डरटेकिंग्ज का है । यह हमारे बहस करने का इस पर पहला ही मौका है ।

एक नीति इस बारे में हमने सारे देश के लिये अपनाई थी कि जनता पर टैक्स का भार न डालते हुए कुछ ऐसे जरिये तलाश किये जावें जिससे देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके । इसके लिये नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू को सरकार अपने हाथ में धीरे धीरे ले, यह नीति तय की और इस तरह इस रास्ते पर चल कर समाजवाद लाने का रास्ता सरकार ने अपनाया ।

मेरे पूर्व वक्ता ने यह कहा कि इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक सैक्टर में लाने की जरूरत नहीं है; केवल उन पर इफेक्टिव कन्ट्रोल सरकार का रहे। रोडवेज पर बोलते हुए तो यहां तक कह दिया उन्होंने कि राजस्थान में पब्लिक सैक्टर की जरूरत नहीं है ।

माननीय सभापति महोदय, इसके विपरीत मेरी सरकार से यह शिकायत है कि पब्लिक सैक्टर में आने के लिए इस सरकार ने अभी तक कदम ही नहीं उठाया । इतनी धीमी उसकी चाल है । इससे मैं तो यह भी मानने लगा हूं कि इस सरकार पर क्या कैपिटलिस्टों का प्रभाव हो गया है ? यह मैंने कहा भी है कि उनके इन्टरेस्ट को बचाने के लिये, उनके हितों को प्रोटेक्ट करने के लिये हम पब्लिक सैक्टर में बढ़ नहीं पा रहे हैं । मैं इसीलिये कहता हूं कि पिछले बारह सालों

(श्री मोतीलाल चौधरी)

में इस सरकार ने इस पब्लिक सैक्टर की दिशा में कदम उठाया ही नहीं । अगर यहां तक कहूं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । अगर यही रफ्तार इस सरकार की रही तो हम समाजवाद के पास अगले दस सालों तक भी नहीं पहुंच पावेंगे ।

मैं बताऊं इसके सुबूत में कि पलाना कोल माइन है । यह इंडस्ट्री पहले भी सरकार के पास थी, बिजली का उत्पादन का काम पहले भी सरकार के पास था । रोडवेज नई चीज आई । १५ साल बाद सरकार ने यह पहला काम किया और उसमें भी अभी खामी है । कांग्रेस पार्टी के अन्दर बार बार इस बारे में प्रस्ताव पास किये गये । सारे राजस्थान के रूटों का नेशनलाइजेशन होना चाहिये था वह अभी नहीं हुआ । इसके कारण स्टेट एक्सचेकर को नुकसान हुआ । जनता पर टैक्सों का बोझा कम करने के लिये नोन टैक्सेबल रेवेन्यू सोर्सेज ढूंढने की पॉलिसी की दृष्टि से हम फेल हो रहे हैं । हमारे टार्गेट्स पूरे नहीं पड़ रहे हैं । हम मजबूर होकर इकोनोमी कट करने जा रहे हैं। माननीय मन्त्रीजी जवाब दे रहे हैं कि इकोनोमी कट है या रेशनलाइजेशन है यह । Economy is something else and rationalisation is something else. पर गवर्नमेंट की तरफ से इसका जवाब नहीं मिला । सरकार ने नेशनलाइजेशन ऑफ रोडवेज की पॉलिसी एडॉप्ट की है । इसके अनुसार स्टेट की टाई रोड्स के ऊपर भी अपनी बसें चालू कर दें तो हमारी यह इकोनोमी साफ हो सकती है । तो माननीय सभापति महोदय, मैं इस पर इतना ही कहना चाहूंगा कि नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद भी पिछले सालों में हम इस पर आगे नहीं बढ़े हैं । यह मैं दुर्भाग्यपूर्ण ही मानता हूं । अब कारण चाहे केपिटेलिस्टों का सरकार पर प्रभाव पड़ रहा हो, या कुछ भी हो । वे केपिटेलिस्ट चाहे फिर छोटे हों या बड़े हों, सब एक से होते हैं । उनकी पॉलिसी एक होती है कि नेशनलाइजेशन को आगे नहीं बढ़ने देना । हो सकता है, वस मालिक एक हो गये हों ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस ट्रान्सपोर्ट पर बहुत कुछ कहा जा रहा है और रोडवेज पर भी काफी कहा जा रहा है, पर इन दोनों के मिनिस्टर महोदय सदन में उपस्थित नहीं हैं । इस बहस को सुनने के लिये उनको हाजिर रहना चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आप कहिये न, मैं बैठा हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप स्टेट अन्डरटेकिग्ज के मिनिस्टर हैं, इसमें किसी प्रकार से रोडवेज नहीं आता ।

श्री नाथूराम मिर्धा : I shall take down a few points which he will reply.

श्री मोतीलाल चौधरी : सभापति महोदय, तो मैं कह रहा था कि आज भी हमारी सरकार यह निर्णय नहीं कर पा रही है कि कौन कौन सी चीजों को पब्लिक सैक्टर में डिवलेअर करें । गवर्नमेंट के बहुत से काम चल रहे हैं; स्टेट गैराज हैं, प्रेस हैं । इन्डस्ट्री विभाग ने फाइनेन्शियल कॉरपोरेशन भी खोला है । फर्नीचर मेनुफैक्चरिंग का काम भी है । पर अब तक निर्णय नहीं कर

(श्री मोतीलाल चौधरी)

पाई है कि कौनसी इन्डस्ट्री को पब्लिक सक्टर में डिक्लेअर करें और कौनसी को नहीं। आज जो भी सरकार के अन्डरटेकिंग्ज़ हैं उनमें भी जहां तक हिसाब का सम्बन्ध है, कॉमर्शियल अकाउन्ट्स मेन्टेन नहीं होते, एन्युअल रिपोर्ट नहीं बनती। बैलेन्स शीट नहीं बनते जिसके अभाव में पता नहीं लगता कि क्या लाभ है और कितनी हानि है। मेरे ख्याल से तीन-चार रोडवेज़ का इस तरह से हिसाब रखने का सिलसिला शुरू किया होगा अब। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कॉमर्शियल अकाउन्ट्स कैसे मेन्टेन किये जाते हैं, आज से छः महीने पहले के, मैं कह सकता हूं, उनको पता नहीं, वे नहीं करते थे। अबकी मालूम नहीं। मैं इलेक्ट्रिसिटी कन्ज़म्पशन कमेटी का मेम्बर हूं, इसलिये मुझे यह जानकारी है। तो अगर कॉमर्शियल बेसिस पर हमारे अकाउन्ट्स मेन्टेन नहीं होंगे तो इसे मैं पब्लिक सैक्टर के अन्डरटेकिंग में एक खामी मानता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of order, Sir, whether a member can use his information as a Member of the Estimates Committee and discuss it here before he has submitted his report ?

श्री मोतीलाल चौधरी : I am not giving any figures of that Committee.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : For the electricity, you are giving.

श्री मोतीलाल चौधरी : No, not at all. As a Member of the Electricity Board, I am giving. A member of the Electricity Board is different from that of the Estimates Committee. I think, in whole of my statement you will not find even a single word from the Estimates Committee. Any way, I know my job more better than the Hon'ble Member.

तो माननीय सभापति, दुर्भाग्य है कि हमारी पब्लिक सेक्टर की पॉलिसी का जहां तक सवाल है उसको भी डिफाइन नहीं कर पाये। आज इन्डस्ट्री विभाग को लीजिये उसने फाइनेन्शियल कॉरपोरेशन बनाया: फाइनेन्स कर रहे हैं। वे सरकार की इन्डस्ट्रीज़ कार्माशयल अकाउन्ट्स मेन्टेन नहीं करती, हानि-लाभ का उनका पता नहीं। फाइनेन्स किधर इन्वेस्ट हो रहा है, इस बारे में उनकी कोई स्थिर नीति नहीं। सरकार को उन इन्डस्ट्रीज़ को हाथ में लेना चाहिये जिससे अच्छा प्रोफिट आवे और जनता पर टैक्स का बोझ न लादना पड़े। उस स्थिति में सरकार को नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू के सोर्सेज़ ढूंढने के लिये ऐसी इन्डस्ट्रीज़ हाथ में लेनी चाहिये जिससे लाभ हो। यह मूलभूत बात है। पर सरकार आज इसको ले नहीं पा रही है।

(२ म. प.)

यातो हम लोग नॉन-टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के लिए उनको लें। देश की जो जरूरतें हैं और जिसके लिए जनता की तरफ से कोई लोग नहीं पहुंचते हैं और महज़ जरूरत के लिए हम लेते हैं। तो इन दोनों में से किसी आधार पर पब्लिक सेक्टर को लेते हैं। तो मैं नीति की दृष्टि से कह रहा था कि आज तक जितने भी इन्डस्ट्रियल अन्डरटेकिंग्ज़ हैं वे अलग अलग काम कर रहे हैं। रोडवेज़

(श्री मोतीलाल चौधरी)

अलग काम करती है तो इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के कुछ महकमें अलग काम कर रहे हैं व स्टेट डिपार्टमेन्ट के कुछ गेरेजेज अलग काम कर रहे हैं। डिपार्टमेन्ट ऑफ प्रेस एण्ड स्टेशनरी वह अलग प्रोफिट एण्ड लोस से काम कर रहे हैं। सब जगह कुछ न कुछ मुनाफे की व्यवस्था है। यह सोचने की बात आती है कि गवर्नमेन्ट के किसी डिपार्टमेन्ट में प्रोडक्शन होने की बात आती है तो it should be declared a commercial department और कॉमर्शियल एकाउन्ट मेन्टेन होने चाहिये। उसके बाद आगे चलना चाहिए।

माननीय सभापतिजी, मैं आगे जाकर दो-एक बातें मूल सिद्धान्त के दृष्टिकोण से कहना चाहता हूं। मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि हमारे अपोजिशन के नेता ने कहा कि पब्लिक सेक्टर को लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम जो प्लान के दृष्टिकोण से करने जा रहे हैं, जो समाजवाद का दृष्टिकोण हमने निश्चित कर लिया है तो हमको उसकी ओर जाना पड़ेगा। कम से कम टैक्स लगे और नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो और डेवलपमेन्ट के दृष्टिकोण से इस पहलू को एक्सेप्ट करें कि जिससे देश का डेवलपमेन्ट होता हो। इन दोनों दृष्टियों को लेंगे तो निश्चितरूप से हमको पब्लिक सेक्टर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए निर्धारित करना है और निर्धारित किया है कि किस किस चीज को उसमें करना है और किसको नहीं करना है।

उसके पहले कि मैं हाउस को डिटेल्स दूं मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पब्लिक सेक्टर और कॉर्पोरेशन्स इतने हो गये हैं और इनके अन्दर भी सबसे पहली चीज जो है वह यह है कि बहुत से गवर्नमेंट के बोर्ड्स बने हैं या कॉर्पोरेशन बन गये हैं उनमें वे ही संबन्धित ऑफिसर्स उस डिपार्टमेन्ट के काम कर रहे हैं या दूसरी जगह चले गये हैं? उनको एक्सपीरियन्स है या नहीं, उसके बारे में कोई काउन्टिंग नहीं है। मुझे, इससे कोई आपत्ति नहीं। उन्हें एक्सपीरियन्स हो सकता है, वे काम कर सकते हैं, वे काम करें। लेकिन काम करने में एक बात आती है कि सबके सब अन्डरटेकिंग्ज में डेपुटेशन सर्विस पर लोग हैं और उनको २० पर्सेन्ट एलाउन्स और मिलता है। वे भी गवर्नमेंट के अन्डरटेकिंग्ज हैं और वे गवर्नमेंट की सर्विस में काम करते हैं तो फिर यह क्यों? दूसरे क्षेत्रों में काम करने जाते हैं तो २० पर्सेन्ट डेपुटेशन एलाउन्स मिलता है। मैं एक-दो उदाहरण देकर छोड़ूंगा कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, राजस्थान इरिगेशन बोर्ड में काफी स्टाफ ए० जी० ऑफिस से लिया हुआ है। उनको डेपुटेशन एलाउन्स २० पर्सेन्ट देते हैं, वहां पर काफी स्टाफ सेक्रेटेरियेट से है, दूसरे डिपार्टमेंट्स से है और भेजते भी उनको हैं जो वहां के ऑफिसर्स के दोस्त हैं, जबकि उनकी वहां कोई जरूरत नहीं है। यहां तक कि चपरासी भी लिया गया है और २० पर्सेन्ट का एलाउन्स देते हैं। अनएम्प्लायमेंट की स्थिति ऐसी है। इधर वे यहां भेजते हैं और उधर वे रिक्रूट करते हैं। यह पद्धति बड़ी खतरनाक है।

(श्री मोतीलाल चौधरी)

दूसरे, मैं नीति के बारे में सबसे पहले निवेदन करूंगा कि पब्लिक सेक्टर किस को इफेक्ट करता है। वह मेन केपिटलिस्टों को इफेक्ट करता है, जो केपिटलिस्ट्स मोनोपोली को मानते हैं जैसे कि अपोजिशन पार्टी के माननीय नेता हैं उनको अपोज़ करना चाहिए। वे अपोज़ नहीं करेंगे तो पार्टी को लीडर कैसे रहेंगे, लोग उतार देंगे। वे खुद जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर को डेवलप करना चाहिए। लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी इम्पोर्टेन्ट बात सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा कम्पीटीशन केपिटलिस्टों के साथ में है। इसलिए केपिटलिस्टों को किसी बोर्ड में मेम्बर नहीं बनाना चाहिए। बड़े ताज्जुब की बात है कि राजस्थान के कई बोर्डों के अन्दर केपिटलिस्टों को मेम्बर बना कर बैठा रखा है- what advice can you get from them ? वे पब्लिक सेक्टर के विरोधी हैं। वे हमेशा विरोध में रहते हैं। वे क्या एडवाइस करेंगे ? उसको फेल करेंगे। राजस्थान में राजस्थान सॉल्ट कम्पनी, हिन्दुस्तान सॉल्ट कम्पनी है जिसके बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में एक प्रमुख केपिटलिस्ट हैं। मैं नाम नहीं कहना चाहूंगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक नहीं, तीन तीन केपिटलिस्ट मेम्बर हैं। वे उसके मूल सिद्धांत के खिलाफ हैं। उनसे आप पब्लिक सेक्टर में कैसी एडवाइस चाहते हैं ? उसका नतीजा यही होता है कि हमारा नुकसान होती है। उसमें कितना नुकसान पहुंचता है, उसका सबसे पहला उदाहरण मैं देता हूं कि हिन्दुस्तान सॉल्ट कम्पनी में केपिटलिस्ट एडवाइज़र टू दी बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स है। सॉल्ट कम्पनी, सेन्ट पर्सेन्ट गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : केपिटेलिस्ट की क्या परिभाषा है ?

श्री मोतीलाल चौधरी : वह तो आप लेबर लीडर हैं, अच्छी तरह जानते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : क्या वह लेबर की कमाई पर खाता है या दूसरे की कमाई पर खाता है या केवल करोड़पति होता; वही होता है ?

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरे ख्याल से...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर): कांग्रेस के राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट आपस में बहस कर रहे हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : बहस में नहीं पड़ना चाहिए। केपिटलिस्ट की डेफिनिशन आप मेरे से अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं जानना तो मैं आपके दृष्टिकोण को मानता हूं कि केवल पूंजी होने से ही केपिटलिस्ट नहीं होता है लेकिन उस पूंजी के यूज़ से दूसरे के श्रम का एक्सप्लोइटेशन करता है उसको केपिटलिस्ट कहते हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या अच्छा हो कि उधर बैठने के बजाय आप इधर आ जायं।

श्री मोतीलाल चौधरी : वहां सोशलिस्ट हैं, कांग्रेस खुद सोशलिस्ट हैं।

श्री सभापति : Let us not go beyond the point.

Page No. 64

श्री मोतीलाल चौधरी : माननीय सभापति महोदय, डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा।

जहां तक इसका सवाल है गवर्नमेंट को इन तीन पॉलिसीज़ को एडाप्ट करना चाहिए। सबसे पहले स्टेट अन्डरटेकिंग्ज़ में जितने भी अन्डरटेकिंग्ज़ हैं उनको गवर्नमेंट महकमे से अलग करना चाहिए क्योंकि हैड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स को इतना टाइम नहीं मिलता है डिपार्टमेंट के काम से कि वह उसको सँभाल सकें।

पलाना माईनिंग पहले महकमे में शामिल था। पलाना माइन्स को जब हम देखते हैं तो इसके डिटेल्स में बाद में जाऊंगा, लेकिन मूल बात जो इसमें मिली है वह यह है कि डिपार्टमेंट की भूल के कारण फर्स्ट क्लास इन्जीनियर का अपोइन्टमेंट नहीं हुआ और एस्टीमेट्स कमेटी की सन् ५४ से ५८ तक की रिपोर्ट में यह है कि चार साल तक फर्स्ट क्लास इन्जीनियर का अपोइन्टमेंट नहीं हो सका। इससे ३० लाख रुपये का नुकसान हुआ। इस किस्म के एक्शन होते हैं। इसके कई कारण होते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट की पे टेक्निकल आदमी की पे से भी कम होती है और टेक्निकल क्वालिफाइड आदमी ज्यादा रुपये मांगता है और डिपार्टमेंटल हैड नहीं चाहता है कि इतनी बड़ी पे वाला उसके अन्दर में कैसे हो सकता है। इसलिए मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक अन्डरटेकिंग्ज़ का सवाल है उनको डिपार्टमेंट से अलग करना चाहिए और पब्लिक सेक्टर और अन्डरटेकिंग्ज़...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तक १० मिनट ही हुए हैं।

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह) : २० मिनट हो गये हैं। २-३ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री मोतीलाल चौधरी : पब्लिक सेक्टर के अन्डरटेकिंग्ज़ के लिए चाहे वे रोडवेज़ हों या कोई और इन्डस्ट्री हों, भले ही वे किसी भी विषय के हों उनको डिपार्टमेंट से अलग कर देना चाहिए और उनका सबका एक डिपार्टमेंट कर देना चाहिए और उससे काम लेना चाहिए।

उसके आगे, माननीय सभापति महोदय, एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि एक बड़ी से बड़ी चीज हम यह देखते हैं कि बोर्ड के फोर्म होने के बाद में इस हाउस को अधिकार नहीं कि वे उसको क्रिटिसाइज़ कर सकें।

"The House is sovereignty of the people"; बल्कि हाउस को पूर्ण अधिकार होने चाहिए कि जिन जिनमें जनता का पैसा लगता है, चाहे वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कानून हो या किसी और बोर्ड का कानून हो उसमें यह नहीं होना चाहिए कि उनके बजट को यह हाउस डिस्कस कर सकता है, लेकिन उसके अन्दर सुझाव नहीं दे सकता है। उनके दिये हुए सुझाव कोई काम नहीं आते हैं। वे उसमें कट मोशन पेश नहीं कर सकते हैं। कहने के बाद में उनकी राय मानी जाय, यह हाउस को अधिकार नहीं है। इस तरह के लेजिस्लेशन होंगे तो डेमोक्रेसी को नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी इस तरह की धारा है किसी कानून के अन्दर तो उनको हटा देना चाहिए।

Page No. 65

(श्री मोतीलाल चौधरी)

उसका बजट जो है वह हमारे जनरल बजट में आना चाहिये क्योंकि यहां पर मंत्रीजी को रिप्लाई देनी पड़ती है। मन्त्रीजी ५ सेर नमक या ५ सेर लोहा लेते हैं तो उसके लिये भी he has to reply. हाउस जो कुछ राय दे उसको मंजूर करना नहीं करना; Minister has no right completely to accept any suggestion of the House until and unless it is approved by the Board. इस तरह का कानून बने। एक बोर्ड बैठा है उसके बाद मंत्रीजी फैसला करते हैं, लेकिन कानून की दृष्टि से मन्त्रीजी को फैसला करने का अधिकार नहीं है। ऐसी हालत में पब्लिक सेक्टर में कोई क्लॉज़ सेविंग का रखें वह नहीं होना चाहिए, लेकिन हर एक पब्लिक सेक्टर की रिपोर्ट आनी चाहिये, प्रोफिट एंड लोस अकाउन्ट आना चाहिये और हाउस को डिस्कशन का मौका मिलना चाहिये।

उसके बाद में एक-दो डिपार्टमेंट्स की बात करना चाहता हूं जिनका जिक्र नहीं किया गया। यहां पर हिन्दुस्तान सॉल्ट कम्पनी है, उसके अलावा सरकार के पास डीडवाना सॉल्ट है, पचपदरा सॉल्ट है। हिन्दुस्तान सॉल्ट कंपनी में जो कुछ घोटाले हुए उनमें नहीं जाना चाहता क्योंकि समय नहीं है, लेकिन उसमें ५० पर्सेन्ट राजस्थान गवर्नमेंट का हिस्सा है; फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन में एक आने भर भी अधिकार हमारी गवर्नमेंट को नहीं है, यहां की गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन में एक आने भर भी अधिकार नहीं हैं और नमक का सारा काम राजस्थान में है तो हमारी सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह कहना चाहिये कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट है और कंट्रोल नहीं होगा तो यह गलत तरीका होगा। नुकसान कितना होगा, यह कह कर समाप्त करता हूं....

श्री सभापति : (कुछ माननीय सदस्य बोलने को खड़े हुए) Let him end.

श्री मोतीलाल चौधरी : I am clearing this.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): You are not ending, but your speech is ending.

श्री मोतीलाल चौधरी : हिन्दुस्तान सॉल्ट कंपनी और डीडवाना को देखेंगे और पचपदरा को देखेंगे और साथ साथ हिन्दुस्तान सॉल्ट मेनुफेक्चरिंग कंपनी के प्रोडक्शन को देखें, पर्चेज करने का अधिकार उन प्रोड्यूसर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया जिनके पास प्लॉट्स हों, वहां पर प्रोड्यूसर्स बेच सकते हैं। राजस्थान में एक-दो जगह ऐसा है, लेकिन डीडवाना के सारे प्रोड्यूसर्स जो वहां पर पीढ़ियों से बैठे हैं, आज से नहीं, जब से नमक का प्रोडक्शन शुरू हुआ है तब से बैठे हैं, लेकिन उनको प्रोडक्शन का अधिकार नहीं, बेचने का अधिकार नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वे गरीब हैं, केपिटलिस्ट्स नहीं हैं; लेकिन जहां केपिटलिस्ट हैं, वहां अधिकार दिये हैं। अभी अभी कुचामन और फलौदी में प्लॉट्स दे रहे हैं उनको अधिकार दे रहे हैं लेकिन यहां नहीं देते। इसी तरह हिन्दुस्तान सॉल्ट कंपनी का प्रोडक्शन और यूज किस ढंग से होता है उस पर कंट्रोल करने का अधिकार राजस्थान सरकार को होना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि

Page No. 66

(श्री मोतीलाल चौधरी)

जब कि गवर्नमेंट ऑफ-इंडिया और राजस्थान गवर्नमेंट की पार्टनरशिप है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर हमारा भी कंट्रोल होना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि स्टेट अंडरटेकिंग्ज़ जितने भी हैं उनको नया रूप देना चाहिये। इसके लिये अलग डिपार्टमेंट हो तो अच्छा होगा।

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह) : श्री मानिकचंद सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): सभापति महोदय, अभी स्टेट अंडरटेकिंग्ज़ के मुतल्लिक बहुत विस्तार से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की है और उसके बाद विरोधी दल के नेता द्वारा और कांग्रेस पार्टी के भी एक बहुत प्रमुख माननीय सदस्य द्वारा बहुत कुछ बातें कही गई हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज कांग्रेस पार्टी के लोग भी और इस सदन के वे माननीय सदस्य जो हां पक्ष में विराजते हैं वे भी आज सरकार के स्टेट अंडरटेकिंग्ज़ से बहुत असंतुष्ट हैं और महसूस करते हैं कि इस मसले पर सरकार किस तरीके से चले.....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : अभी तो एक साहब ने विचार रखे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह मानकर चलता हूं कि वे आप सबकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जो दूसरी भावनाएं हैं वे वर्ग संघर्ष के कारण हैं। कांग्रेस में वर्ग संघर्ष है........

श्री मोती लाल चौधरी (डीडवाना) : Congress believes in public sector.

श्री मानिकचन्द सुराणा : Yes.

श्री सभापति : Continue your speech. Make your points.

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह अर्ज कर रहा था कि स्टेट अन्डरटेकिंग्ज़ के मसले पर मेरी यह मान्यता है कि आज तक सरकार ने बिना दिमाग के काम किया है और जो मन्त्री महोदय अभी इसके इंचार्ज हैं, क्योंकि उनको बहुत थोड़ा अर्सा हुआ है इस डिपार्टमेंट को अपने हाथ में लिये हुए, इसलिये मेरी आलोचना, जिनके हाथ में यह डिपार्टमेंट रहा है उनके प्रति सीमित होगी और आप किस योग्यता से सारी समस्याओं को हल करते हैं यह एक साल के बाद पता चलेगा।

बहुतसी बातें माननीय सदस्यों ने कहीं, उनमें यह भी अर्ज किया कि पलाना कोयला खान में १०० से १५० प्रति टन उत्पादन होता है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज पलाना खान बिल्कुल बंद पड़ी है और उसको बंद हुए १ महीना हो गया है ....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषिमंत्री) : चालू हो गई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कितने दिन हुए चालू हुए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ८ तारीख को चालू हुई।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप ८ अक्टूबर से चालू होने की इत्तिला दे रहे हैं और ९ अक्टूबर को मैं वहां से रवाना हुआ तब तक तो चालू नहीं हुई थी। ९ अक्टूबर के बाद शायद चालू हुई हो तो पता नहीं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): ८ अक्टूबर को कागज में चालू हो गई होगी।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप बीकानेर से रवाना हुए या पलाना से ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : पलाना बीच में आता है। ९ अक्टूबर के १ महीना पहले से बंद हो रही है और साल में कई ऐसे मौके आये हैं जब इसे बंद करना पड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि खान के बंद होने की आशंकाएं थीं। जो मजदूर यहां इंटक से संबंधित हैं उन्होंने डेढ़ महीना पहले सरकार को आगाह किया था कि ये बातें हैं इसलिए बंद करनी पड़ सकती है, इसलिये इन कारणों को दूर किया जाय लेकिन सरकार ने इस ओर कोई तवज्जह नहीं दी और उनकी रिक्वेस्ट को लालफीताशाही का शिकार बना लिया गया।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पुराना माइन्स मैनेजर सेकन्ड क्लास था। सन् ५३ से सरकार के ध्यान में यह बात आई कि सेकन्ड क्लास माइनिंग मैनेजर २५०० टन प्रति दिन से ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकता। सरकार को चार साल लगे तब फर्स्ट क्लास व्यक्ति को नियुक्त कर सके। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ऐसे मामलों पर सरकार को सतर्क होना चाहिये। जहां प्रोडक्शन का सवाल है, जहां योजना के टारगेट्स एचीव करने का सवाल है वहां सरकार को सतर्क रह कर काम करना चाहिये और जब हम यह कहते हैं कि पलाना को नजरंदाज किया जा रहा है क्योंकि यह फलां डिविजन में है तो सरकार कहती है कि यह एकीकरण की भावना के विरुद्ध है, लेकिन मैं सरकार पर चार्ज लगाये बिना नहीं रहता। सन ५३ में २ करोड़ रुपये ओपन कास्ट के लिये रखे गये थे लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। थर्ड फाइव ईयर प्लॉन में पौने तीन करोड़ रुपये की धन राशि आपने इसके लिए रखी है, लेकिन आज तक कोई कदम नहीं उठाया। सन् ६१-६२ के बजट के आंकड़े प्रस्तुत करता हूं, उसमें राजस्थान मिनरल कोरपॉरेशन के लिये सरकार ने ७ लाख और कुछ रुपयों की धन-राशि रखी थी लेकिन दो दिन पहले इसी हाउस में जवाब दिया गया कि राजस्थान मिनरल कोरपॉरेशन बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। सरकार पलाना लिग्नाइट बोर्ड बनाना चाहती है उसमें कौन होंगे और उसकी कार्यविधि कब शुरू होगी ? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना का फेज्ड प्रोग्राम होता है जिसमें हर साल टारगेट्स एचीव करने चाहिये, दो वर्ष से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज तक ओपन कास्ट के लिये सक्रिय कदम नहीं उठाये। मंत्रीजी जवाब देंगे, जगह जगह ड्रिलिंग कर रहे हैं खड्डे खोद रहे हैं, देख रहे हैं कि कोयले की सतह कहां तक नीचे चल रही है। इसकी जानकारी नहीं होती तब तक ओपन कास्ट नहीं कर सकते।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठाई थी जिसमें बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ थे कोयला खान के, जियोलोजिस्ट थे, उन्होंने १०० पेज की रिपोर्ट दी है।

Page No. 68

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उसकी उस रिपोर्ट के अन्दर कहा गया है कि इसको फौरन ओपन कास्ट कर देना चाहिए और इस थर्मल पॉवर स्टेशन का पलाना में निर्माण करना चाहिए। वह रिपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद दो करोड़ का प्रावधान पंचवर्षीय योजना में रख दिया गया है और जान कर प्रावधान ओपन कास्ट करने के लिए रखा गया है। सभापति महोदय, २३० फीट लेअर्स हटाने का प्रश्न है, सरकार कहती है कि मशीनरी अवेलेबल नहीं है, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने राय जाहिर की है कि २३० फीट लेअर्स का ओवर बर्डन हटाने के लिए भी आज दुनिया में मशीन उपलब्ध है। इसके साथ ही फोरिन एक्सचेंज की दलील भी, मैं समझता हूं, निराधार है। यदि आप सतर्कता से काम लें तो फोरिन एक्सचेंज भारत सरकार के द्वारा अवेलेबल हो सकता है। लेकिन आपकी नीयत नहीं है कि आप कोयले का उत्पादन बढ़ायें, आप चाहते नहीं कि इसे पूरा करें। तो पंचवर्षीय योजना में खर्च करने की योजना है उसको स्वीकार किया जाय। मैं कहना चाहूंगा कि कोयले का उत्पादन है वह हमारे प्रांत के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि देश के लिए भी महत्वपूर्ण है और इस पर तृतीय पंच वर्षीय योजना में बहुत अधिक जोर दिया गया है. इससे लाखों आदमियों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही बीकानेर डिविजन में अगर थर्मल पॉवर स्टेशन बनायें तो गांव गांव में सस्ती बिजली मिल सकेगी और लोगों की हैंडलूम इन्डस्ट्री और कॉटेज इन्डस्ट्री में प्रगति हो सकेगी, जिसकी कि आप दुहाई देते हैं अपने मेनीफेस्टो में, इनकी प्रगति तब ही हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पलाना की जो स्टेट अन्डरटेकिंग है, उसके साथ अभी तक स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट किया गया है और ओपन में यह नीयत रखी गई है कि इस योजना को पूरा नहीं करना है। इस नियत को बदलने के बाद जो और कठिनाइयां हैं, वे अपने आप हल हो जायगी। मैं यहां तक कहने की हिम्मत करता हूं कि ओपन कास्ट करने का मसला अगर उदयपुर के अन्दर होता है और स्टेट अन्डरटेकिंग का पोर्टफोलियो अगर चीफ मिनिस्टर के पास होता तो इसको पूरा होने में वक्त नहीं लगता और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही पूरा हो जाता क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर उदयपुर को ही राजस्थान समझते हैं और जब तक वे उदयपुर को ही राजस्थान समझेंगे तब तक हमारा जो राष्ट्रीय भावनात्मक एकता और एकीकरण का नारा है और बहस है, वह बिल्कुल निरर्थक है। इसलिए अब जो नये मंत्री आए हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि पलाना के मैटर में हम जब कहते हैं और आपकी दो कमेटीज़, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसका जो आठवां प्रतिवेदन दिया है, जो और प्रतिवेदन दिए हैं उनको माननीय मंत्रीजी पढ़ें। मैंने उसको पढ़ा है और मुझे ताज्जुब है कि आपके विभाग के डिप्टी सेक्रेट्री यह बयान देते हैं एस्टीमेट्स कमेटी के सामने कि पलाना खान में ओपन कास्ट हो चुका है, जब कि आपकी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है उसमें करने की बात करते हैं तब आपके जी. के. भनोत जैसे वरिष्ठ अधिकारी हैं वे कहते हैं कि हो चुकी है। मुझे ताज्जुब होता है कि आपके जो डिप्टी सेक्रेट्री उस विभाग के हैं उनको

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मालूम नहीं कि ओपन कास्ट होने का मतलब क्या है, वे मौके पर गये नहीं, वे समझते नहीं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह खान को समस्या है, इसका इलाज नहीं किया जा सकता क्योंकि इस खान में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अपोइन्टेड है, उसको १९५७ में अपोइन्ट कर दिया लेकिन उसके बाद भी उत्पादन घटा है और कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा और सरकारी ऑडिट रिपोर्ट का हवाला दूंगा। इसमें कहा गया है कि १९५५-५६ में कोयले के उत्पादन पर एक टन की ११.४० रुपये लागत है, जब कि १९५८-५९ में एक टन की कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ४४·३८ रुपया है। यह आपकी १९६२ की रिपोर्ट है, उसके पेज ७५ पर कहा है कि १९५५-५६ में कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ११·४० रुपया पर टन होती थी और १९५८-५९ में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ४४·३८ रुपया पर टन होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जो फलाना की खान है वह दिन प्रतिदिन घाटे में जा रही है और मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में एक भी कोयले की खान नहीं होगी जो घाटे में जा रही हो और कोयले की खान का घाटे में जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि हाई लेवल कमेटी से इसकी जांच करायें।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने फलाना खान में १९५८-५९ में ५ लाख ५५ हजार ४७० रुपये खर्च किया और आपको ५१.१ परसेन्ट का नेट लॉस हुआ। यह आपकी ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज है। इसके बाद १९५९-६० और १९६०-६१ में क्या हुआ, इसके लिए ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि इसके अकाउन्ट्स नहीं मिले हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आंकड़े बजट में दिये गये हैं, वे पांच लाख की जगह अब १२ लाख तक बढ़ गये हैं, १३ लाख तक बढ़ गये हैं। इन दो वर्ष के आंकड़े जब आपके समक्ष आवेंगे तो आपको मालूम होगा कि फलाना में ५१ परसेन्ट का लोस नहीं बल्कि ७५ परसेन्ट के ऊपर घाटा हो रहा है। फिर भी आपका चीफ मैनेजर ऑर्डर जारी करता है कि कोल कटर कोयले का उत्पादन ज्यादा नहीं कर सकता। मैं इसका विस्तार से जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि यह पोइन्ट है, यह सदन में पेश हो चुका है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट कहती है कि कोयले का उत्पादन घटा है लेकिन जो फलाना का फर्स्ट क्लास मैनेजर है उसने ऑर्डर जारी किया है कि कोल कटर ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकता। सभापति महोदय, वहां यहां तक हुआ है कि कोल कटर को पेनल्टीज़ तक भुगतनी पड़ी हैं क्योंकि उसने कोयले का उत्पादन बढ़ा दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कैलस एटीट्यूड इस अन्डरटेकिंग फलाना की खान में लिया है, जिसके लिए आपके डिप्टी सेक्रेटरी कहते हैं कि ओपन कास्ट हो चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे सेक्रेटरी से आप अपने डिपार्टमेंट का पिंड छुड़ायें, उन्हें अपने डिपार्टमेंट से अलग करें और जो इस बात को समझता हो, गहराई को समझता हो उसको रख लें। इसके साथ ही इस सदन

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के सदस्यों में से एक हाई पॉवर कमेटी फ्लाना खान के लिए अपॉइन्ट की जाय, और फ्लाना स्टेट अन्डरटेकिंग के लिए ही नहीं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर स्टेट अन्डरटेकिंग के मेंटर में इतनी गड़बड़ियें हैं, भ्रष्टाचार हैं और इनएफीशियेंसी हैं, उसके लिए ग्यारह आदमियों की एक स्टेंडिंग कमेटी बनाई जाय जिसमें सरकारी पक्ष के छः सदस्य हों और पांच विरोधी पक्ष के हों; इस तरह ग्यारह सदस्यों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाय, जो एडवाइज़री कमेटी का काम करें और निस्पक्षीय तौर पर ओन स्पोट वर्क करें। यह कमेटी अपाइन्ट की जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्टेट अन्डरटेकिंग जिस पॉलिसी द्वारा कर रहे हैं, यह कोई अर्थ नहीं रखती है, इससे आप वेलफेयर नहीं कर रहे हैं। आप जिस समाजवाद की बात करते हैं वह समाजवाद अस्पताल खोलने और स्कूल खोलने से स्थापित नही कर सकते हैं। समाजवाद में आपको इन्डस्ट्रीज़ खोलनी पड़ेगी, कारपोरेशन के जरिये खोलनी पड़ेगी, आपको प्राइवेट इन्डस्ट्री में पार्टनरशिप करनी पड़ेगी।

हम भी समाजवाद के हामी हैं, हम चाहते हैं कि जितनी भी इन्डस्ट्रीज हैं, उनको नेशनलाइज करना चाहिए और उन्हें एक कॉरपोरेशन के सुपुर्द करना चाहिए। आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि स्टेट अन्डरटेकिंग में इन्डस्ट्रीज़ को लिया जाय, हमारी पार्टी की भी पॉलिसी है कि स्टेट अन्डरटेकिंग्स को बढ़ाया जाय, पब्लिक सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाय। लेकिन इसके साथ ही इस चीज को भी आवश्यक समझते हैं कि जहां इनएफीशियेन्सी है, जिसको परवटेड पिक्चर यहां पेश की जाती है सरकार की तरफ से, जब कि स्टेट अन्डरटेकिंग में लॉस हो रहा है, इस सबके हमारी पार्टी विपरीत है और उसकी हम सख्त खिलाफत करना चाहते हैं। यह मैंने फ्लाना का जिक्र किया।

इसके बाद कुछ शूगर फैक्ट्री के बारे में कहा गया। इस सम्बन्ध में मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहता हूँ जिनको आज स्टेट अन्डरटेकिंग में लिया जाना चाहिए। मैं मांग करना चाहूंगा कि आज फर्टीलाइज़र फैक्ट्री का लाइसेन्स आपने हिन्दुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति को दे रखा है कि हनुमानगढ़ में फर्टीलाइजर फैक्ट्री चलानी है। लेकिन उस उद्योगपति की इच्छा किसी प्रकार हनुमानगढ़ में फर्टीलाइजर फैक्ट्री खोलने की नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वे इन्डस्ट्रियलिस्ट फर्टीलाइजर फैक्ट्री खोलने में असमर्थ हैं तो मैं मांग करूंगा कि उसे स्टेट अन्डरटेकिंग के रूप में कायम किया जाय। उसके साथ जो रॉ मेटिरियल है, जो जिप्सम का उद्योग है, उसको नेशनलाइज करें। मैं कहना चाहूंगा कि बीकानेर का जिप्सम लिमिटेड ऐसा उद्योग है, जिसमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है और जिस पर उसे १५ परसेंट का डिवीडेन्ड मिला है; चार लाख, ६० हजार का मुनाफा आपको मिला है। आपके उसमें ४० परसेन्ट शेअर्स हैं। मैं जानना चाहूंगा कि उस ट्रेड को नेशनलाइज़ क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप जिप्सम लिमिटड को नेशनलाइज़ करके आयन्दा उसके फायदे को राजस्थान की जनता के हित में क्यों नहीं देना चाहते

Page No. 71

(श्री मानिकचन्द मुराणा)

हैं ? इस तरह, सभापति महोदय

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

प्रश्न यह है कि सरकार इन बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे। जो स्टेट अन्डरटेकिंग का प्रश्न है मैं हमारी पार्टी की तरफ से स्पष्टरूप से कहना चाहता हूं कि यह पहला काम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, स्टेट अन्डरटेकिंग को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए, फर्टीलाइज़र फैक्ट्री, सीमेन्ट फैक्ट्री है, इनको अपने कब्जे में लेना चाहिए और स्टेट अन्डरटेकिंग तौर पर लेना चाहिए। सवाई माधोपुर की इतनी बड़ी फेक्ट्री है, उसमें मुनफा होता है, उसको आप नेशलाइज़ क्यों नहीं करते? उसमें आपने ७५ लाख रुपया लगा रखा है जब कि आपको केवल ३ परसेन्ट डिवीडेन्ड मिलता है। आप इसको नेशनलाइज़ क्यों नहीं करना चाहते, जिससे आपको दस, बारह या पन्द्रह परसेन्ट प्रोफिट मिले। हमारी सरकार की नीति है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ लाखों रुपये की पार्टनरशिप करके तीन परसेन्ट का डिवीडेन्ड मिले, इससे संतुष्ट रहती है और उनको नेशनलाइज़ नहीं करना चाहती। मैं कहना चाहूंगा कि यह नीति है, यह स्टेट अन्डरटेकिंग को प्रोत्साहन देने के लक्ष्य के खिलाफ है। जो मेन इन्डस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ हैं, सरकार को चाहिए उन्हें नेशनेलाइज़ करे। इसके साथ साथ कुछ ऐसी इन्डस्ट्रीज थीं, जिन्हें सरकार चलाती थी। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है उनको बेच दिया। जैसे राजस्थान सरकार के तीन बर्फ के कारखाने थे और उसके कारण बर्फ जो गर्मियों में सहूलियत से ८ या ९ नये पैसे सेर मिलता था मिलना मुश्किल हो गया। मगर सरकार ने उसको बेच दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको स्टेट अन्डरटेकिंग को बेचने की क्या जरूरत थी? यदि कोई नुक्स होता तो आपको उसको निकाल देना चाहिये था। स्टेट अन्डरटेकिंग को बेचने का सवाल नहीं है। अभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट प्रेस घाटे में चल रहा है। इसके कॉमर्शियल एकाउन्ट्स नहीं हैं। इसके माने यह नहीं कि गवर्नमेंट प्रेस को खत्म कर दिया जावे। मैं माननीय मंत्री महोदय से अवश्य निवेदन करूंगा कि इसमें जो घोटाला है उसको ठीक किया जावे। आपने किन्हीं अन्डरटेकिंग्ज में आर० एस० आर० भी लागू कर रखा है। वहाँ का मैनेजर है वह सरकारी ऑफिसर है। वह ६॥ घंटे काम करता है और १॥ घंटा ज्यादा काम करने पर अपना ओवर टाइम लेता है।

(समय, समाप्ति, सूचक)

एक मिनट में समाप्त करता हूं।

एक फेक्ट्री में जो काम करते हैं वे लोग ८ घंटे काम करते हैं और दूसरे लोग जो इसके नीचे आते हैं वे ६॥ घंटे काम करते हैं और १॥ घन्टों के ओवर चार्ज करते हैं। इसलिये ऐसे स्थानों पर आर० एस० रूल्स लागू हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिये और फैक्ट्री एक्ट के अनुसार काम लिया जाना चाहिये।

इन्हीं बातों पर जोर देते हुए मैं यह भी कहूंगा कि हमारे यहां बैलेन्स शीट नहीं दी जाती है कि कितना घाटा हुआ है या क्या हुआ है। यह गलत परम्परा है। भारत

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सरकार में भी पचासों इन्डस्ट्रीज़ हैं। उनको कितना घाटा हुआ या मुनाफा हुआ, यह सब हर साल उसकी एक पुस्तिका २००-३०० पेज की छपवा कर विभाग की तरफ से दी जाती है। आज एक-दो ऑडिट पैरा में जो बातें लिख दी जाती हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि समाजवाद की नींव मजबूत हो तो आपको चाहिये कि आप पूरी जानकारी इस संबन्ध में पब्लिक को दीजिये और मैं यह मांग करूंगा कि इस साल से ही माननीय मंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे कि प्रत्येक वर्ष यह रिपोर्ट सदस्यों को मिले।

इसी तरह से प्राइवेट इन्डस्ट्रीज़ में कर रखा है। सवाई माधोपुर, सादुल टैक्सटाइल मिल्स में भी सरकार के शेयर्स हैं; उनमें आपको कितना घाटा और कितना फायदा हुआ, यह सब जानकारी हमें मिलनी चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि वीविंग एन्ड स्पिनिंग मिल्स में ७ लाख का घाटा व सादूल टैक्सटाइल में २२ लाख का घाटा। कल बहस हुई थी उसमें बताया कि जिसमें घाटा है उसे सरकार को लेना चाहिये और वहां के मजदूरों की स्थिति को ठीक करना चाहिये। राजस्थान, रिलीफ अन्डरटेकिंग बिल के अनुसार सरकार को इसे ले लेना चाहिये, सरकार को। मगर मैं यह कहूंगा कि आज स्पिनिंग मिल और सादूल टैक्स-टाइल मिल को, जो घाटे में चल रही हैं उनको लेना नहीं चाहती और मेवाड़ टैक्स-टाइस मिल से ही आपको संतोष है। जहां पर घाटा है वहां पर आपको चाहिये कि स्टेट अन्डरटेकिंग एडवाइज़री बोर्ड के तौर पर बोर्ड कायम करिये।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : सभापति महोदय, अभी पलाना कोलरी के बारे में बहुत सी बात-चीत हुई। जहां तक लिग्नाइट का प्रश्न है, यह ६०-७० साल पहले से हमारे यहां चला आ रहा है और सरकार के द्वारा यह कार्य चलाया जा रहा है। जिस समय यह कार्य स्टेट गवर्नमेंट के पास था उस समय स्टेट गवर्नमेंट को फायदा देता था। पहले कोयला ऊपर मिलता था लेकिन अब गहराई हो रही है इसलिये नीचे नमी होती है और उसमें आग लगने का खतरा रहता है। लिग्नाइट पानी की तह के नीचे निकलता है और जब उसे ओपन कास्ट किया गया तो उसमें आग लगने का खतरा रहता है। इसलिये इस बात को देखना चाहिये। यदि किसी ने रिपोर्ट दे दी होगी तो वह ठीक नहीं बैठेगी। इसी प्रकार का लिग्नाइट जर्मनी में होता है और वह वहां पर घरों में जलाया जाता है। पहले बीकानेर में गंगासिहजी ने और सादुलसिहजी ने जर्मन एक्सपर्ट्स को बुलाया था। उसमें जर्मनी के एक हन्टर साहब थे, उन्होंने इस संबन्ध में अपनी रिपोर्ट दी थी। वह रिपोर्ट कहां है, यह मेरी जानकारी में नहीं है। वह सरकार के पास ही होगी। उसको छुपा लिया है या उसका क्या हुआ है? मेरी समझ में जो लोग अभी हैं वे इसके जानकार नहीं हैं और उन्होंने उस रिपोर्ट को छिपा दिया है। महाराजा गंगा-सिहजी ने वहां के एक त्रिपाठी को इसी लिये भेजा और उन्होंने आठ लाख की

Page No. 73

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

मशीनरी भी मंगवाई । ८ लाख की मशीनें मंगाली गई मगर यहां के माईनिंग वालों ने सोचा कि हम काम नहीं कर सकेंगे इन मशीनों पर; क्योंकि वे नये नये थे इसलिये उन्होंने इन मशीनों को इधर उधर कर दिया । कहां हैं वे मशीनें, यह तो विभाग वाले जानते हैं ।

अब हम कहते हैं कि पॉवर हाउस लगा दिया जावे । मैं यह कहूंगा कि अगर इसमें चार महीनों की देरी हो जावे तो इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए । लेकिन इसके लिये एक्सपर्टों को बुला कर उनकी राय लेकर काम करना चाहिये । बीकानेर नरेश ने इस संबन्ध में जानकारी के लिये तीन जर्मन एक्सपर्टों को बुलाया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी । अब वह रिपोर्ट नहीं है । आज यह कहा जाता है कि प्रोडक्शन रेट ज्यादा हो गई है । किसी ने यह कहा कि फर्स्ट क्लास माइनिंग इंजीनियर क्यों लगाया? मैं यह कहूंगा कि यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि फर्स्ट क्लास माइनिंग इंजीनियर रखा जावे । तो मेरा यही ख्याल है कि खानों का मामला है और खानों की बात है इसलिये पूरी जानकारी इस संबन्ध में की जानी चाहिये । अध्यक्ष महोदय, यदि कोई यह कहे कि यह कोयला काम नहीं देता है तो मैं यह कहूंगा कि मैंने सुना है, मैं गया तो नहीं हूं मगर सुना जरूर है कि यह कोयला रेल्वे के इंजिनों में जलता है, पॉवर हाउसेज में काम आता है । इसका हमारे प्रान्त में बहुत बड़ा जखीरा है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह हकीकत है.........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : हजारों रुपये लगाकर सरकार ने कैनाल भी बनवाई है । इसके बाद सरकारी अन्डरटेकिंग पर आते हैं । गंगानगर शूगर फैक्ट्री से इतने कम पूंजी में पिछले साल ६ लाख से ज्यादा का नफा हुआ । कहीं ४५ लाख लागत है तो कहीं ५० लाख है । इसलिये मैं यह कहूंगा कि हमें प्रोत्साहन देना चाहिये ।

इसी तरह राजस्थान रोड़वेज है उसमें १० लाख की आमदनी हुई है । इसमें एक करोड़ की पूंजी लगी थी । हम भूल जाते हैं कि जहां ५० लाख की पूंजी लगे और १० लाख का लाभ हो.........

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : point of information, Sir, माननीय मंत्री ने ५ लाख का जवाब दिया था, १० लाख नहीं है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं बजट की बात बताता हूं । माननीय मंत्री अगर कोई और आंकड़े देते हैं तो उनके पास अलग फाइल हो या कोई अलग उनके किताब हो सकती है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इन दोनो में कौनसा सही है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बजट में साफ देख लीजिये ६०-६१ का क्लोजिंग है १०,४५,००० रुपया लिखा हुआ है । अकाउन्ट के हिसाब से भी यह ठीक है । मन्त्री महोदय के पास और अकाउन्ट आ गया होगा या आपकी जुबान पर भी और आ सकता है, यह दूसरी बात है ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : मन्त्री महोदय ने तो ५ लाख या १० लाख का कुछ भी नहीं कहा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपको याद नहीं है, दो दिन पहले हाउस में जवाब दिया है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ऑडिट रिपोर्ट में साफ लिखा है - १०,४५,०००.

शक्कर बनाने के बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि १ लाख की चोरी हुई; १,८५,८२३ मन ही शक्कर बनी है । मेरा इस बारे में यह निवेदन है कि बैलेंस शीट की रिपोर्ट सही मानी जाती है । वह चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा देखी जा जाकर प्रकाशित की जाती है । गलत छपा हुआ हो तो बैलेंस शीट को सही माना जाता है । इस तरह जुर्म लगाया कि एक लाख की चोरी हो गई । कैसी चोरी हुई ? जबरदस्ती, किसी काम में जिसमें ५० लाख रुपया लगा कर ९ लाख रुपया कमाते हैं, इस तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है ।

हमारी सरकार के काम में गलतियां नहीं होती हैं, यह बात नहीं है । काफी गलतियां होती हैं पर जिस चीज से मुनाफा हो उस चीज के लिये इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं ।

हिन्दुस्तान सॉल्ट कम्पनी की बात कही । यह कोई प्राइवेट कम्पनी नहीं है, पब्लिक लिमिटेड नहीं है, भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों की है । हां, दो मैनेजिंग डाइरेक्टर्स ऐसे व्यक्तियों को ले लिया है जिनके बारे में उनको ऐतराज है और मुझे भी हो सकता है । वे लोग जो हिन्दुस्तान की प्रत्येक इन्डस्ट्री में लूट मचाते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं, सोमानी और बिड़ला ये दोनों आदमी वहां अवैतनिक सेवा करने के लिये आये हैं । हिन्दुस्तान सॉल्ट कम्पनी ही उनको सेवा के लिये मिली । कोढ़ियों की सेवा करने के लिये और कोई स्थान नहीं मिला । इस तरह के करोड़पति आदमियों को साथ लेने से जनता को शक होता है, ये क्या सेवा करेंगे । सरकार इसको चला सकती थी, काफी मुनाफा होता है, कई वर्षों से इसे चला रही है ।

एक माननीय सदस्य : नमक -हलाली दिखाने के लिये लिया ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: पैसे वाले नमक खा कर भी नमक-हलाल नहीं होते । हिन्दुस्तान सॉल्ट कम्पनी से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। डाइरेक्टरों से शिकायत हो सकती है । सॉल्ट के काम में कई अनुभवी लोग हैं उनको ले सकते थे । इन करोड़पतियों को लेने की क्या आवश्यकता थी ?

सोडियम का तो अभी शैशवकाल है, पूरी मशीनें लग जायंगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होने लग जायगा । हां, एम्पोरियम के बारे में मैं कहूंगा कि इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, एक एम्पोरियम में १४ हजार की बिक्री और १९ हजार का घाटा; यह आब के एम्पोरियम का अजीब किस्सा है । तो हम महसूस करते हैं कि सरकार कोई भी व्यवसाय, काम चलावे तो अन्डरटेकिंग विभाग तो है । ठीक है, पर कॉमर्शियल विभाग और चलाना चाहिये राज्य पहले प्रशासन के सिवाय और काम नहीं चलाते थे इसलिये कॉमर्शियल विभाग

Page No. 75

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

नहीं होता था पर अब राज्य वाणिज्य करता है तो हमें कॉमर्शियल विभाग जरूर चलाना चाहिये। हम पब्लिक से टैक्स के रूप में पैसा लेते हैं तो हमें बजट में यह दिखाना चाहिये कि यह जनता का पैसा है, इस काम में इतना लगाया गया, इतना नफा हुआ, इतना नुक्सान हुआ ताकि जनता को पता चले। अन्वेषण में पैसा लगा कर हमें बताना चाहिये कि इतना अन्वेषण में खर्च किया गया अमुक काम में इतना लाभ हुआ, इतनी हानि हुई। हर बिज़नैस का, जितने भी व्यापार सरकार करती है, उसके-नफे नुकसान को सामने रखना चाहिये। जिस तरह ऑडिट अकाउन्ट रखता है उसी तरह सब दिया जाना चाहिये।

हनुमानगढ़ में ईंटों का भट्टा राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जाता है। पौने दो लाख रुपया इस कार्य में लगाया गया, यह बताया है; पर आया कितना, यह नहीं बताया गया है। जब तक कोई हिसाब नहीं होगा तब तक कोई पता नहीं चलेगा। नफा छोड़ कर जो बिक्री का पैसा है वह भी आया या नहीं, इसका भी पता नहीं लगेगा।

इसके बाद व्यवसाय को अलग करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जनता सोचेगी कि सरकार को नुकसान होता है। नफा होता भी है तो उसका अलग हिसाब होना चाहिये। हमें व्यवसाय में ५ लाख का घाटा लग गया तो अगले साल कहते हैं कि बजट में ५ लाख घाटा है, यह गलत है; हमें बताना चाहिये कि अमुक में इतना इतना घाटा है। आये साल लाखों रुपया राइट ऑफ किया जाता है। गये साल ४ लाख कुछ हजार रुपया कुछ इन्डस्ट्रीज में राइट ऑफ किया जाता है। हमने पूछा तो बताया कि पेपर मिल के बारे में घाटा हो गया।

इस तरह जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। पर यह कहना कि एम्पोरियम में घाटा हो गया है इसलिये व्यापार ही नहीं किया जाय यह ठीक नहीं। हम तो चाहते हैं कि हर व्यवसाय को सरकार करे, पूंजी-पतियों को खत्म करना पड़ेगा। चलाने का तरीका होना चाहिये, व्यवसायिक बुद्धि होनी चाहिये। एक विभाग के अधिकारी को दूसरे विभाग में बदल देते हैं, एक काम से बदल कर दूसरे काम पर बदल दिया जाता है; जैसे स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन बना उसमें उधर का स्टाफ लेकर इधर बैठा दिया उनको २० परसेंट अधिक पैसा दिया जाता है। वहां कॉमर्शियल छुट्टियां नहीं रहती पर वे सरकारी छुट्टियां, और और सुविधाएं सरकार की तरह भुगतेंगे तो फिर उनको २० परसेंट अधिक किसलिए दी जाती है? तो यह तरीका अच्छा नहीं है। यों पे अधिक बढ़ा देंगे, खर्च का हिसाब नहीं रखेंगे, वहां व्यवसायिक बुद्धि के लोगों को न लगा कर प्रशासनिक बुद्धि के लोगों को लगायेंगे तो इससे हमारी स्कीमें फेल होंगी और जो सोशियलिस्टिक पैटर्न लाना चाहते हैं उसके लाने में हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए ऐसे कामों में व्यवसायिक बुद्धि के लोगों को लगाया जाय।

(२.४३ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(अनेक सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट अन्डरटेकिंग के संबंध में काफी कहा जा चुका है कि जो क्वाजी कॉमर्शियल एण्ड कॉमर्शियल स्टेट अन्डर टेकिंग्ज़ के तहत हैं और इसके अलावा और प्रोजेक्ट्स भी स्टेट अंडरटकिंग्ज़ में हैं। ६ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका कोई लेखा-जोखा, हिसाब-किताब काफी वक्त तक का, ६०-६१ तक का सरकार के सम्मुख पेश नहीं किया गया है। १४ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका अकाउन्ट ५९-६० तक का पेश किया गया, उसके बाद का कोई नहीं पेश किया गया है। उनमें से अधिकतर सिसक रही हैं, घाटे में हैं और बड़ी दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति में हैं। उनमें ज्यादातर एम्पोरियम्स हैं, प्राय: सब ही एम्पोरियम्स घाटे की दूकानें हैं खर्चा अधिक है, नफा बिलकुल नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक स्टेट अन्डरटेकिंग्स का सवाल है समाजवाद का पथग्रहण करने वाले, समाजवाद का आसनग्रहण करने वाले और समाजवाद का विचार रखने वाले लोग इसको देश की उन्नति का, सरकार की आर्थिक उन्नति का एक मुख्य अंग मानते हैं। स्टेट अन्डरटेकिंग्ज़ ही वह मार्ग हो सकता है जो लोगों को रोजगार दे और देश को अधिक से अधिक उन्नति के पथ पर ले जाये। वे सारे प्रोजेक्ट्स, योजनायें जिनसे फर्दर इकोनोमी और इन्डस्ट्री डेवलप हो सकती है उनको स्टेट अन्डरटेकिंग्ज़ म लेते हैं। मैं आपके सामने इससे पहले कि कोई नतीजा निकाले राजस्थान के प्रमुख स्टेट अन्डरटेकिंग्ज़ की अवस्था को चित्रित करूंगा।

सबसे पहले मैं आपके सामने डीडवाना सोडियम सल्फेट इन्डस्ट्रीज का चित्र रखता हूं। डीडवाना में रियासतों के जमाने से सोडियम सल्फेट के डिपोजिट्स हैं। यह एक ऐसा केमिकल है जो सिवाय राजस्थान के और कहीं भारतवर्ष में नहीं होता है। आज सोडियम सल्फेट एक ऐसा केमिकल होने के कारण लाखों रुपया फोरिन एक्सचेन्ज के रूप में हमें देता है। यह एक बहुत ही कॉस्टली केमिकल है और टाइमली काम में लाया जाता है। इस सोडियम सल्फेट की कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ६६) रु० पर टन एक्स्पर्ट कमेटी ने माना है जब कि मार्केट वेल्यू ३८५) रु० पर टन है। जब डीडवाना में पुराना स्टॉक एक्जॉस्ट कर लिया गया वहां पर जितने डिपोजिट्स थे वे मेन्युवल लेबर से इकट्ठा कर लिये गये; तो कन्डेन्सर प्रोसेस से सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइट से अलग करने के लिए सन् १९५८ में एक योजना बनाई गई। इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट डीडवाना में लगाने का प्रयत्न किया गया। सन् ६० में मशीनरी डीडवाना पहुंच गई। उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह आश्चर्य होगा कि मशीनरी वहां पहुंच गई, लेकिन उससे पहले उस मशीनरी को लगाने के लिए कोई बिल्डिंग के साधन नहीं जुटाये गये। अप्रेल के बाद में चार महीने तक राजस्थान सरकार यह विचार करती रही कि सोडियम सल्फेट के कारण बिल्डिंग के कन्स्ट्रक्शन जोधपुर के सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर से कराया जाय या डाइरेक्ट चीफ इन्जीनियर, पी. डबल्यू. डी. के द्वारा कराया जाय। चार महीने सिर्फ डाक की व्यवस्था के लिए विचार किया जाता रहा कि डीडवाना सोडियम सल्फेट के कारखाने के मुतल्लिक पत्र सुपरिन्टेंन्डिंग इन्जीनियर को भेजा जाय डाइरेक्ट या चीफ इन्जीनियर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

के थे भेजा जाय। आज भी यह स्थिति है कि बिल्डिंग का कन्स्ट्रक्शन अधूरा है। १२ लाख की मशीनरी पेकिंग में पड़ी हुई है। बिल्डिंग का फाउन्डेशन ले आउट नहीं हुआ है। आज हमारे देश में फॉरिन एक्सचेन्ज की बड़ी दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति है, यह माननीय उपाध्यक्ष और माननीय सदस्य जानते हैं। फोरिन एक्स्चेन्ज प्राप्त करने के लिए जहां हम विदेशों को चीनी कम भेजते थे वहाँ अब अधिक भेजनी पड़ रही है। ७४० टन चीनी अब भेजते हैं ४०० टन के मुकाबले में फॉरिन एक्सचेन्ज को पुल अप करने के लिए। ऐसी स्थिति होते हुए भी १४ लाख रुपयों का नुकसान इस कारखाने के सेट न होने से होता है। इसकी २० टन प्रतिदिन कोस्ट प्रोडक्शन है। १४ लाख रुपये का नकद फोरिन एक्स्चेन्ज का नुकसान होता है इस फेक्ट्री के न बनने के कारण।

दूसरा चित्र देखिये गंगानगर शूगर फैक्ट्री का। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ऑडिटिंग रिपोर्ट के आधार पर सदन के सामने कुछ चित्र प्रस्तुत किये और एक चित्र और भी इस सम्बन्ध में प्रस्तुत है। ऑडिटिंग रिपोर्ट ने कुछ बातों को लेकर इस शूगर फक्ट्री के बारे में आलोचना की और बहुत गहरी और गलत चीज की ओर संकेत भी किया है लेकिन उसके अतिरिक्त गंगानगर शूगर मिल, मैं गंगानगर का रहने वाला हूं, वहां का एक किसान हूं, इसके सम्बन्ध में व्यक्तिगत वाकफियत भी रखता हूं, एक मेमोरेन्डम जब मुख्य मंत्री गंगानगर पधारे थे तो उनकी सेवा में पेश किया गया गंगानगर के लोगों द्वारा और एक फाइनेन्स डिपार्टमेंट को भी भेजा गया। गंगानगर शूगर मिल का वह चित्र आपके सामने उपस्थित है। १-७-५६ को यह शूगर मिल स्टेट अन्डरटेकिंग के अन्तर्गत ली गई। इसको एक स्टेट कम्पनी का रूप दिया गया। उस समय हमारी केपिटल ७१'८ परसेन्ट ऑफ दी टोटल केपिटल थी जिसकी वेल्यू १८. २३ हजार थी और हमारे लोन्स, डिबेन्चर्स इस सम्बन्ध में १५ लाख के थे। उसी समय सन् ५६ में इसकी क्रशिंग केपेसिटी ६०० टन थी, ५८ में मेग्जमिम क्रशिंग केपेसिटी ६०० टन पर डे पर हो गई. फर्दर इन्वेस्टमेन्ट के बाद। इस दौरान में एवरेज क्रशिंग हुआ पर डे ५१५, ५६-५७ में उसके बाद डिक्रीज होते हुए ४६३ और ५९-६० में ५२८ पर डे से ६०० टन पर डे कर दी; उस वक्त ७२६ हुआ। देखने की बात यह है कि वर्किंग डेज़-कितने थे ? ये आंकड़े रिपोर्ट में पेश किये हैं। ५६-५७ में १३९ वर्किंग डेज़, ५७-५८ में १२२ डेज़ इस शूगर मिल ने काम किया। ५८-५९ में ६० दिन काम किया और ५९-६० में १३४ वर्किंग डेज इस शूगर मिल ने काम किया और परसेन्टेज ऑफ शुगर इन ईयर्स में ९.६६ से रिड्यूस होकर ८.५० तक आ गई; ५७ से लेकर ६० तक।

अध्यक्ष महोदय, इस परसेन्टेज ऑफ शूगर की कमी का और शूगर मिल के काम को चलाने की बहुत दलीले इस सदन में उपस्थित की गई हैं और वास्तविक दलील और चाहें तो गंगानगर जिले में जाकर गंगानगर शहर में स्वयं दृष्टि से देखने को मिलेगा कि क्या वजह है कि परसेन्टेज ऑफ शुगर कम होता

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े जमींदारों के नाम बता सकता हूं, यदि आप एक कमेटी अपॉइन्ट करें तो पता चलेगा कि किस प्रकार से मेन्यूपुलेशन करके गिरदावरी को लेकर परसेन्टेज ऑफ शुगर को रिड्यस कराने में उनके द्वारा उन जमीनों पर अधिकार कर लेने और १०-१० मुरब्बा जमीन जागीर के नाम रिटन के रूप में कर लिया है। रिटन के नाम से नयी कमात के लिए दे दिया गया, जिसमें केवल पानी था। इस कारण शुगर रिड्यूस हुई। मैं उन प्रस्तावों की ओर ध्यान दिलाऊंगा जो गंगानगर की विकास समितियों और पंचायतों ने भेजे थे। गंगानगर की कमात को स्टेम्बोर जेपालम और रेडास नामक भयंकर बीमारियां लग चुकी हैं, कमात दुर्लक्ष्य स्थिति में आ चुकी है।

(३.०० म० प०)

इस बात की भी स्पष्ट मांग की गई थी कि गंगानगर इलाके के लिये अच्छे बीज प्रिपेयर करके बोने के लिये वितरण किया जाय।

दूसरा कारण उपस्थित करूं, जैसा कि ऑडिट रिपोर्ट में दिया गया है; १५-१२-५८ से लेकर २८-१२-५८ तक परसेन्टेज ऑफ शुगर ७.५० से घटाकर ५.६० परसेन्ट पर आ गई है। इस बारे में एक टेक्निकल एक्सपर्ट कानपुर शुगर मिल का बुलाया गया उन्होंने उसकी जांच की, तीन दिन तक जांच की। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके अन्दर लीकेज ऑफ वाटर हो रहा है, मेन सिलेन्डर है उसमें लीक हो रहा है, शिरप के अन्दर लगातार आ रहा है वाटर कन्टेन्ट्स। इसका कारण यह बताया गया है अन-टेक्निकल हेन्डलिंग से क्लेरिफायर क्लीनिंग कर दिया गया। इसी के कारण स्क्रेपिंग हुआ और इस कारण ११५ वर्किंग अवर्स का लोस हुआ और ५८ हजार रुपये की हानि हुई इस शुगर मिल में।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आपके सामने leakage of hot and cold पाइप में ५५, ५५१ रुपयों की हानि का जिक्र किया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, इसी के बारे में ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है। आज तक इसके लिये किसी को रेस्पोन्सिबल नहीं ठहराया। गंगानगर शुगर मिल के चीफ इन्जीनियर श्री मदान ७० साल के अन्डर मैट्रिक सन् ५६ से लगातार शुगर मिल में काम कर रहे हैं; जिनको टेक्निकल नोलेज बिल्कुल नहीं, वे ही इन मशीनों को हेन्डल करते हैं। इसके अलावा शिफ्ट इन्जीनियर मि० चावला हैं इन्हीं के निर्देशन के अन्दर शुगर मिल चल रहा है। अब तो वे रिटायर कर दिये गये। मि० चावला के हाथ में शुगर मिल का हेन्डलिंग है। सारे भारतवर्ष के अन्दर गंगानगर शुगर मिल ही ऐसी मिल है जहां तीन लाख रुपये का कोयला कन्ज्यूम किया जाता है। भगवाड़ा शुगर मिल और अन्य जो शुगर मिलें हैं वे बेगास से चलती हैं और उसके बाद भी वहां बेगास का ऑक्शन होता है; लाख, दो लाख का बेगास मिल से ऑक्शन के जरिये जाता है जो गत्ता बनाने के काम में आता है। हमारे इस मिल में बेगास का यूज होता है उसके बाद भी तीन लाख रुपये का कोयला कन्ज्यूम किया जाता है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उपाध्यक्ष महोदय, वहां गेट रजिस्टर में जो कोयला दर्ज होता है उसके बारे में निवेदन करूं कि एक नसीबचन्द ठेकेदार हैं जिनके नाम एक दिन का कोयला दर्ज है ९० टन। लेकिन जहां अकाउन्ट है उसमें ५० टन ही कोयला है। इसके अलावा मैं लिस्ट दे सकता हूं, जिन ठेकेदारों को यह कोयला ब्लेक के अन्दर बेचे जाने के लिये दिया जाता रहा है।

१९६१-६२ में जो मशीनरी है उसके कुछ पार्ट्स टूट गये। उसके लिये मि० चावला जो शिफ्ट इन्जीनियर थे मि० मदान के कहने पर एमर्जेन्सी पर्चेज के नाम से देहली जाते हैं और वे वहां से ६२ हजार के स्पेअर पार्ट्स पर्चेज करके लाते हैं। एमर्जन्सी इस प्रकार की थी कि मि० चावला ने वहां इन पुर्जों की खरीद के लिए ४० दिन लगा दिये। आर० दास के वाउचर्स से ६१ हजार के स्पेअर पार्ट्स खरीदे जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में चैलेंज कर सकता हूं कि स्पेअर पार्ट्स जो खरीद किये गये हैं उनमें से एक भी फोरिन पार्ट्स नहीं है। सारे पार्ट्स मोदीखाना के ग्रेडिंग मशीन पर खराद किये हुए है। ४ × २२ की मशीन प्लेट जिसका नाम मैं ले रहा हूं जिसका ६२ रुपया फी फुट का चार्ज किया गया है जो आठ आना पर फुट की चीज नहीं। जो इतनी निकम्मी है, लगातार तीन दफा तो टूट चुकी है उसकी जगह नकली शिफ्ट लगाई गई है। उपाध्यक्ष महोदय, स्टार प्लेट्स जिसका चार्ज किया गया २ रु० ७५ न० पै० जबकि वाउचर्स के आधार पर चेक कर सकते हैं १.२५ से अधिक की नहीं। सात हजार फुट ग्रेफाइट्स जिसका भाव १२ रुपया पर फुट लगाया गया जो ६ रुपया पर फुट के हिसाब से अधिक नहीं था।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९५९ के अन्दर ३९ हजार रुपया टी० ए० के लिये सेंक्शन हुआ था। उसका वितरण किस प्रकार हुआ, यह भी एक देखने की बात है। उसमें से १७ हजार रुपया टी० ए० का केवल चार आदमियों ने लिया, बाकी जो ५०० मजदूर हैं उनको टी० ए० का १३ हजार रुपया दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय सदस्य ने कहा था कि चार्टर्ड अकाउन्टन्ट्स हैं जो इसको चेक करते हैं। आप तो झूठा इल्जाम लगाते हैं। मैं आपके सामने एक ज्वलन्त मिसाल रखना चाहता हूं। शुगर फैक्ट्री के लिये ९ आयरन गेट्स तैयार किये गये। चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट डा० भार्गव जो जयपुर के अन्दर रहते हैं बिल्टी नम्बर देख सकते हैं, वे आयरन गेटस आज उनके बंगले पर लगे हुए हैं आप जाकर देख सकते हैं। शुगर मिल के लोगों ने चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के मुंह को भी किस प्रकार सीने की कोशिश की, यह उसका ज्वलन्त प्रमाण है।

आज भी ७० हजार रुपये के पेमेन्ट्स गंगानगर के किसानों के बाकी हैं। केसरीसिंहपुरा, जोरावरसिंहपुरा, रायसिंनगर आदि के किसानों का ७० हजार रुपया शुगर मिल में बकाया हैं जो आज अपने पैसे के लिये मिल के दरवाजे पर दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस मिल की वास्तविक स्थिति कोई देखना चाहे तो मेरा

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सुझाव है कि जिन दिनों गन्ने की सीज़न हो आपको दिखाई देगा कि हजारों आदमी ठंड में ठिठुरते हुए अपनी बैलगाड़ी लिए हुए पांच पांच दिन तक गेट पर खड़े दिखाई देंगे। गाड़ियां जो दूर दूर से भर कर आती है रास्ते के अन्दर लूट ली जाती हैं। वेट उसका कम हो जाता है और जब पेमेन्ट का सवाल आता है पैसे की जगह खांड तोल दी जाती है।

इस शूगर मिल का जो घाटे का चार्ट है उसमें दो लाख का घाटा बताया हुआ है और सात लाख का नफा। वह इस तरह से कि इस शूगर मिल के साथ डिस्टीलरी भी जुड़ी हुई है। अगर डिस्टीलरी नहीं होती तो शूगर मिल से घाटे के सिवाय लाभ की आशा ही नहीं थी. क्योंकि डिस्टिलरी का सरकार का अपना ठेका है। १९५२ में जब जागीरदारों की शराबबन्दी की थी....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): मैं आपकी सूचना के लिये निवेदन कर दूं शूगर में तीन गुना ज्यादा नफा है। शूगर में ६.२० है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्लेटफॉर्म मेरे हाथ में है। आप जरा शान्त रहिये, मैं भी सरकारी आंकड़ों के आधार पर ही कह रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : प्लेटफॉर्म तो हैं, लेकिन जो सूचना दे रहे हैं वह भी तो सुन लीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं भी आप ही की फाइल में से पढ़ रहा हूं। मैं उनकी सूचना पर पुष्प चढ़ाता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप, उनकी सूचना को भी ध्यान में रखिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ××××

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ××××

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब आपका चालू होगा।

हां, तो मैं निवेदन कर रहा था टोटल कैपीटल इनवेस्टमेंट के आधार पर प्रोफिट को हम देखें; १९५६-५७ में टोटल कैपिटल इनवेस्टमेंट ५९४९.७८, १९५७-५८ ५१.५३, १९५८-५९ में ४१।

अब आप जरा गौर फरमाइये। गंगानगर में अकेले में जो एक्साइज के ठेके हैं उनकी कितनी वैल्यूज हैं। गंगानगर के एक मामूली कस्बे रायसिंहनगर मण्डी और केशरीसिंहपुरा मण्डी में, जहां पर पाँच हजार के ऊपर पोपुलेशन नहीं है, आंकड़े टटोलें हमारे स्वायत्त शासन मन्त्री तो कहीं यहां म्युनिसिपेलिटी बनी है, कहीं नहीं है। विजयनगर ले लीजिये, यहाँ नहीं है। तो इन छोटे छोटे कस्बों में १।। लाख से कम का ऑक्शन नहीं हुआ है। सारे इलाके में पचास साठ लाख के ठेके ऑक्शन हुए हैं और कहते हैं कि शूगर मिल का फायदा घटा है। एक आना जहां कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन आवे और जिसकी लाखों की बिक्री हो–वहां फायदा घटने की बात करते हैं!

×××× अध्यक्ष जी के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह तो ठेके का सवाल है, इससे मिल के फायदे का क्या सम्बन्ध? वह तो फायदा टैक्सेशन से सरकार को आता है। शूगर मिल का ठेके से ताल्लुक नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक्साइज टैक्सेशन केवल सरकार लेती है, पर उसकी कोस्ट तो शूगर फैक्ट्री को ही मिलती है।

आप इस तरह मिसगाइड न करें।

कोस्ट अगर ६० परसेन्ट से ऊपर भी मानें तो पचास साल के फिगर्स बिक्री के रखे हैं। सिम्पल ३० लाख एट्रीब्यूट कर सकते हैं। पर यह डिस्टिलरी में कहां चला गया; जिसकी एक बोतल एक रुपये की तीन रुपये में बिकती है। एक रुपये पर कॉस्ट आॅफ प्रोडक्शन एक आने आती है तो तीन रुपये की बोतल पर तीन आने हुई, तो इतना बड़ा मुनाफा किधर गया है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस डिस्टिलरी में भी बड़ा भारी घोटाला है। इसमें भी बड़ा भारी एम्बेजलमेंट हैं। सरकार इसे देखे।

अब इसकी ओर भी गौर फरमाइये। चार दिन पहले की यह रिपोर्ट है। चालीस पीपे विदेशी शराब के मिल की गेट से बाहर जा रहे थे। चौकीदार ने उनको रोक दिया कि पर्मिशन के वगैर मैं इनको गेट से बाहर नहीं होने दूंगा। पर उपाध्यक्ष महोदय, उस चौकीदार को इस पर धक्के मारे गये। उसने जनरल मैनेजर को इसकी रिपोर्ट की। पर उसकी सुनवाई नहीं की गई।

यहां तक कि यह शूगर मिल विभिन्न प्रकार की शराब के तरह तरह के लेबल और कार्वर्स बहुत बड़ी तादाद में छपवाती है और वे लेबल लगा कर उस शराब को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है; यह ड्राईजिन है, यह फ़लां शराब है, यह यह है। तो इसके लिए मैं निवेदन करूं कि इस बारे में एक केस रजिस्टर हो चुका है। पदमपुर में वहां के डी वाई० एस० पी० ने छापा मारा एक जगह तो वहां उसे बहुतसा ढेर बोटल्स लेबल और कार्वर्स शूगर मिल के छपे हुए हजारों की तादाद में मिले। आप इसे देखें।

आपके मोलेसेज के टैक्स हैं उनके लेवल में एक इंच इधर उधर कर दीजिये तो सैकड़ों गैलन्स का न्यारा व्यारा हो जाता है। गंगानगर की स्प्रिट जयपुर के बाजार में बिकती है। यहां के बहुत से लोग इसे मैथलेटेड स्प्रिट में उसका कनवर्शन करते है और इस तरह से यहां वह बिकती है।

वैसे समय मेरे पास कम है। मैं अधिक नहीं कह सकता। वैसे मेरे पास बहुत से इस बारे में ज्वलन्त मसाले हैं। पलाना के घोटालों का मसाला है, ट्रान्सपोर्ट और बस सर्विस के घोटालों का मसाला है।

ट्रान्सपोर्ट बस सर्विस का जहां तक सम्बन्ध है, इसके राष्ट्रीयकरण के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। पर अन्त में मैं भी एक चीज कहूंगा कि चाहे गंगानगर की शूगर मिल हो, पलाना का कोयला हो, डीडवाना का सोडियम सल्फेट हो, जिप्सम हो जामसर का, चाहे आपकी ताम्बे की खाने हों, सौभाग्य से आपके पास इनका

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अखूट भंडार है । अगर इस सम्बन्ध में सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करे और उसमें भयंकर रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार और अनाचार का कठोरता से दमन करे तो आज जो यह दिन देखने को मिला है वह आगे नहीं मिलेगा । आपके इस एडमिनिस्ट्रेशन की शिथिलता और भ्रष्टाचार और अकुशलता के कारण ही इन्डिपेन्डेन्ट एन्टरप्राइज के लोग यह कहने का साहस करने लगे हैं कि आप इस पब्लिक सैक्टर के कामों को बन्द कर दें । अगर सरकार ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कठोरता से और ईमानदारी से चलाया होता तो यह करारा तमाचा ये प्राइवेट सैक्टर वाले आपके इन पब्लिक सैक्टर के मुंह पर न लगा पाते, समाजवाद का नाम लेने वालों के मुंह पर यह तमाचा नहीं लगता । आज इन एन्टरप्राइजों में हजारों लाखों का घाटा हुआ है सरकार की कमजोरी से । हजारों को रोजगार दिया जा सकता था । अगर आज इस पब्लिक सैक्टर के साथ कोई खिलाफत करता है और इसको कमजोर करता है तो सरकार का यह भ्रष्ट प्रशासन करता है, सरकार की इस सम्बन्ध में जो शिथिल नीति है वह एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर भयंकर रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन भी देती है, और वही कलंकित करती है इस समाजवाद के इस रूप को। इस पब्लिक सैक्टर को यह सरकार का भ्रष्ट प्रशासन कलंकित करता है । सरकार इसे समझे और जितना जल्दी समझे उतना अच्छा है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजसुदर शर्मा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस विषय के ऊपर काफी माननीय सदस्य प्रकाश डाल चुके हैं । विषय की गम्भीरता को देखते हुए और सदन में रखे गये विचारों को सुनते हुए मेरे भी मन में यह आता है कि इस विषय पर कुछ तथ्यपूर्ण दलीलें सदन के सम्मुख रखूं, जिससे आगे के लिये नसीहत मिले ।

इस सदन में मेरे कुछ राइट हैंड साइड पर और अगली राइट हैंड साइड पर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपके तीन हाथ हैं क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हमारे जयपुर से आने वाले माननीय मुखियाजी महाराज ने अपने भाषण में....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : मुखियाजी महाराज कौनसे हैं, साहब ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह सदन जानता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये कोई भैरोंजी के मन्दिर के पुजारी हैं क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस सदन में कुछ तथ्य रखते हुए कुछ आलोचनात्मक विचार माननीय सदस्यों ने रखे और इस तरह से इस विषय को कुछ गम्भीर बना दिया ।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

वास्तव में इन खराबियों के रहते हुए यदि कोई स्टेट अन्डरटेकिंग सरकार के हाथ में होता है तो उसको रखने से कोई फायदा नहीं है और यहां यह बताने की कोशिश की गई है कि जितनी इंडस्ट्रीज होती हैं; यह देखते हुए वे सब प्राइवेट सैक्टर में होनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि इससे तो पब्लिक सैक्टर में दिनों दिन भ्रष्टाचार पनपेगा ...

श्री उपाध्यक्ष : I will inform the House that discussion will continue up-to 4.15 P. M. and after that Ministers will reply.

श्री मुरलीधर व्यास : टाइम बढ़ा दीजिये न साहब।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वैसे यह विषय है तो गम्भीर, पर समय को देखते हुए मैं थोड़े में ही निवेदन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इन दलीलों से अगर हम यह कहना चाहें कि चूंकि पब्लिक सैक्टर में ये खराबियां हैं इसलिए प्राइवेट सैक्टर अच्छा चला सकता है और उससे जनता को फायदा होगा तो इस दलील को मैं निरर्थक मानता हूं। इन खराबियों के कारण, मैनेजमेंट ठीक नहीं होने के कारण, या सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के शिथिल होने के कारण सिद्धान्त भी खराब हो तो यह मैं नहीं मानता। हम सिद्धान्त रूप से यह मानते हैं कि ज्यादा से ज़्यादा अन्डरटेकिंग स्टेट कन्ट्रोल में आएं और रहें। इनका मुनाफा सरकार के हाथ में आए ताकि वह जनता के लाभ के काम में लगा सके उसे और टैक्स रेवेन्यू के भार से जनता को कुछ राहत मिल सके। प्राइवेट सेक्टर को फायदा देने से और पूंजिपतियों को अधिक पूंजी देने से इस संसार का और भारत का हित नहीं होने वाला है। और सिद्धान्तत: हमने इस बात को माना है कि जिससे ज्यादा लाभ होता हो, जो बेसिक हो उन सारे कारखानों का नियन्त्रण सरकार के हाथ में होना ही चाहिये।

मैंने पहले भी कहा था कि ट्रान्सपोर्ट का अन्डरटेकिंग एक सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी के समान है और मैं आज भी यह मानता हूं कि यदि ठीक तरह से इसे चलाया जाय तो यह अन्डरटेकिंग ऐसा है कि जिससे राजस्थान की जनता को काफी लाभ मिल सकता है और इन्तजाम अगर इसका अच्छा हो तो इससे काफी आमदनी भी हो सकती है।

इसी तरह से और भी कई अन्डरटेकिंग्ज हैं जिनको नये सिरे से भी हाथ में लिया जा सकता है और इससे भविष्य में रेवेन्यू में काफी लाभ सरकार को होगा। हमें सिद्धांतत: इस बात को मानना चाहिये कि नॉन टेक्सेबल रेवेन्यू को ज्यादा बढ़ाया जावे। अगर इस तरह के नॉन टेक्सेबल रेवेन्यू के लिये कोई सोर्स हो सकते हैं तो ये अन्डरटेकिंग हो सकते हैं।

आज जो प्रवृत्ति बढ़ी है कि इन्डस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर लाखों-करोड़ों रुपयों का कर्जा दूसरे पूंजीपतियों को दिया है कारखाने खोलने के लिये, तो इससे उनको यह कहने का मौका मिला है और उनको यह भी मौका मिला है कि दो तीन-चार साल पहले उन्होंने इस पूंजी को अपने हाथों में ले लिया, पर इसके बाद चार-पांच साल तक भी इन्डस्ट्री नहीं खोली। इसकी वजह की पूरी खोज करनी चाहिये कि जिसकी वजह से हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ। हमें ब्याज से ही तसल्ली नहीं करनी चाहिये थी।

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

हमें चाहिये था कि जो रुपया हमने कर्ज के रूप में बड़े बड़े पूंजीपतियों को राजस्थान के अन्दर दिया है, उस पूंजी से खुद के कारखाने निर्माण करने थे, उस पूंजी को खुद काम में लाना चाहिये था और पूंजी को काम में लाकर अपने फाइनेन्सेज़ को बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आयन्दा इस नीति का अनुसरण नहीं किया जायगा और बड़े बड़े कर्जे देने की जो हमारी नीति हमने अपनाई है, हम इन्डस्ट्रीज़ चाहते हैं राजस्थान में तो कर्ज देना चाहिये, उस नीति को कम करके उस पूंजी को खुद की पूंजी बनाने के लिये व्यय करना पड़ेगा।

दूसरी चीज़ जो मैं सदन के सम्मुख रखता हूं वह यह है कि हो सकता है कि किसी मायने में जो खामियां बतलाई गई हैं अभी सदन के सामने उसकी दलील में नहीं पड़ना चाहता हूं कि खामियां बिल्कुल नहीं हैं, खामियां मिटा दी गई हैं या मिटती हुई चली गई हैं। खामियां और हो सकती हैं, थोड़े दिन और भी रहेंगी; लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित होना चाहिये। हमारा मस्तिष्क राष्ट्रीयकरण की तरफ कायम रहना चाहिये। हम अपने दिल और दिमाग से सच्चे मायने में यदि इस बात को सोचें कि हमें राष्ट्रीयकरण को कामयाब बनाना है तो राष्ट्रीयकरण नाकामयाब इस राजस्थान में नहीं रहेगा, बशर्ते हमारे अधिकारियों का दिमाग इस ओर चले। आज जब राष्ट्रीयकरण के बारे में जो अधिकारी आज इन अन्डरटेकिंग्स के चार्ज में हैं उनसे जब बातें करते हैं तो उस नीति का अनुसरण नहीं करते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में वे ऑफिसर रह चुके हैं। उनकी ऑफिसरी मनोवृत्ति जो बनी हुई है उसके कारण वे इस बनियागिरी की, कॉमर्शियल अन्डरटेकिंग्स की वृद्धि नहीं कर सकते हैं। आज के दिन हम मानते हैं और वे भी मानते हैं कि जो राज्य के ऑफिसर हैं या उन्होंने सेक्रेटेरियट में अच्छा सा नोट तैयार कर लिया, अच्छे शब्दों में डिस्कशन लिख दिया तो वे अपने आपको, चूंकि वे आई० ए० एस० हैं, इसलिये कॉमर्शियल अन्डरटेकिंग्स को सम्हाल सकते हैं, राष्ट्रीयकरण की योजना को सम्हाल सकते हैं, सारी चीजों में पारंगत हो गये। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। उनका दिमाग जिस चीज का बना हुआ है, जिस मनोवृत्ति का बना हुआ है, जिस वातावरण में वे पैदा हुए हैं, उस वातावरण का दिमाग राष्ट्रीयकरण की तरफ जाता नहीं है और न कॉमर्स की तरफ जाता है। उनके अपने सोचने का तरीका पुराना है और इस वजह से ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्टी इस काम में आती है।

यहां सदन में यह कहा गया कि जितने भी स्टेट अन्डरटेकिंग्ज़ हैं उनका पूरे का पूरा ऑडिटेड एकाउन्ट्स, फाइनेन्शियल स्टेटमेंट और प्रॉफिट एण्ड लॉस अकाउन्ट्स सदन के सम्मुख पेश किये जाने चाहिये और यह भी बतलाया गया है कि कुछ तो ऐसे उद्योग हैं जिनका ५८–५९ के बाद में ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ एकाउन्ट्स आया नहीं और न ऑडिटेड एकाउन्ट्स हाउस में पेश हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके बने हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके नहीं बने है, कुछ सदन के सम्मुख आये हैं, कुछ नहीं आये हैं। मैं समझता हूं

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

कि सदन के उस ओर बोलने वाले और इस ओर बोलने वाले माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि ऑडिटेड एकाउन्ट्स हर अन्डरटेकिंग्ज के सदन के सामने आने चाहिए। जो यह भावना प्रदर्शित की गई है और मैं स्वयं भी अपनी तरफ से निवेदन करना चाहता हूं कि यह आवश्यक है कि इस सदन को कॉन्फीडेन्स में लिया जाय। इन अन्डरटेकिंग्ज के बारे में और उनके स्टेटमेंट ऑफ एकाउन्ट्स इस सदन में आकर उस पर बहस हो, ताकि इस सदन को मालूम हो सके कि कहां खामियां हैं, वे किस तरह की हैं, उनको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। भारत सरकार ने गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग्ज कमेटी का निर्माण किया था और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी वह इस तरह की थी कि जो भी स्टेट अन्डरटेकिंग्स हैं उनको हरेक को कॉमर्शियल कन्सर्न मानकर उनके एकाउन्ट्स उसी तरह से तैयार हों। उनके एकाउन्ट्स पर सदन में बहस हो, और जो उनके डाइरेक्टर्स हों वे इस सदन की ओर से मुकर्रर हों। उसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हों और वे उस उद्योग को चलायें। मुझे यह निवेदन करना है कि राजस्थान में भी इस प्रकार से हरेक उद्योग के लिए बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स बनेगा उन बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में जहां सरकारी ऑफिसर होंगे वहां सदन के भी लोग लिये जायेंगे और वे मिलकर उस उद्योग को चलायेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से चला सकेंगे और सदन उसके एक शेयरहोल्डर की तरह उसके डिस्कशन में हिस्सा लेकर उस उद्योग के बारे में विचार कर सकेगा। मैं समझता हूं कि इस नीति का अनुसरण करने से हम उस उद्योग को ज्यादा अच्छा बढ़ा सकेंगे, और इससे सरकार को और दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा नियन्त्रण करने का मौका मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जो इस तरह की नीति है, यह एक सिद्धान्त है इसको मानने के लिये तैयार रहेगी।

मैं अब और इसके बारे में निवेदन नहीं करके इतना और निवेदन करना चाहूंगा कि हम सिद्धान्तत: इस बात को मानते हैं कि आज के दिन जो उद्योगों पर नियन्त्रण है वह ठीक तरह से नहीं हो रहा है। इनके अन्दर जो काम करने वाले लोग हैं वे अपने आपको सर्व प्रभुता सम्पन्न मानते हैं और उसी तरह की तानाशाही से वहां पर काम करते हैं जिस तरह की उनकी आदत है। सरकार इस बात को मानती है। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक दफा एक भाषण में पॉवर हाउस में कहा था कि मैं इस बात का हामी हूं कि मैनेजमेंट कौन्सिल हर सरकारी उद्योग में होनी चाहिए। मैं इस सदन के सम्मुख निवेदन करना चाहता हूं कि हर स्टेट अन्डरटेकिंग्ज में वहां के मजदूरों को उसके नियन्त्रण में कुछ हिस्सा दिया जाना चाहिए, और राज्य सरकार और मजदूर मिल कर उस उद्योग को चलायेंगे तो वह एक ऐसी मिसाल होगी कि जो सारी भारतवर्ष में अनूठी मिसाल होगी। जोइन्ट मैनेजमेंट कौन्सिल हो और उसके साथ साथ प्रोफिट शेयरिंग भी हो। जहां तक प्रोफिट का ताल्लुक है सरकार को उनमें मुनाफ़ा मिले तो मजदूरों को भी थोड़ा सा मिलेगा और मजदूर उस मुनाफे के लिए जो सरकार को

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

मिलता है ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, क्योंकि वह यह महसूस करता है कि मुनाफा कमा करके वह सरकार को दे रहा है, वह उसके काम में आयेगा; इसलिए उस मज़दूर को जो उत्साह होगा उस कारखाने में काम करने के लिए वह ज्यादा होगा बनिस्पत उस प्राइवेट कम्पनी के मजदूर के जिसका मुनाफा उस प्राइवेट पूंजीपति के हाथ में आता है और श्रम करता है वहां का मज़दूर तो, मैं यह कहूंगा कि जोइन्ट मैनेजमेंट कौन्सिल और प्रोफिट शेयरिंग की जो स्कीम्स हैं उनको सरकार को अपने उद्योगों में मान लेना चाहिए।

मैं इस बात को कह सकता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यदि मज़दूरों का मैनेजमेंट में हिस्सा हो तो सरकार उन उद्योगों को अच्छी तरह से चला सकती है। वहां पर जो ऑफिसर्स या अधिकारी हैं और उनकी जो मनोवृत्ति अफसरशाही की है वे ऑफिसर अगर मज़दूरों के साथ काम करेंगे तो जरूर उस वृत्ति से काम करेंगे और दोनों मिलकर उस कारखाने को ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ा सकेंगे।

मैं एक बात और ट्रान्सपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं। चूंकि समय बहुत कम दिया गया है इसलिये संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी मैं यह मानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। कोई वजह नहीं है कि जोधपुर की रूट्स का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाय, उदयपुर की जो बड़ी बड़ी रूटस हैं उनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाय, बीकानेर की जो रूट्स हैं उनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाय? कोई स्कीम हमें ऐसी तैयार करनी चाहिए जिसमें साल भर के अन्दर अन्दर जितनी बड़ी बड़ी रूट्स हैं राजस्थान की उन सब को राष्ट्रीयकरण की स्कीम के अन्दर लेलें और उसके अन्दर हम अपनी सर्विसेज़ को बड़े एफिशियन्ट तरीके से चलायें। आज जिस हालत में हम उसको देखते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से जो कि यहां पर बैठे हुए हैं जो स्थिति वहां के मज़दूरों की है उसको जल्दी से जल्दी सुधारा जाना चाहिए। उन लोगों में दिन पर दिन असन्तोष बढ़ता जा रहा है। उनको आज विश्वास नहीं है कि कल या परसों वे नौकरी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। उनको पता नहीं कि उनको ओवरटाइम भी मिलेगा या नहीं, उनको आयन्दा टी० ए० भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहां की व्यवस्था बड़ी दुःखपूर्ण व्यवस्था है और वह व्यवस्था अच्छी तरह होनी चाहिए, उनकी सर्विसेज़ की कन्डीशन्स को सेटल किया जाना चाहिए। उसके लिये वहां पर स्टेंडिंग ऑर्डर्स बनने चाहिएं, और भी कानून जो इस विषय के हैं उनको इस ट्रान्सपोर्ट पर लागू किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसको एफिशियेन्टली रन करना है तो उनकी सलाह से, उनका जोइन्ट मैनेजमेंट कौन्सिल बनाकर उनके अधिकार में यह दिया जाना चाहिए कि किसी तरह से सर्विस को एफिशियेन्टली रन कर सकें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनसे सुझाव लेकर इस काम को शुरू किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

कुछ दिन पहले एक अखबार में मैंने देखा था। मेरे पास भी शायद उसकी इत्तला आई थी, ट्रान्सपोर्ट के बारे में एक कमेटी बनी थी, चार-पाँच महीने उसको बने हुए हो गये, उसमें मुझे भी सदस्य नामजद किया गया था; लेकिन पता नहीं केवल नाम के लिये ही कमेटी बनी थी...... ।

श्री भैरोंसिंह : (किशन पोल, जयपुर) मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कमेटी नहीं बनी है और गजट में पब्लिकेशन नहीं हुआ है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं आपकी बात को ऑथोराइज्ड नहीं मानता ।......

एक माननीय सदस्य : आपका भी नाम उसमें होगा ?

श्री भैरोंसिंह : मेरा नाम नहीं था, इसलिए तो मैंने गजट देखा था ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं इस तरह की कमेटियां सरकारी उद्योगों के लिये बनानी चाहियें और जहां तक सदन के सदस्यों का सम्बन्ध है उनके साथ साथ मजदूरों के प्रतिनिधि भी उनमें होने चाहिये ताकि वे मजदूरों की तकलीफ को ज्यादा समझ कर चल सकेंगे ।

ट्रान्सपोर्ट में मैं एक बात देखता हूं । मैं स्वयं भी उसमें सफर करता हूं । कोटा या अजमेर जाते हुए मैंने देखा है कि सरकार की आमदनी का बहुत कुछ हिस्सा गायब हो जाता है । रास्ते में कुछ सवारियों के टिकट नहीं फाड़ते हैं और कुछ सवारियाँ २५ मील जाती हैं तो १० मील के टिकट फाड़ते हैं । मैंने भी कुछ मामले भेजे थे, पता नहीं उन पर कुछ कार्यवाही हुई या नहीं । इसलिए कुसूरवार बच जाते हैं और बेकुसूर ऐसे भी हैं जिनको ६-८ महीने हो गये, वे कहते हैं कि जांच करो; लेकिन जांच नहीं होती । इस तरह की अव्यवस्था है। मैं उम्मीद करता हूं कि वह दूर की जायगी और इसको आय का साधन मान कर चला जायगा ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपके सामने राजकीय क्षेत्र में जो व्यापार चल रहा है उसके बारे में दो-तीन तरह की विचारधारा आई हैं । एक लोग तो वे हैं जो बिल्कुल खुल्लमखुल्ला राजकीय क्षेत्र में कोई व्यापार हो या उद्योग चले उसके खिलाफ़ हैं । अभी मेरे से पहले जिन्होंने प्रस्ताव रखा है उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि उस वक्त राजस्थान की इस किस्म की हालत नहीं थी कि सरकार अपनी तरफ से कोई उद्योग चला सके या कोई उद्योग ले सके । इसी तरह से स्वतंत्र पार्टी के नेता द्वारा भी इसी तरह के विचार रखे गये । दूसरी तरफ जो 'हां' पक्ष हैं, उस तरफ जो कुछ लोग बैठे हैं उन्होंने इस तरह के विचार रखे कि यह होना तो चाहिये था, लेकिन इस तरह से कुछ कमियां हैं, खराबियां हैं वे दूर होनी चाहिए । लेकिन उनका जो तरीका है वह तरीका भी इसी किस्म का है कि वे जब कोई काम करते हैं, तजुर्बा करते हैं तो राजकीय क्षेत्र को बदनाम करने के लिये करते हैं; ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूरी तरह से अमल करना चाहिये । इधर के लोग खुल्लमखुल्ला कहते हैं कि सरकार

(श्री हरिराम चौहान)

को इस धंधे बाजी में पड़ना नहीं चाहिये। सरकार के लिये यह घाटे की योजना है, इसको अमल में नहीं लाना चाहिये। उधर के लोग काम ऐसा करते हैं घाटा दिखाते है, अपने नीचे के लोग हैं वे या खुद गोल माल करते हैं वे इस तरह करते हैं खाओ-पीवो, मौज उड़ाओ, कोई पूछनेवाला नहीं है। उद्योग में गबन हो जाय तो कोई पूछने वाला नहीं है। चोरी हो जाय तो पूछने वाला नहीं और कोई शिकायत भी करे तो शिकायत का भी यह हाल है कि शिकायत पर आम लोगों को यह तसल्ली हो चुकी है, यह समझ बन चुकी है कि चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे गबन का मामला हो चाहे पुलिस का मामला हो या और किसी तरह का मामला हो उनकी यह समझ बन रही है कि नीचे से ऊपर तक कुछ होने वाला नहीं है, और सारा कारबार नौकरशाही पर है। जब नौकरशाही उसी पुराने तरीके की दकियानूसी है, उसमें पुराने तरीके के ही लोग हैं चाहे वे आई० सी० एस० हों और पढ़े-लिखे हों, उनकी समझ में जब बुनियादी परिवर्तन नहीं कर देते तब तक उम्मीद करना कि राजकीय क्षेत्र में कारोबार को तरक्की देंगे या भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, यह बिल्कुल मुमकिन है नहीं। इस सिलसिले में कुछ चलते भी ऐसे सुस्त हैं, बिल्कुल कीड़ी की चाल चलते हैं। योजना बना देते हैं बहुत अच्छे कागज पर योजना लिखेंगे, बहुत अच्छे सुन्दर ढंग से मंत्री महोदय को पेश करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से पेश करके बड़ी आलमारी में रखेंगे पर उस पर अमल करने का सवाल नहीं लावेंगे।

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि एक कारखाना लगाने की योजना थी डीडवाना की अभी आपके सामने मिसाल है, ४-५ साल हो गये; पर सरकार नहीं लगा सकी। इससे सरकार को जो आमदनी हो सकती थी वह १५ लाख रुपये साल के करीब आमदनी है और काफी पैसा सरकार का बच सकता है और जो विदेशों से मंगाना पड़ता है वह काफी पैसा बच सकता है, लेकिन उस पर वह पूरी पूरी योजना खत्म हो जाय, पूरी की पूरी योजना चली जाय, पर वहां अभी कोई काम नहीं हो सका। मशीनरी के लिये साल हो गये, लेकिन उसके ऊपर छत नहीं बनी, रखने को मकान नहीं बना।

इसी तरह से भूरा कोयला राजस्थान में पैदा होता है। मद्रास भूरे कोयले का प्रदेश में पहला नंबर है और दूसरे नंबर में हमारे राजस्थान में पैदा होता है। यदि उसको केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में लेकर चलावे तो काफी बड़ी तादाद में भूरा कोयला निकल सकता है और उससे सरकार को काफी आमदनी हो सकती है। लेकिन हमारी इस सरकार को, हमारे इस मंत्रिमंडल को इस बात की फुर्सत ही नहीं है, इस बात की कतई फुर्सत नहीं है कि केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाले और जो भी कारखाने हमारे यहां सरकारी असर में चलनेवाले हैं, जो भी खानें सरकार के असर में चलनेवाली हैं उनके लिये केन्द्रीय सरकार से मदद लेने के लिये दबाव डालें। ऐसे काम जो आम जनता के फायदे के हो सकते हैं उनके लिए कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे, अभी मंत्रि-मंडल में झगड़ा चला, यहां से लड़ते लड़ते दिल्ली तक पहुंच गये, एक नहीं सारे के सारे वहां

Page No. 89

(श्री हरिराम चौहान)

इकट्ठे हो गये, लेकिन भूरा कोयला यहां पैदा होता है, केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाल कर अपनी ओर से चलावें, अच्छी तरह से चलावें इसके लिये कतई सरकार तैयार नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में एक संघर्ष हुआ एक रिपोर्ट को लेकर उससे जनता को क्या फायदा होनेवाला था ? कौनसा राजकीय क्षेत्र इसमें डूबने वाला था ? कोई इस प्रकार का धंधा नहीं कि इनको अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी बिल्कुल राजकीय क्षेत्र के काम का बड़ा विस्तार हो, इसके हक में हैं, जो बिल्कुल सीमित है उसको बढ़ाया जाय। ऊन का उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है। सारे हिन्दुस्तान की एक तिहाई ऊन हमारे राजस्थान में पैदा होती है। सरकार इसको अपने कब्जे में ले तो काफी आमदनी हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी तरह से जितने राजकीय क्षेत्र के काम हैं उनमें सुधार होना चाहिये, कमेटी मुकर्रर की जानी चाहिये। मैं हाउस के सामने मांग रखता हूं कि एक जांच कमेटी मुकर्रर हो जो जांच करे कि ये ये चीजें राजकीय क्षेत्र में ली थीं उनमें कैसे सुधार नहीं हुआ और कैसे दिन दिन पीछे जा रहे हैं, उसके लिये कमीशन मुकर्रर हो और वह चार महीनों में या ३ महीनों में रिपोर्ट दे और पूरा पूरा विचार करें कि किस तरीके से, कंपनी के तरीके से व्यापार हो। इसमें मजदूरों को भी शामिल करलें, नौकरशाही के लोगों को भी बेशक शामिल करलें, सरकारी पक्ष के लोगों को भी शामिल कर लें, विरोधी पक्ष के लोगों को भी शामिल करके पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से क्या संभावनाएं हैं, इस पर विचार करें ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समय का ध्यान रखेंगे, और बहुत से बोलनेवाले हैं। श्री रामकिशन।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : काफी देर से मुझे समय नहीं मिल रहा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इनके कान खराब हैं, इसलिये घंटी सुनाई नहीं देती।

श्री हरिराम चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, इनको जरा डंडा दिखाइये चपर चपर नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : Order Please !

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर सदन में विचार कर रहे हैं......

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मेरी प्रार्थना है कि कल के लिये समय रख दिया जाय तो हर्ज क्या है ? कल का विषय है वह ऐसा है और परसों का विषय है वह ऐसा है कि समय निकाला जा सकता है। सबकी इच्छा है इस पर बोलने की, वह पूरी हो सकती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : टाइम और.....

श्री उपाध्यक्ष : लिस्ट ऑफ बिजनस के अनुसार मैं बाध्य हूं कि इसको उतना नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर इच्छा हो तो घंटे दो घंटे और बैठें।

एक माननीय सदस्य : काफी बोलना है, काफी माननीय सदस्यों की बोलने की इच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़। श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर सदन में विचार कर रहे हैं यह ऐसा है जिस पर हमको गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। जहां तक इस स्टेट अन्डरटेकिंग का सवाल है हमारी यह मान्यता है कि जब एक पक्ष यह कहता है कि टैक्स नहीं लगने चाहिएं और आमतौर पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि टैक्स लगाने का विरोध करते हैं और सरकार के निर्माण कार्यों पर जोर देते हैं, उस समय यह आवश्यक हो जाता है कि अधिक से अधिक इस क्षेत्र का विस्तार किया जाय और अधिक से अधिक उद्योग इस क्षेत्र में लगाये जायं, यह जरूरी है। एक तरफ सरकार आमतौर पर किसी उद्योग को अपने काबू में लेती है, तो जैसा हमारे राजस्थान की ऑडिट रिपोर्ट है उसको देखने से मालूम होता है कि सरकार के हाथ में तेईस छोटे-मोटे उद्योग हैं, उनमें सबसे बड़ी कमी ऑडिट रिपोर्ट में बताई है कि नौ उद्योगों का तो हिसाब तैयार नहीं हुआ है। आप सोचिये, एक तरफ सरकार कहती है कि सरकार उद्योगों का विकास करे, हम लोगों की इच्छा है कि अधिक से अधिक व्यवसाय और व्यापार सरकारी क्षेत्र में आयें, लेकिन वहां सरकार की हालत यह है कि छोटे छोटे नौ उद्योगों का हिसाब तैयार नहीं कर पाती है। इससे आम लोगों की क्या धारणा बनती है, वे सोचते हैं कि सरकार जुबान से चाहे कितना ही कहे कि सरकारी उद्योगों के विस्तार की आवश्यकता है लेकिन सरकार के लोग, सरकार के अधिकारी हैं, मैं उनकी नीयत पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके जो सरकारी अधिकारीगण हैं, वे इस तरह की भावना पैदा कर रहे हैं कि सरकारी उद्योगों का विकास नहीं होता है, सरकारी उद्योगों में लाभ नहीं होता है, जनता को लाभ नहीं होता है, इसलिए एक दिन यह स्थिति आ सकती है, जैसी इंग्लेंड में स्थिति आई थी कि टोरी पार्टी जिस समय पॉवर में आई तब लेबर पार्टी के मिसमैनेजमेंट के कारण कुछ काम दुबारा सरकारी क्षेत्र से लेकर जनता के क्षेत्र में देने पड़े। मेरी अर्ज है कि सरकार जान-बूझ कर इस प्रकार की स्थिति पैदा कर रही है। आप देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, कोई व्यापारी अगर उद्योग चलाता तो जिन उद्योगों में सरकारी रुपया पांच करोड़ के आस-पास लगा हुआ है, उसके अन्दर वह पांच-छः साल में पांच करोड़ का नफा आंकता, जब कि आज आपका हर एक उद्योग घाटे में है। आप ऑडिट रिपोर्ट को देखिये, मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे सदस्यों ने इसके डिटेल्स दिये हैं। आपकी ऑडिट रिपोर्ट ने, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में और एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट के अन्तर्गत सरकार की कमियां बताई हैं। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि ये कमेटियां बनी हुई हैं, ये सुझाव देती हैं लेकिन उस पर सरकार के अधिकारी विचार नहीं करते हैं। अगर करते तो.........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order. The Hon'ble Member, Shri Hari Ram (Tijara) has crossed the floor. Atleast we should learn the procedure.

श्री रामकिशन : ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार ने कमेटियां बना रखी हैं, सरकार उन कमेटियों की सिफारिश को लागू करना जरूरी समझती है लेकिन सरकार के विभागीय अधिकारी उन पर गम्भीरता से विचार नहीं करते हैं। यह स्थिति रही तो एक दिन आ सकता है जब सारे प्रदेश में और सारे देश में यह भावना पैदा हो जायेगी कि सरकार को सारे उद्योग जनता के हाथ में सुपुर्द करने चाहिए। इधर से जो माननीय सदस्य बोले, उनकी जो भावनायें थीं वे इस दृष्टि से सरकार पर कोई आरोप नहीं लगातीं लेकिन उसका कारण है वह यह है कि आज सरकार के हर उद्योग में घाटा है, अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है। फिर आप अन्दाज लगाइये कि एक तरफ चाहते हैं कि टैक्स न लगायें और दूसरी तरफ चाहते हैं कि अधिक से अधिक उद्योगों का विस्तार करें और नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ायें। उसके बजाय मैं समझता हूं कि छः-सात करोड़ रुपया सरकार का जिन उद्योगों में लगा हुआ है उनसे शायद सरकार को छः आना, आठ आना व्याज जैसी चीज भी पड़ती है या नहीं? मैं इस वक्त इसकी डिटेल्स में न जाकर व्यवहार के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सिद्धान्ततः यह अच्छी चीज है कि सरकार उद्योग चलाये। हम इसे आवश्यक समझते हैं और उनके विस्तार को आवश्यक समझते हैं लेकिन हमारे सामने मुश्किल है, वह यह है कि अभी हमारे मुल्क की मनोवृत्ति नहीं बदली है। आमतौर पर माननीय सदस्य बहुत बातें कहते रहते हैं, सरकार की मनोवृत्ति के ऊपर, सरकारी अधिकारियों की मनोवृत्ति के ऊपर। मेरा कहना है कि सरकारी ऑफिसर्स की मनोवृत्ति आज उद्योग चलाने वाली नहीं है। आई. सी. एस. ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े सेक्रेटरी रहते हैं कलेक्टर रहते हैं, वे उद्योग चला नहीं सकते हैं। इस काम के लिए साधारण व्यापारी को चुना जाता तो निश्चिततौर पर मुनाफा होता क्योंकि वह समय के अलावा भी इस चीज की देख भाल करता है। लेकिन जो मैनेजर होता है, डाइरेक्टर होता है वह समझता है कि मैं सरकार का ऑफिसर हूं, अगर गंगानगर में नहीं रहे तो राजस्थान सेक्रेटेरियट में आ जायेंगे। वहां भी नहीं रहे तो कलेक्टर बन जायेंगे। इससे फर्क क्या पड़ता है, उद्योग घाटे में जाय या नफे में जाय। इसलिए सबसे पहले सरकारी अधिकारियों की मनोवृत्ति बदलनी पड़ेगी। जब तक यह मनोवृत्ति रहेगी तब तक राष्ट्रीयकृत उद्योगों का विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए इस स्थिति को हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों को और सदन के सदस्यों को कंट्रोल करना होगा। आज बहुत से माननीय सदस्य आरोप लगाते हैं। मैं गवर्नमेंट होस्टल में रहता हूं, मैं किसी आरोप के रूप में नहीं कहता, मैं आम तौर पर कहता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य चौबीस घंटे पंखा चलाते रहते हैं। इससे राष्ट्रीय धन का कितना अपव्यय होता है? इसलिए पहले सरकार लोगों की मनोवृत्ति को बदले। मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट होस्टल का किराया फिक्स्ड है......

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): On a Point of order. This is a reference to the Hon'ble Members, and the Hon'ble Member of the House is also here.

श्री रामकिशन : इसमें ऐसी बात नहीं है। मैं मनोवृत्ति की बात कह रहा हूं। मैं मंत्रियों के लिए नहीं कहता।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): आपको खुशी हुई होगी, इसलिए आप पंखा बर्दाश्त नहीं करते होंगे।

श्री रामकिशन : खैर, आपको ये शब्द अच्छे नहीं लगे हैं तो मैं विदड्रॉ करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आपस में छींटाकशी न करें। जो सिद्धान्त की बात है उसके ऊपर बातचीत चालू रहे।

श्री रामकिशन : छींटाकशी नहीं थी, उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री रामकिशन : जब तक प्रवृत्ति को नहीं बदलेंगे हम समझते हैं कि उद्योगों का विकास नहीं होगा।

इसी तरह जो पलाना की खान है उसके बारे में विवाद चल रहा है कि वह घाटे में क्यों जा रही है ? उसके सम्बन्ध में ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसमें कुछ सुझाव दिये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसके बाद पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का पांचवां प्रतिवेदन, उसके अन्दर भी सुझाव दिये हैं कि इन इन कार्यों को करने के बाद इस खान को घाटे से निकाल सकते हैं। आपका जो प्रतिवेदन है, उसको गौर से देखने से मालूम होता है कि सरकारी अधिकारी उसकी निरंतर उपेक्षा करते जा रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि उद्योगों का विकास करना चाहते हैं तो सरकारी अधिकारियों की मनोवृत्ति बदलें। एक बात।

दूसरी बात है कि अगर भ्रष्टाचार और अनाचार बढ़ता रहा तो हमारे उद्योग बदनाम हो जायेंगे और हमारी आने वाली संतति इसका डट कर विरोध करेगी।

तीसरी बात है कि रोडवेज़ और दूसरे उद्योगों का जिक्र हो चुका है। रोडवेज के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने अनुभव के आधार पर कहा है। मेरा भी अनुभव है, मैं रोडवेज़ में भरतपुर जाता रहता हूं सरकारी बस में। एक दिन एक बस की फेनबेल्ट टूट गई, तो सवारियों को आठ घंटे तक इन्तजार करना पड़ा : क्योंकि ड्राइवर के पास स्पेयर फेनबेल्ट नहीं थी और जब तक जयपुर से नहीं आये तब तक उसे लगा नहीं सकते। फेनबेल्ट सात रुपये में महावीर के पास मिल रही थी, लेकिन वहां से नहीं ले सकते थे। इसलिये आठ घंटे तक रुकना पड़ा और बहुत सी सवारियां दूसरी बस और ट्रक से चली गई। इस तरह सरकार को घाटा हो गया.........

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : आपको भी तो घाटा हुआ।

श्री रामकिशन : यह छोटा सा प्रमाण है। इससे मालूम पड़ता है कि रोडवेज की क्या स्थिति है? इसी तरह एक आगरा-भरतपुर की लाइन है, जयपुर-आगरा की लाइन है। आप देखिये कि उसमें डेढ़-दो लाख का फायदा था। अब सरकारी मशीनरी के हाथ में आने के बाद जो बचत है वह पांच-सात हजार से अधिक बचत नहीं होगी। इसके साथ ही दो साल पहले जो बसेज खरीदी थीं वे साल, डेढ़ साल में समाप्त हो जावेगी। एक तरफ आपकी व्यवस्था यह है और दूसरी तरफ स्टेट एन्टरप्राइज की तारीफ करते हैं, लेकिन जो अखबारों में खबरें छपती हैं और हम जो कहते हैं वह प्रत्यक्ष में ऐसा आधार बनना चाहिये कि उसके एक एक शब्द पर विचार होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री मुश्किलाल मोदी (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय.........

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : इन्होंने तो वायदा कर दिया था कि मैं नहीं बोलूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हां जी, आप जितना टाइम खराब कर रहे हैं उतना टाइम ज्यादा लूंगा।

श्री मुश्किलाल मोदी : मैं बोलूंगा। बैठ जा, यार; बैठ जा।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! If the Hon'ble Member will contine his speech within five minutes then probably more members will be able to speak.

श्री हरिराम (तिजारा) : मुझे तीन मिनट मिली थी, इसलिए इनको भी तीन मिनट मिलनी चाहिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ये कितना सत्य बोलते हैं, इसका अन्दाज आप लगा सकते हैं कि हाउस में कितना सत्य बोलते हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : Please don't waste time, my dear.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आज इस विषय पर विचार करने के लिए सदन को मौका दिया, मैं आभारी हूं उन सम्मानित सदस्य का।

इसके बाद सभापति महोदय, जो नई बात सदन में कही गई है वह यह है कि सरकार के सामने जो अन्डरटेकिंग्ज हैं उनको सरकार को लेना पड़ा है। उसके पीछे एक इतिहास है। चाहे वह पलाना की खान है चाहे शुगर मिल हो। राजस्थान बनने से पहले यह खान थी और शुगर मिल में भी राज्यों के शेयर थे। इसलिये वे उन राज्यों से हमें विरासत में मिली हैं। इसलिए आज इस सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि पब्लिक के पैसे इसमें लगे हैं, इसलिए पब्लिक हित में उनको अपने हाथ में लेती। इसलिए यह कहना कि सरकार की तरफ से जो आज कार्य हो रहा है उसके लिए जैसी स्थिति में हैं, जितना पैसा इसमें लगाया गया है उसका रिटर्न उस हिसाब से नहीं आता है और उतने रिटर्न की आशा करना मैं समझता हूं कि इस तरह की बात होगी जिस तरह से ड्रेग होकर सरकार को कुछ अन्डरटेकिंग्ज को अपने हाथ में लेना पड़ा है। लेकिन मैं यह

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कहूंगा कि आज इतना अर्सा बीता है, सरकार के नियन्त्रण में वे चल रही हैं; उसके बाद इस तरह का नकशा सदन के सामने या पब्लिक के सामने आया है। हमें इसमें देखना यह होगा कि एक एक चीज को मैं संक्षेप में आपके सामने रखूंगा। मैं सही मानता हूं, जैसा कि एक सुझाव आया है कि हमारे बजट में आमूल परिवर्तन होना चाहिए और सदस्यों के सामने एक कॉमर्शियल एकाउन्ट हमें देखने को मिले और बजट जो आता है वह अलग हो।

दूसरी बात आपके शुगर मिल के मामले में गंगानगर की फैक्ट्री है, उसके अन्दर आप देखेंगे, इतना ही नहीं जितना आपने कहा है मैं उससे भी आगे सुझाव रखता हूं। गन्ने के बारे में जैसे आपने फिगर्स रखे वह सोचने की बात है। इसके बाद यह भी बात है कि मोलासिस से शराब तैयार होती है मगर वह शराब वहां तैयार नहीं होती। चूंकि सरकार का यह अन्डरटेकिंग है, इस लिए शराब बनाने की इजाजत इनको मिली है। मगर वास्तव में शराब नहीं बनाते। वह यू० पी० सरकार की शराब यहां पर ला कर देते हैं। फैक्ट्री का प्रॉफिट नहीं है बल्कि सरकार को जो कम्पीटीशन में आना चाहिए वह है। ऐसा एक्साइज डिपार्टमेंट को नहीं करना चाहिये। मगर चूंकि यह सरकारी अन्डरटेकिंग है, चूंकि इससे सरकार को नुकसान लगता है इसलिए एक्साइज वाले सप्लाई करने का ठेका देते हैं। जब ठेका देते हैं, उसके अनुसार चौथाई शराब भी वहां तैयार नहीं होती है, बारह आना स्पिरिट यू०पी० सरकार से मंगाई जाती है और इसके लिये लम्बा चौड़ा ठेका लिया जाता है। बीच का जो पैसा है होता उसको फायदे में दिखाया जाता है। इसलिये इस मामले को देखा जावे। यह ऐसी बात मैंने कही है जिस पर सरकार गौर कर सकती है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि किसी बात को कहना तो आसान है, मगर करना कठिन है। मेरे मित्र तो कहते हैं, मगर करना कठिन है। उनको तो कहना ही पड़ता है, लेकिन सरकार को करना पड़ता है और करने म दिक्कतें आती हैं। कोई इंजेक्शन नहीं है कि लगाया और सब लोगों को कॉमर्शियल माइंडेड बना दे, किसी को ईमानदार बना दे। जैसे तैसे आदमियों से काम चलता है, चलता है। सरकार के किसी भी दफ्तर में जो लोग काम करते हैं वे सभी आपके भाई, भतीजे और चाचा ही बैठे हैं और वे ही काम करते हैं, सरकार के कोई आदमियों के नाम नहीं हैं।

इसलिये मैं शुगर फैक्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं कि जो रुपया लगा है उस पर हमें पूरी तरह गौर करना चाहिए। अगर चला सकते हैं तो चलावें और वह चलनी चाहिये व्यापारिक तरीकों से, क्योंकि पब्लिक का रुपया लगा है। और जब पब्लिक का रुपया लगा है तो उसका काम भी उसी तरह से चलना चाहिये जिससे कि हम फायदा कर सकें।

पलाना के बारे में बात कही गई। इसके लिये सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हम भी कहते हैं कि कलदार लगता है, कोई ज्योतिष का काम नहीं है। सरकार तरह तरह के एक्सपेरिमेन्ट करती है, उसके बाद हमारे पास

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जो चीज है उसको काम में लेना है । हमको हमारे राजस्थान की पोटेन्शियेलिटी को बढ़ाना है ।

इसके बाद ज्यादा बहस ट्रान्सपोर्ट के बारे में है । हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम इसका नेशनलाइज करेंगे । ट्रान्सपोर्ट को नेशनलाइज करने में हमारी विशेष रुचि है । सरकार इस पर कदम उठावेगी चाहे इसका कितना ही क्रिटीसिज्म क्यों न हो । सरकार को इसमें फायदा होगा । मैं यह कहूंगा कि इसमें जो सच्चाई है उसको करना चाहिये और जब किसी काम को शुरू किया जाता है, चाहे वह रेलवे ही क्यों न हो, चाहे ट्रान्सपोर्ट हो, जिसमें हमें निश्चितरूप से फायदा होने वाला है, उसमें शुरू में दिक्कतें होती हैं । इन दिक्कतों को एक साथ हल नहीं किया जा सकता । हम समझते हैं कि पहले गल्तियां होती हैं । यह भी सही हो सकता है कि उनको कई दिक्कतें आती हैं । हम इस बात से इन्कार नहीं करते कि करप्शन नहीं है । पार्ट खरीदे गये, वे गलत खरीदे गये, यह भी सही है । मगर इसमें निश्चितरूप से फायदा होने वाला है । इन गल्तियों के होने पर भी यह सही है कि इस डिपार्टमेंट में मुनाफा होगा । हम नहीं चाहते कि जो लोग प्राइवेट ओपरेटर्स से बात करके फायदा उठाना चाहते हैं उसके निश्चित रूप से हम खिलाफ हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक ही बात और कहना चाहता हूं और वह यह कहना चाहता हूं कि यह कहा गया कि सदन के लोगों को लेकर एक एडवाइजरी कमेटी के स्तर पर यह चलाया जावे । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सुझाव के पीछे जो जनता की सही भावना को कमेंट किया जा रहा है उसको रोका जावे । आपको, सरकार को, हर मामले में जिम्मेदार बनाना चाहिये । आप क्रीटिसिज्म से बचने के लिये एक तरह से दफ्तर बनाते हैं । मैं यह कहूंगा कि वह किसी तरह से इम्प्रूव करने वाला नहीं हो सकता । आपको किसी को मौका नहीं देना चाहिये । कांग्रेस सरकार ने जिम्मेदारी ली है । आप कभी स्टेचुटरी बोर्ड बनाते हैं । आप कहते हैं कि यह बोर्ड का काम है । मैं समझता हूं कि यह इस तरह से जिम्मेदारी से बचने का तरीका है ।

मैं पुरज़ोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमें और कोई दिलचस्पी नहीं है । हमें दिलचस्पी यही है कि पब्लिक का पैसा लगा है, इसलिये ईमानदारी से काम हो, मुनाफा हो । हम नीयत पर हमला न करें । हम गल्तियां करते हैं उसके लिये आप कह सकते हैं लेकिन बेइमान नहीं कह सकते । गलतियों की वजह से नुकसान हो जाय तो कोई परवाह नहीं करें; पर कोई हमारे ईमान पर शक न कर सके इस तरह की जिम्मेदारी को लेकर हमें अपने अन्डरटेकिंग्ज़ को चलाना है ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय उद्योगां पर चर्चा चली। उणरे साथ पलाणा री खान पै चर्चा चाली, म्हूं सोचूं हूं के पलाणा की खान के बारां में म्हारी जाणकारी है वा सदन के सामने राखूं। पलाणा में लिग्नेट री खान है जीने के भूरो कोयलो केबो करे है या खान निकली जीके लारे है एक रोचक कथा। अगर दो शब्द वींके बारां में केऊं तो बेजा नीं व्हेला।

आज सूं सौ, डेड सो बरसां पेली बठे लोग कूड़ो खोद रिया हा, कूड़ो खोदतां थकां डूंगो दियां तो पाणीं री जगा लिग्नेट निकल आई। वीं बगत गांव रा मिनखां देखी के मेट निकलती देखी, माटी निकलती देखी, पाणी निकलतो देख्यो, पण काला काला डगला निकलता कदेई नीं देख्या। बीं बगत लोगां लिग्नेट रो उपयोग नीं जाण्यो, लिग्नेट रो उपयोग नीं कियो। केई बरसां तक लोग लिग्नेट काढ़ काढ़ चूला में बालता रिया, बरसां तक ओ काम चालियो। आखिर महाराजा गंगासिंहजी की निजर वीं पै पड़ी तो सोचियो के कांई बात है, पतो लागियो के लिग्नेट है। पाछे आप शाफ्ट लगाय ने लिग्नेट ने काफी तादाद में निकालियो, वींका सु पावर हाउस को काम चलायो। विदेशों में ऑर्डर कर दो टरबाइन विशेषतौर सूं ईं तरे का मंगाया जो लिग्नेट सूं काम करता। काफी बरसां तक वीं लिग्नेट सूं बीकानेर रो बिजलीघर चालियो। वीं के बाद महाराजा गंगासिंहजी को ध्यान गयो के अगर ओ लिग्नेट उम्दा जाति को होवे तो जांच करार मोटो उद्योग चलायो जावे। वे बठां सूं एक अफसर, शायद त्रिपाठीजी ने पलाना खान रो लिग्नेट लेर विलायत भेजिया। वे विलायत गया, जर्मनी में ८ महीना रेर वीं लिग्नेटर री लिग्नेट रा कारखाना में ८ महीना तक जांच करवाई। लूंगरी रो कारखानों ८ महीना तक बीं लिग्नेट री जांच करने एक महत्वपूर्ण मोटी रिपोर्ट दी, बहुत डिटेल में वा रिपोर्ट ही बीं में लिखी के हिन्दुस्तान में इतरा बरसां तांई कोई ई तरह रो उम्दा किस्म रो लिग्नेट नीं निकलियो। कोयला में बलवा री शक्ति होवे है, वा ई लिग्नेट में काफी तादाद में शक्ति है और बलबा बाद जो राख बचे वा ई लिग्नेट रे बलवा बाद बहुत कम बचे और ओ लिग्नेट है वो करीब करीब पत्थर का कोयला की बराबर है। ई ने कुदरत थोड़ो और करड़ो बणा देती तो ओ लिग्नेट पत्थर को कोयलो बण जातो और वीं रिपोर्ट में राय दीदी के पलाणा खान में ओपन कास्ट माइनिंग को काम शुरू कर देणो चाहिजे।

लूंगरी री रिपोर्ट सूं बहुत कम लोग परिचित है और राज्य सरकार भी शायद डिटेल्स में वीं रिपोर्ट नें नी देखी, पण म्हें म्हारी निजी जाणकारी सूं अर्ज करणी चाहूं हूं के वा बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। आज भी यदि वीं रिपोर्ट ने ध्यान सूं पढ़ी जावे तो इण उद्योग में आपने वीं सूं काफी मदद मिलेला। ईके बाद महाराजा गंगासिंहजी सोची के काफी उम्दा रिपोर्ट लूंगरी सूं आई है तो बहुत मोटी स्कीम पलाना में चलाई जावे। वे मद्रास का इन्जीनियर ने बुलायो, शायद मिस्टर हूंटर बाहर सूं आयो और बाहर सूं मशीनां मंगावा को ऑर्डर दियो। पण बदकिस्मती की बात है, ओ सन् ३६-३७

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

को जिकर है, ई के बाद लड़ाई छिड़ गई और वां मशीनां के आबा में देर हुई। करीब करीव १९४९ में वे मशीनां पहुँची और थोड़ा दिनां बाद ही स्टेट को विलीनीकरण हो गयो। विलीनीकरण री बजह सूं सारी स्कीम, मशीनां, खान और सारी की सारी चीजां सरकार के हाथ में आई। मशीनां मंगाई जदी वांकी साढ़ा आठ लाख रुपया कीमत ही, पण आज वां मशीनां नें मंगाई जावे तो सवा करोड़ रुपया देणा पड़े पण राजस्थान सरकार का हाथ में वा स्कीम आतां ही स्टेट की बणायोड़ी स्कीम ही वा सारी की सारी खारिज हो गई, वां मशीनां में काट जमवा लागो। ऊंडा ओवरा में वां मशीनां ने डाल दीदी। बां सूं कोई माइनिंग रो काम नीं कीदो। वां मशीनां री काई हालत थी के मशीनां के पड़ी.पड़ी के काट लागवा लाग्यो र इरिगेशन डिपार्टमेंट के वे मशीनां चपेक दीवी, शायद चम्बल या जवाई पर वां सूं काम लियो है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के माथे वे मशीनां चपेकी।

पलाणा खान पर जे ओपन कास्ट माइनिंग रो काम शुरू हो जातो तो बीकानेर डिवीजन को आज नक्शो ही कुछ और होतो। ई की मिसाल मूं आपने अर्ज करूं। मद्रास में नेवेली नाम की खान है, बठे भी लिग्नेट निकले है। वीं खान का लिग्नेट के मुकाबला में पलाना खान को लिग्नेट ज्यादा उम्दा किस्म को है। पर नेवेली में थर्मल पावर स्टेशन कायम करियो, वो नेवेली को थर्मल स्टेशन आज ढाई लाख किलोवाट बिजली दे रियो है, जो सारी चम्बल डेम री बिजली, राणा प्रतापसागर, गांधीसागर और कोटा डेम री मिलायर जितरी बिजली होवे वतरी वो नेवेली रो थर्मल स्टेशन एकलो दे रियो है। आपां वीं सूं आगे निकल गिया व्हेता।

आज राजस्थान में जितो कोयलो आ रियो है वो बाहर सूं आ रयो है बंगाल सूं आ रियो है, डेढ़ हजार मील दूरा सूं आ रियो है। टूंडला में गाड़ियां बदले तो बहुत नुक्शान होवे, दूर सूं आबां सूं राजस्थान में कोयलो बड़ो मंगों है। ४५ रुपया टन को भाटा रो कोयलो जदी, ७० रुपया टन को सोफ्ट कोक को और १३० रुपया टन चारकोल को बाजार भाव है; जदी के पलाना की खान ने ओपन कास्ट माईनिंग सूं शुरू करां तो ई कोयलां पर १७ रुपया टन माथे खर्च पड़ेगा, और दूसरो खर्चा गिणां तो २२ रुपया, २३ रुपया या ज्यादा सूं ज्यादा २५ रुपया टन रो भाव हो सके है। पण भावरो फरक मुलाहिजा कराओ; कठे १३० रु०, कठे ७० रु०, कठे ४५ रु० और कठे २५ रुपया टन। आ बात जरूर है के पत्थर का कोयला रे मुकाबला में लिग्नेट बलवा में कुछ फोरो है, फोरो बियां सूं कांई होवे, भाव में फरक कितो है।

लूंगरी री रिपोर्ट है के ई में अगर चीकणी माटी मिलायर काम में लियो जावे तो ओ चारकोल, सोफ्ट कोक और हाई कोक तीनूं तरां रा पत्थर रा कोयलां रे रूप में काम में आ सके है।

म्हे सुणी, राजस्थान सरकार शायद आ सोच री है के ओपन कास्ट माइनिंग शुरू करां तो ई कोयला की खपत कठे करा अतरा दिम तो बीकानेर में बिजलीघर में खपत

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

होती री, बठे अब भाखरा री बिजली आणां सूं खपत नीं होवे। तो मारो सुझाव है के लिग्नेट ने काम में लेबा का कई तरीका है, पैलो तरीको तो यो है के जीं तरे नेवेली में थर्मल पावर स्टेशन कायम कियो वीं तरह सूं थर्मल स्टेशन कायम कर ने जोधपुर सूं कनेक्शन जोड़ देवां, ग्रिडसिस्टम कर दाँ तो बिजली को पूरो को पूरो सदुपयोग कर सकां हां।

दूसरो ई में ग्रो तरीको हो सके है के पलाना में लिग्नेट री खान है, वींज बीकानेर का इलाका में राजस्थान केनाल ग्राई है. वीं ने पक्की बांधवा वास्ते करोड़ों, ग्ररबां, खड़बां ईंटां की जरूरत पड़ेगा। ग्रां ईंटां ने पकावा वास्ते बलीता री आज रा जमाने में एक बड़ी भारी समस्या है। टेक्निशियन लोगां रो केणो है के ई लिग्नेट सूं ई के वास्ते ईंटां पकावां तो ईंटां बहुत मजबूत बणेगा ग्रौर टूटेगा नीं। डोमेस्टिक वर्क के वास्ते यूज कर सके, भट्टियां के वास्ते काम में ला सके, छोटा मोटा कारखाना चला सके। हूं सुझाव दूं के खान में जल्दी से जल्दी ग्रोपन कास्ट माइनिंग शुरू कर दी। ग्रापां न करांगा तो आपाने ग्रागे पिछताणो पड़ेगा।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)
(एक मिनिट)

८॥ लाख रुपया की मशीनां ग्रायी है। जल्दी ही उद्योग हाथ में लेणो चाहिजे। मजदूरां ने रोटी मिल सके ग्रौर ग्रापणा क्षेत्र में बहबूदी हो।

ग्रनेक **माननीय सदस्य** : माननीय उपाध्यक्ष......

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो वाद-विवाद हो रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रौर उस बात का ख्याल रखते हुए मैं चन्द बातें ग्रर्ज करना चाहता हूं।

जहां ट्रांसपोर्ट के नेशनलाइजेशन का सवाल है इसके बारे में कुछ प्रतिवेदन हमको मिले हैं ग्रौर उसमें यह कहा गया है कि ६२-६३ में कौन कौन से रूट्स का नेशनलाइजेशन किया जावेगा। उसमें एक बात यह लिखी है, ग्रजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर वाया कपासन, माहोली रूट। जहां तक इस रूट को नेशनलाइज करने का सवाल है इससे ग्रधिक महत्वपूर्ण रूट जिस पर ग्रभी भी काफी प्राइवेट बसेज़ चलती हैं ग्रौर जो कि पक्का रोड़ है वह है चित्तौड़ से उदयपुर। डाइरेक्ट बसेज चलती हैं ग्रौर भीलवाड़ा, गंगापुर, नाथद्वारा होकर उदयपुर जाती है ग्रौर ग्रजमेर से ब्यावर होकर उदयपुर रोड़ जाती है। ये तीनों ही नेशनल हाइवे है। इन तीनों रूट्स को पहले नेशनेलाइज करना चाहिये था बजाय इसके जो इसमें दिया है। ये रोड्स कम्पलीट नहीं हैं। जिन रूट्स से ग्रधिक ग्रामदनी होती है उन रूट्स को पहले नेशनलाइज़ करना चाहिये। ग्रभी जो रूट्स मैंने ग्रापको बताये हैं उन पर ग्रधिक बसेज चल रही हैं ग्रौर प्राइवेट बसेज वालों को इससे काफी ग्रामदनी हो रही है। क्यों नहीं इन रूट्स को नेशनलाइज करके ग्रामदनी बढ़ायी जाय ?

इसके साथ साथ भीलवाड़ा ग्रौर ग्रजमेर रूट तो नेशनलाइज़ किया गया है। इन पर

(श्री उमरावसिंह ढाबरीया)

जो रोडवेज़ की बसेज चलती हैं वे प्राइवेट बसेज़ के किराये के मुकाबले में एक रुपया अधिक किराया वसूल करती हैं। इसलिए रोडवेज़ की बसेज का यह हाल है कि उनमें तीन-चार सवारियों से अधिक नहीं बैठती हैं और प्राइवेट बसेज पूरी ठस भरी हुई चलती हैं क्योंकि इस रूट पर प्राइवेट बसेज को भी चलने की इजाजत दे रखी है। इस कारण रोडवेज को अधिक नुक्सान होता है। इसके साथ साथ रोडवेज के चलने के टाइमिंग्स भी ठीक नहीं हैं, समय पर नहीं, चलती हैं, अधिक किराया चार्ज करती हैं; इस कारण इनको काफी नुक्सान हो रहा है। मेरा यह सुझाव है कि जहां भी रोडवेज बसेज को शुरू किया जाय उससे पहले वहां का प्लानिंग और वहां की जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखकर ही जिस रूट को नेशनलाइज करना हो उसको करना चाहिये।

इसके अलावा सबसे बड़ी मुसीबत का सवाल इसमें है वह यह है कि मुसाफिरों के सुभीते का ध्यान नहीं रखा जाता। सामान को उतारने और चढ़ाने का जहां तक सवाल है उसके लिए कोई भी इन्तजाम नहीं है। हम लोग रोडवेज की काफी बसेज में ट्रेवलिंग करते हैं। मैंने खुद ने देखा है कि जब मैं जयपुर से भीलवाड़ा जा रहा था तो एक बुढिया उस बस के जरिये से अपना सामान लेजा रही थी। किशनगढ के पास कस्टम चौकी पर उसके सामान को फेंक दिया गया और हालत यह हुई कि वह बुढ़िया अपने सामान को इक्ट्ठा नहीं कर सकी। इस प्रकार का जो व्यवहार है रोडवेज के लोगों का वह जनता के साथ मेल नहीं खा सकता है। यदि सरकार को व्यापार करना है तो नर्मी होनी चाहिये, बर्ताव अच्छा होना चाहिये और यदि यह नहीं है तो व्यापार चल नहीं सकता। यदि हकूमत मान कर व्यापार चलाना चाहते हैं तो वह व्यापार प्रोफिटेबल नहीं हो सकता, इसलिए इन चीजों को हमें पहले देखना चाहिये कि जनता को अधिक से अधिक सहूलियतें मिलें। सरकारी बसेज अधिक किराया लेती हैं, जैसे अजमेर से भीलवाड़ा तक रोडवेज की बसेज ३.५५ न० पै० लेती है जब कि प्राइवेट बसेज वाले २.५५ न० पै० लेती है। १) रु० अधिक रोडवेज की बसेज चार्ज करती हैं। प्राइवेट बसेज कम किराया लेते हुए भी हजारों रुपया कमाती है और हमारी बसेज अजमेर और भीलवाड़ा रूट पर काफी घाटा उठाती हैं। इस कारण यहां की व्यवस्था ठीक नहीं है और इसको सुधारना चाहिये।

इसके अलावा शूगर फैक्ट्री गंगानगर के लिए कहा गया। मैंने दो ढाई वर्ष तक शूगर फैक्ट्री में काम किया है। उस फैक्ट्री में जो चीज फालतू फैंक दी जाती है उनका उपयोग करना चाहिये और अन्य बातों में जो सरकारी फिजूल खर्च होता है उसको बचाना चहिये। कोयले में अधिक खर्चा होता है, यह बताया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि गन्ने का जो चूसा होता है उसको जलाना चाहिये। मन भर भी कोयला नहीं जलाना चाहिये। गन्ने के चूसे से ही बोयलर मशीनरी को चलाना चाहिये। चल भी सकती हैं। मौलेसेज जो बचता है उसके लिए हमारे यहां पर इस फैक्ट्री के लिए बताया गया कि शराब वगैरह बनती है।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इससे स्टेट को आमद हो लेकिन इसको दूसरे तरीकों से नीलाम कराया जाय और कोई उपयोग में लाना हो तो बेचा जा सकता है और उससे अधिक पैसा बसूल हो सकता है।

शूगर फैक्ट्री के लिए एक बात बहुत ही उपयोगी है और वह यह है कि गन्ने को किस टाइम पर खेत से मंगाना चाहिये। यह देखने की बात है। शूगर फैक्ट्री को चलाने का टाइम फिक्स्ड हो। ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट होने चाहिये जो खेतों में जाकर देखें कि कौनसा गन्ना समय पर शूगर फैक्ट्री में पहुंच जायेगा जिससे चीनी मिल चल सके। सीज़न के अनुसार खेतों में जाकर देखना चाहिये और समय पर यदि फैक्ट्री में गन्ना पहुंचाया जायगा तो उससे शूगर भी अधिक बैठेगी और ज्यादा से ज्यादा काम हो सकेगा। होता यह है कि जब गर्मी पड़ने लगती है तब जाकर गन्ना फैक्ट्री में पहुँचाया जाता है जिससे शूगर की क्वान्टिटी कम हो जाती है और जो शुरू में गन्ना लाया जाता है जो ज्यादा पानी में से लाया जाता है जो कि पक नहीं पाता और फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है; पड़ा रहता है, इससे शगर की कमी होती है। इन बातों को ध्यान में रख कर ही इस इन्डस्ट्री को चलाना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, केवल तीन मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: सोशलिस्ट पार्टी के दो माननीय सदस्य इस बहस में भाग ले चुके हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: सिर्फ तीन मिनिट.....

श्री उपाध्यक्ष: Order please! मैं व्यवस्था दे चुका हूं। माननीय यातायात मंत्री।

श्री हरिश्चन्द्र (यातायात मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में स्टेट एन्टरप्राइज़ेज़ पर बहस हुई है और माननीय सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया और कई महत्वपूर्ण सुझाव इस सदन में रखे, उन सब महत्वपूर्ण सुझावों का हम सब आदर करते हैं।

जहां तक रोडवेज से संबन्धित चर्चाएँ हुई, मैं सदन के सामने चन्द बातें पेश करना चाहूंगा। रोडवेज आज बड़े संघर्षमय पीरियड में चल रही है, वह इस वास्ते कि अभी राजस्थान में कई ऐसे प्राइवेट एन्टरप्राइजेज चल रहे हैं, बस ऑपरेटर्स हैं वे यह चाहते हैं कि स्टेट रोडवेज़ किसी न किसी तरीके से ठीक प्रकार से न चले; वह फेल्योर हो जाय और उसकी बदनामी हो। मैं माननीय सदस्यों के सामने यह पेश करना चाहता हूं कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री नेशनलाइज़ होनी चाहिये। मैं अदब के साथ यह पेश करना चाहूंगा, जो भी प्रोग्राम स्टेट रोडवेज़ को नेशनलाइज करने का है, सरकार उसका पालन करेगी। मुख्यतया तीन प्रिन्सिपल्स सामने रखे जाते हैं नेशनलाइज़ेशन के सिलसिले में। राजस्थान सरकार के सामने अपने फाइनेन्शियल रिसोर्सेज़ के आगमेन्ट करने का सवाल है रोडवेज़ के जरिये हम स्टेट के फाइनेन्स को आगमेंट कर सकते हैं।

(श्री हरिश्चन्द्र)

इसमें दूसरा जो पोइन्ट है वह यह कि जो मनुष्य इस रोडवेज़ में ट्रेवल करें उनको सहूलियत मिलनी चाहिये । प्राइवेट बसेज़ में जो सहूलियत नहीं मिलती थी वह मिलनी चाहिये ।

तीसरी जो सब से जरूरी चीज है, जो अहम मसला है वह यह कि जो इस इन्डस्ट्री में काम करते हैं उनका स्टेंडर्ड ऑफ लीविंग, उनकी सर्विस कन्डीशन अच्छी होनी चाहिये । इन तीन मोटे सिद्धान्तों को लेकर राज्य सरकार ने हिम्मत की है इस रोड ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज़ करने की । इसके तहत आपके सामने एक लीफलेट पेश किया गया है, उसके जरिये माननीय सदस्यों को जानकारी हो सके कि कौन कौन से रूट्स नेशनलाइज़ हो रहे हैं ।

हम चाहते तो यह है कि जल्दी से जल्दी रूट्स को नेशनलाइज़ करें, लेकिन उसमें फाइनेन्सेज़ की दिक्कत आती है इसलिये जितना करना चाहते हैं नहीं हो पाया है । यहां पर सदन में कई माननीय सदस्यों ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि रोडवेज़ में करप्शन और घोटाले हैं । मैं यह नहीं कहता कि यह टीथिंग ट्रबल रोडवेज़ में न हो । यह कहना कि सारी बात घोटाले से ही शुरू है, ठीक नहीं । एक माननीय सदस्य ने कहा कि मंत्री महोदय भी ब्रेनलैस हैं । मैं समझता हूं इस प्रकार की बातें कहना सदन के लिये शोभाजनक बात नहीं । यहां पर इस तरह की बातें भी पेश हुई कि इसमें करप्शन है इसको मिटाने के लिये सरकार प्रयत्नशील है । जिस तरह से भी माननीय सदस्य चाहें वे इस पक्ष में हों या उस पक्ष में, मैं समझता हूं यह केवल हमारे प्रान्त की बात नहीं नेशनल इन्ट्रेस्ट की बात है, करप्शन मिटना चाहिये । उसके लिये जो भी सुझाव माननीय सदस्य रखेंगे जिससे करप्शन कम हो उसको मानने के लिये हम हमेशा तैयार हैं । जहां तक करप्शन की बात कही गई, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह हमारे देश की कमजोरी है इस कमजोरी को जल्दी से जल्दी मिटाने की जरूरत है, चाहे वह रोडवेज़ में हो, चाहे और किसी चीज में हो । यह एक नेशनल प्रोबलम है, राजस्थान तक ही सीमित नहीं । इस नेशनल प्रोबलम को किस तरह से हल किया जाय, यह बड़ा अहम मसला है । इस मसले को सुलझाने का हर सदस्य, हर मनुष्य हर नारी, हरेक आदमी का जो इस बड़े भारत में रहता है उसका फर्ज़ है कि करप्शन को मिटाए और उसके लिये जो भी सुझाव माननीय सदस्य रखेंगे उसका हम हमेशा स्वागत करेंगे ।

कॉमर्शियल अकाउन्ट्स के बारे में भी जिक्र किया गया । इसके बाबत में यह निवेदन करना चाहूंगा, इसमें कॉमर्शियल अकाउन्ट्स मेन्टेन होते हैं । यह मैंने आदेश दिया है कि आने वाले बजट सेशन तक सारे अकाउन्ट्स आपके सामने पेश कर सकें, जो क्लिअर पोज़ीशन लेते हुए आयें ताकि हर माननीय सदस्य को यह महसूस हो कि जो सूचना वे चाहते हैं वह मिल सके, हम इसका प्रयत्न करेंगे ।

जैसी कि मेरे पास सूचना आई है १९६०–६१ में राजस्थान रोडवेज़ में ४९३ हजार का नफा हुआ, उसके बाद लीगल कॉम्प्लीकेशन्स शुरू हुए । कई प्राइवेट बस ऑपरेटर्स सुप्रीम कोर्ट तक गये उसके तहत

(श्री हरिश्चन्द्र)

स्टे ऑर्डर मिले इसलिये रोडवेज़ जिस तरह से आगे बढ़ना चाहती थी, नहीं बढ़ पायी। ६१-६२ में करीब १३-१४ हजार रुपये का नुकसान हुआ। इसके बाद हम लोग आगे चलने लगे। इस साल यह कोशिश की गई कि रोडवेज़ का जल्दी से जल्दी नेशनलाइज़ हो, लीगल डिफीकल्टीज को सोल्व किया जाय, जिस तरह से भी हो हमारे जो मेजर रूट्स हैं वे नेशनलाइज़ हों। अब तक के जो आंकड़े मेरे पास आये हैं अप्रैल से अगस्त तक, ११ लाख के करीब प्रॉफिट हुआ है। अनुमान करते हैं कि साल के आखिर तक १९-२० लाख तक पहुंच पायेंगे। मैं समझता हूं, यह एक ऐसा कदम उठा है जिसके जरिये राजस्थान सरकार को फायदा हो सकता है। इस इन्डस्ट्री में हमारे को प्रोफिट होता है तो इस इन्डस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको भी फायदा पहुंच सकता है और जनता को हम यह नतीजा बता सकें कि रोडवेज़ के हमारे हाथ में आने के बाद हमने ट्रेवलर्स को ज्यादा फेसीलिटीज प्रोवाइड की है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि लोगों को उतरने पर सामान आदि ले जाने में दिक्कत होती है। इसके लिये मैंने जनरल मैनेजर को यह आदेश दिये हैं कि वे इस प्रकार के बेजेज तैयार करके कुलियों को दें जिससे पेसेन्जर्स को मालूम हो सके कि ये रोड़वेज के कुली हैं और इनके सुपुर्द माल चढ़ाने उतारने का काम है।

इसके अलावा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि रोडवेज़ की बसें आ गई और जिस पुल के पास कई बसें खड़ी थीं, वहां वे पड़ी रहीं और इस तरह से आइडल कैपिटल के रूप में इसका बोझा स्टेट के फाइनेन्सेज़ पर पड़ा है।

मैं मानता हूं कि यह सही बात है। लेकिन इसके पीछे कोई यह हमारा मकसद नहीं था कि राजस्थान सरकार का पैसा उलझा दिया जाय और उस चीज को वैसे ही पड़ा रखा जाय। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि आपकी तरह हमारे सामने भी लीगल डिफिकल्टीज़ हैं और डेमोक्रेटिक सेट अप ऑफ गवर्नमेन्ट में ये डिफिकल्टीज़ आती हैं। यह कोई सामन्तशाही या फ्यूडल सिस्टम नहीं है कि जैसा चाहें वैसा आनन-फानन में कर दें। जो ऑपरेटर्स हैं वे लॉ का प्रोटेक्शन ले सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और इसके बाद भी जो निर्णय होता है उसको मान्य किया जाता है। वह उनको भी और हमको भी मान्य होता है। तो इस लीगल कम्पलीकेशन के लिहाज से कई ऐसे रूट्स थे जिन पर चाहते हुए भी हम बसें समय पर नहीं चला पाये और इस तरह से वे बसें पड़ी रह गईं। पर अब जो लिस्ट आपके सामने पेश हुई है उससे यह महसूस होगा कि इस अरसे में हमने कुछ न कुछ प्रोग्रेस की है और उन लीगल डिफिकल्टीज़ को टाइड ओवर करते हुए हमारी रोडवेज़ प्रगति करती जा रही है।

इसके अलावा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि जयपुर अजमेर रूट का पोस्टपोनमेन्ट हुआ। मैं मानता हूं इसे। पर इसकी वजूहात तो मालूम की गई तो मुझे यह बताया गया कि चूंकि इलेक्शन का मौका था और इस दौरान में ये बसें रिक्विजीशन हो गई थीं इसलिये एक महीने का टाइम बढ़ाकर ये सारी बसें इलेक्शन विभाग को दी गई थीं।

(श्री हरिश्चन्द्र)

इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया कि जोब कार्ड और दूसरा रेकार्ड नहीं रखा जाता है। हो सकता है, माननीय सदस्य के सामने ऐसी बातें आई हों, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे मुझे कैटेगोरिकली ऐसी चीजें बतावेंगे तो उसका प्रबन्ध करना हमारा काम है। लेकिन जहां तक मुझे बताया गया है जोब कार्ड्स रखे जाते हैं, हर वैहिकल की हिस्ट्री शीट खुली हुई है; उसमें क्या क्या रिपेयर या पार्ट्स वगैरह लगाये जाते हैं ये सारी बातें उसमें दर्ज होती हैं। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि गलती नहीं होती है, यह मैं नहीं कहना चाहता। होती भी होंगी, पर ऐसी कोई कॉन्क्रीट एग्ज़ाम्पल कोई माननीय सदस्य मेरे सामने लावेंगे तो उस पर उचित कार्यवाही करना मैं अपना फर्ज समझता हूं।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि हमारी बसें देरी से चलती हैं। इसके लिये कई बार मैं खुद रोडवेज के दफ्तर में गया हूं और ड्राइवर और कन्डक्टर्स से बात की है और इस बात पर जोर दिया है कि जितनी भी बसें हैं वे टाइम से निकलें, पैसेन्जरों को समय पर पहुंचावें ताकि पैसेन्जरों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। ताहम भी हो सकता है, कहीं लेट चलती हों तो उसके लिये भी हिदायतें कर दी गई हैं कि वे पंक्चुएलिटी बरतें। मैं समझता हूं कि यह काम जो हमने उठाया है उसमें सिर्फ मिनिस्टर या मैनेजमेंट का या अकेले सरकार का यह काम नहीं है कि वे ही उसमें अपना फर्ज निभावें, लेकिन इस अवसर पर मैं उन सभी कर्मचारियों से जो भी इसमें काम करते हैं निवेदन करूंगा कि यह भी उनका काम है कि वे रोडवेज का नाम ऊंचा हो, ऐसा काम करें, इसके नाम को बढावें और जो जो भी पाबन्दियां इसके मुतल्लिक करनी पड़ती हैं वे वे करें।

यह भी कहा गया कि हमारे यहां के फेयर्स बहुत ऊंचे हैं। मैं माननीय सदस्य के सामने यह पेश करना चाहूंगा एक चार्ट जिससे मालूम होगा कि हमारे यहां कि फेयर्स दूसरी स्टेटों के मुकाबले में कम है। गुजरात में पांच नये पैसा पर माइल लिया जाता है, मध्यप्रदेश में भी पांच नये पैसे पर माइल लिये जाते हैं, यू० पी० में अपर क्लास का पांच नये पैसे हैं और लोअर क्लास का चार नये पैसे पर माइल लिया जाता है और राजस्थान में हमारे यहां चार नये पैसे पर माइल लिया जाता है। तो इससे आपको आसानी से मालूम हो जावेगा कि जो राजस्थान के फेयर्स का स्टक्चर है वह कोई नावाजिब नहीं है और ऊंचा भी नहीं है।

इसके अलावा एक बात यह भी कही गई कि टिकिट्स की प्रिन्टिंग जो है वह कोई एक साइज़ दिया गया था उससे छोटा कटा है। मैं इसके लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वजह जो टिकिट्स का नमूना ओरिजनल साइज़ का था उसी पर छापा गया है यह जरूर था कि एक टाइम पर यह विचार किया गया था कि क्या टिकट का साइज़ कट किया जावे। पर उस छोटे साइज़ का न तो ऑर्डर प्लेस किया गया और न वे टिकट छपे हैं। ओरीज़नल साइज पर ही टिकिटें छपी हैं। यह मैं समझता हूं कि मेरी बात यह मेरे मित्र मानेंगे नहीं क्योंकि......

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसलिये कि मेरे पास दोनों प्रकार की टिकटें मोजूद हैं। इसलिये मानने का सवाल नहीं पैदा होता।

श्री हरिश्चन्द्र : तो आप बतावें। मैं इसकी जांच कर सकता हूं। पर मैंने स्पेसिफिकली अपने विभाग वालों से पूछा है कि टिकटें कम छपी हैं या साइज़ छोटा किया गया है......

श्री भैरोंसिंह : साइज़ छोटी नहीं, बड़ा कर दिया है सरकार ने।

श्री हरिश्चन्द्र : जो साइज टेन्डर में रखा था वही साइज है, कम नहीं की गई हैं,न बड़ी की गई है। मैंने स्पेसिफिकली पूछा है। और पूछ कर मैं स्पेसिफिकली बता-दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आप बता दीजिये, मैं बड़ा शुक्र गुजार हूंगा।

श्री हरिश्चन्द्र : इसके अलावा टिकटें प्रिन्ट करने की मशीन के बारे में कहा गया। तो मैं निवेदन कर दूं कि अभी इसके लिये प्रिन्टिंग मशीन आई नहीं है। प्रोसेस ऑफ ऑर्डर में है यह अभी। मैं समझ नहीं पाया कि आपने कैसे बताया कि अलवर पहुंचगई वे।

श्री भैरोंसिंह : वे जोधपुर में पड़ी हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : वे नहीं आई अभी। Printing machine is in the process of order. It has not yet arrived.

श्री भैरोंसिंह : वे आ गई हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : वे फिर बिना ऑर्डर कैसे आ गई ?

श्री भैरोंसिंह : बिना ऑर्डर पहुंची हैं वे या कैसे पहुंची; यह तो मैं नहीं जानता।

श्री हरिश्चन्द्र : फिर वे कोई दूसरी मशीनें होंगी।

श्री भैरोंसिंह : नहीं, वे ही हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : आपकी सूचना कहां से है यह ?

श्री भैरोंसिंह : आपके ही डिपार्टमेन्ट की सूचना है यह मेरे घर की सूचना नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : तो फिर यह सूचना गलत है। इसका कारण यह है कि हमारे माननीय सदस्य एक तरह से जो विचार करते हैं......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वे पैरेलल गवर्नमेन्ट रन करते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : लेकिन माननीय सदस्य ने इस पोइन्ट को लेकर इसे इस तरह का रूप देने की कोशिश की कि मानो गवर्नमेन्ट प्रेज़ेन्ट डाइरेक्टर को शैल्टर दे रही है। हालांकि आज का विषय यह नहीं था, फिर भी वे इसे यहां ले आये। मैं कहता हूं कि यदि कोई अफसर वास्तव में बेकुसूर है तो उसको जरूर शैल्टर देंगे, पर जो कुसूरवार है उसको शैल्टर देने का सवाल नहीं उठता। पर बार बार यह कहना कि यह तो ऐसा है, वैसा है, करप्शन को बढाते हैं; मैं समझता हूं कि यह कहना उचित नहीं होगा। कोई अगर डेफिनिट प्रूफ सरकार के सामने आता है तो उसके लिये सरकार कदम उठाने को तैयार है, पर वेग एलीगेशन पर कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं हैं और उस बेकुसूर की दशा में अफसर को अगर शैल्टर करना होगा तो सरकार यह जरूर करेगी।

श्री भैरोंसिंह : एक मिनिट के लिये माफ करें। मैं निवेदन करदूं, यह स्पष्ट तौर से कि जो एलिगेशन मैंने लगाये हैं वे वेग नहीं हैं। आप जिस डिपार्टमेन्ट की पर्चेजेज के बारे में कहते हैं उसके बारे में अगर आप डिबेट करना चाहें तो मैं डेफिनिट और कॉन्क्रीट प्रूफ देकर एक एक चीज आपके सामने रख सकता हूं कि किस चीज के इस्तेमाल करने में क्या क्या और किस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं और किसके पर्चेजेज में क्या क्या हुआ है और इससे सरकार को कितना कितना नुकसान हुआ है। डेफिनिट और कॉन्क्रीट प्रूफ के साथ मैं यह साबित कर सकता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र : अगर आपके पास ऐसी सूचना है तो आप जरूर दें हमें, हम उस पर जरूर गौर करेंगे।

इसके अलावा एक-आध पोइन्ट माननीय सदस्यों ने जो रक्खे तो वे सर्विस रूल्स के बारे में थे। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा मैंने कहा कि अभी राजस्थान रोडवेज इनीशियल स्टेज में है और हम लोग जिस तरह से भी अटेम्प्ट होता है, आदमियों को भरती करते हुए आ रहे हैं और सर्विस कन्डीशन्स और सर्विस रूल्स तैयार करने के लिये हिदायतें कर दी गई हैं कि वे जल्दी से जल्दी बनाई जावें और मैं समझता हूं कि महीने, दो महीने में ये फाइनेलाइज हो जायेंगी, ताकि इस तरह की कम्पलेन्ट सर्विस के लिहाज से न हो।

इसके अलावा जो मोटर ट्रान्सपोर्ट वैहिकल्स एक्ट लागू हो गया है उसके अन्तर्गत यह चल रहा है और जो फेसिलिटी उस एक्ट में है वे हमारे ट्रान्सपोर्ट के अन्दर काम करने वालों को मिलेगी।

मैं समझता हूं कि इसके अलावा एक पोइन्ट जो यहां आया वह महत्वपूर्ण पोइन्ट था। वह भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा था कि बस कहीं खड़ी हो जाती है तो ड्राइवर जो है उसको अटेन्ड नहीं कर पाते हैं। मैंने इस बारे में कई बार जांच की है और मुझे यह बताया गया है कि दूसरी रोडवेज में भी यही कायदा है कि यदि बस खड़ी हो जाय किसी मैकेनिकल कारण, से तो वहां के ड्राइवर को ऑथोराइज नहीं किया जा सकता है कि वे मशीनों को खोलें। मैं पर्सनली समझता हूं कि इस विचारधारा में थोड़ा फेर लाना जरूरी है, और इसके लिये जो हमारे जनरल मैनेजर हैं और जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने के बाद कुछ ऐसा प्रोसेस निकालें कि जिससे बस में जो कोई माइनर डिफेक्ट्स हों और रोड पर हो जाते हों और उसको ड्राइवर सहूलियत से दूर कर सकता हो तो वह दूर करें ताकि जनता को और ट्रेवलिंग पेसेन्जर्स को तकलीफ नहीं हो।

स्वतन्त्र पार्टी के माननीय नेता ने दो-तीन बातें रखी हैं, उनसे मैं यह कहूंगा कि हम जो हैं बसेज को रिजर्व में बहुत ज्यादा रखते हैं। वैसे जो आज हमारा रिजर्व है वह ३०-३५ परसेन्ट का हम रखते हैं और इसको भी हम करना चाहते हैं कि २०-२५ परसेन्ट रिजर्व बस का रखने की फिराक में हैं, तो यह जो शिकायत है कि हम बहुत बसेज रिजर्व में रखते हैं, मैं समझता हूं, नहीं आयेंगी।

इसके अलावा, जो एक्सपेन्डीचर और आमदनी के फीगर्स के ऊपर स्वतन्त्र पार्टी के नेता ने कुछ कहा था कि फीगर्स ठीक नहीं

(श्री हरिश्चन्द्र)

आते हैं तो जो फीगर्स हमारे हैं वे मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा । इसमें १०० नये पैसे पर माइल एक्सपेन्डीचर मानते हैं और उसके अगेन्स्ट में ११२ नये पैसे पर माइल अर्निंग मानते हैं, और इस वक्त जो अर्निंग हो रही है वह १२ नये पैसे से ज्यादा हो रही है, क्योंकि हमारा एक्सपेन्डीचर इस वक्त शुरू शुरू में करीब करीब ७९ नये पैसे हो रहा है, क्योंकि अभी एक्सपेन्शन हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है । तो ये फीगर्स मैं निवेदन कर रहा हूं । आखिर में तो जो स्टेन्डर्ड अर्निंग होगी उसको ही मानेंगे । वह १२ नये पैसे पर माइल प्रोफिट माना गया है ।

इसके अलावा जो मैंने एक सूची पेश की है माननीय सदस्यों के सामने उसमें रोड और रूट दो माइलेजेज़ हैं । उनसे माननीय सदस्यों को दिक्कत आ रही होगी समझने में । तो मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । कोई भी रोड है उसका रोड माइलेज तो वह है जो एग्ज़ेक्ट लेन्थ ऑफ दी रोड है फोर रूट माइलेज में जो शटल सर्विसेज़ चलती हैं वह और जुड़ जाती है, यानी अगर १०० मील रोड की लेन्थ है और इस १०० मील में एक २५ मील की शटल सर्विस चलती है तो वे २५ मील इस तरह से रोड माइलेज में और जुड़ जाते हैं और वह रूट माइलेज हो जायगा । इसमें दो फीगर्स हैं वे रोड माइलेज के हैं और रूट माइलेज के हैं इनसे गलत-फहमी नहीं हो ।

श्री उमराव सिंह (बनेड़ा) : On a point of information, Sir. यह जो आपने फर्माया है कि अजमेर से उदयपुर का बताया गया है, १०५ मील है और अजमेर से भीलवाड़े का ८४ मील का बताया गया है तो क्या भीलवाड़े से उदयपुर २१ ही मील रहता है ? यह क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है ?

श्री हरिश्चन्द्र : भीलवाड़ा '८४' लिखा है ।

श्री उमरावसिंह : उसके अन्दर जो सेवन्थ आइटम हैं उसमें अजमेर से उदयपुर सिर्फ १०५ मील लिखा है ।

श्री हरिश्चन्द्र : वह वाया कपासन, मावली— १०५ मील है ।

श्री उमरावसिंह : यह कैसे हो सकता है जबकि भीलवाड़े से अजमेर ही ८४ मील है ।

श्री हरिश्चन्द्र : यह टाइपिंग एरर होगी तो इसको करेक्ट करा लूंगा ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : प्रश्न यह है कि १२ नया पैसा प्रति मील मुनाफा बताया है, जब कि कान्ट्रेक्ट कैरेजेज़ को आप अपनी तरफ से आठ आना पर माइल वे ले सकती है तो यह इस प्रकार का डिफरेन्स क्यों ? जब प्राइवेट कान्ट्रेट कैरेजज़ आठआना पर माइल चार्ज करती है, तो आपका १ रु० २ आ० किस प्रकार से खर्चा आता है ? आठ आना पर माइल में उनको मुनाफा भी मिलता है और किराये का फायदा भी कर लेते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं समझ नहीं पाया जो आप कहना चाहते हैं उसको ।

श्री मुरलीधर व्यास : कॉन्ट्रेट कैरेजेज की जो बस होती है या जो टैक्सी होती है उस पर आठ आना पर माइल से ज्यादा नहीं ले सकते हैं और जब कि सात सीट का किराया होता है और आपकी पूरी बस का १ रु० २ आ० इस प्रकार से है तो वह आठ आने से १०-१२ आने तक किस प्रकार से ज्यादा पड़ता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं आपकी बात समझा नहीं। मैंने जो अर्ज किया वह यह था कि १०० नये पैसे पर माइल का एक्सपेन्डीचर माना गया है और ११२ नये पैसे पर माइल पर्मिसिबल है; यानी १२ नये पैसे का वह प्रोफिट हो सकता है। अगर एक्सपेन्डीचर कम हो जाय तो वह प्रॉफिट बढ़ जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : वही मैं कह रहा हूं कि ११२ नए पैसे पर माइल आप आंकते हैं तो।

श्री हरिश्चन्द्र : आप प्रश्न कर लें तो मैं डिटेल में जवाब दे दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मुनाफा इसके आधार पर आंका जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! आप इसके बारे में अलग से प्रश्न पूछ लें।

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिये अलग से प्रश्न किया जा सकता है या आप मुझसे मिल कर इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। मैं सारी बात आपको बता दूंगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : On a point of information, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please!!

श्री विजयसिंह झाला : ७९ नये पैसा आपका खर्च आ रहा है तो ११२ में से ७९ नये पैसे निकालते हैं तो ३३ नये पैसे के डिफरेन्स का जो मुनाफा हुआ है उसके बजाय १३,०००) रु० का घाटा कैसे हुआ है ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपने समझा क्या तो फिर ? मैंने यह अर्ज किया कि घाटा नहीं हुआ है। ११ लाख का प्रोफिट हुआ है इस साल। उसके हिसाब से मैंने यह बंटाव करके कहा है। गये साल में १३-१४ हजार का घाटा हुआ है, उसका भी बता दूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पिछले साल का पूछ रहे हैं कि घाटा कैसे हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस घाटे में डेप्रिसियेशन इन्कलूडेड है। अगर डेप्रिसियेशन को जोड़ देते हैं तो प्लस में चले जाते हैं। डेप्रिसियेशन निकालने के बाद घाटा हुआ है १३,०००) रु० का। तो...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नेशनलाइज्ड रूट्स पर प्राइवेट बसें भी चलती हैं, उसकी रोकथाम के लिए कुछ किया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : हमने फ्लाइंग स्क्वेड्स लगा रखे हैं और कई तरीके अपनाये हैं। जिनके जरिये इस बात को देखा जाता है कि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स कटथ्रोट कम्पीटिशन रोडवेज से नहीं करें। अगर माननीय सदस्य की निगाह में ऐसी रूट्स आ रही हैं कि जहां पर प्राइवेट operators clandestine operations कर रहे हैं तो मुझे खबर कर दें तो उसकी कार्यवाही मुनासिब हो जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बिस्तर बांधकर तैयार रहें, आपको भरतपुर प्राइवेट बस में पहुंचा देंगे every day 12 o'clock for Agra, near Police Station,

श्री हरिश्चन्द्र : हम जागरूक हैं और उचित कार्यवाही करेंगे । मैं इतना ही निवेदन करूंगा...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको इत्तिला मिल गई है कि रात को १२ बजे जाती है रोजाना ।

श्री हरिश्चन्द्र : आप मुझे उसकी इत्तिला दे दें तो मैं उसकी उचित कार्यवाही करूंगा ।

श्री उमरावसिंह : भीलवाड़ा और अजमेर के बीच में दोनों बसें चलती हैं ; प्राइवेट भी और नेशनलाइज्ड भी ।

श्री नाथूराम मिर्धा (राजकीय उद्योग मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से सवाल जवाब चलते रहे तो सदन का टाइम हो जायगा तो मैं बिना जवाब दिये ही रह जाऊंगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल ट्रान्सपोर्ट या नेशनलाइजेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट के बारे में हमारे ट्रान्सपोर्ट मंत्री महोदय ने कुछ बातें, जो सदन में उठाई गई थीं उनके बारे में जवाब दिया है । उनके अलावा जो राजकीय उद्योग और राजकीय खनिज के बारे में आज सदन के उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने चर्चाएं कीं और कुछ बातें आलोचना के रूप में कही जा रही हैं उनका स्पष्टीकरण करना, मैं जरूरी समझता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस राजकीय खनिज की तरफ इस सदन के माननीय सदस्यों ने कहा, खास तौर से जिक्र किया उनमें पलाना लिग्नाइट के बारे में, सोडियम सल्फेट के बारे में और गंगानगर शुगर फैक्ट्री के बारे में, मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा ।

पलाना लिग्नाइट के बारे में सबसे पहले कुछ बातें सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं । हम इन उद्योगों के बारे में जिक्र करते तो उनके सारे पुराने इतिहास को समझना होगा । पलाना लिग्नाइट का काम आज से ७० साल पहले जब बीकानेर रियासत थी उस समय यह उद्योग चालू किया गया था । ७० साल पहले जब यह उद्योग चालू किया गया था तब वहां के एक एरिया के बारे में लिग्नाइट डिपोजिट्स के बारे में जांच कराई गई थी । वह जांच जिस प्रकार से साइन्टिफिक जांच होनी चाहिये थी उस तरह की नहीं थी । जब हमने ओपन कास्ट माइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में विचार करना चालू किया तब डिपोजिट्स के बारे में जानकारी हासिल की है और साथ साथ नये डिपोजिट्स आस-पास मिले हैं । उनका जितना मेटीरियल अवेलेबल है उसकी जांच की है । यह लेटेस्ट साइन्टिफिक जियोलोजिकल जांच का अंदाज सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं । जो पुराने डिपोजिट्स हैं और जहां पर काम-काज चल रहा है उसका अंदाज करीब १२० लाख टन के लगभग है और नये डिपोजिट्स के जिन एरियाज की हमको जानकारी है उनका टोटल डिपोजिट लगभग १०० लाख टन के लगभग है । जहां

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पुराने डिपोजिट्स थे उस जगह के एरिया में इस लिग्नाइट के लेयर की थिकनस का २५ फीट का अंदाज था और जहां नये लिग्नाइट डिपोजिट्स की जानकारी है उसकी थिकनैस डेप्थ १२ फुट है यानी पहले जो थिकनैस डिपोजिट्स की थी उसके मुकाबले में नये डिपोजिट्स, जिसका पता अभी लगाया गया है, की थिकनैस आधे के करीब है। पुराने डिपोजिट्स पर ७० साल से काम चल रहा है। इसमें जो वैज्ञानिक आधार है माईनिंग का, उसमें २५ फुट की थिकनैस में जो अंडरग्राउन्ड तरीके से काम किया जाता है उसमें सिर्फ हम १५ फुट की थिकनैस में एक्सप्लोइट कर सकते हैं। उस १५ फीट अंडरग्राउन्ड माईनिंग तौर से पुराने मेटीरियल को एक्सप्लोइट कर लिया। हमारे सामने यह प्रश्न कई साल से चल रहा है, ५-७ साल से, कि जब सारे डिपोजिट्स समाप्त हो गये तो हमारे सामने क्या रह जायगा? नये तौर से आगे जो जानकारी की है उससे हम सोच सकते हैं कि हमारे मजदूर जो बहुत सालों से इस इलाके म काम करते आ रहे हैं वे बेकार हो जायेंगे। यदि हमने काम बंद कर दिया, इस बात से हमने इसको चालू रखने का सोचा है और लगातार कोशिश करते हैं कि इसका उत्पादन उतना ही रखा जाय जिससे सरकार को दिक्कत नहीं हो और मुनाफा कमा सके। जिस नये एरिया का बोरिंग करके उत्पादन चालू किया है उसकी १२ फीट की थिकनैस है उसमें से ७ या ६ फीट की थिकनैस में ही हमें लिग्नाइट निकालने का काम करना पड़ेगा। इस दृष्टि से नये एरिया में और भी मुश्किल है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि कई दिनों से काम बंद हो गया, यह ठीक बात है, यह काम हमको बंद करना पड़ा, इस वजह से नहीं किया कि समस्याएं हमारे सामने आई। नये एरियाज में जहां पर माइनिंग का काम चल रहा है, जहां लेबरर्स काम कर रहे! वहां फॉसफोरस का कंटेन्ट लिग्नाइट में ज्यादा हो गया। नतीजा यह हुआ कि अपने आप खान गर्म होने लगी और १४० डिग्री का तापमान अपने आप होने लगा। इस समस्या के बारे में भारत सरकार के माइनिंग इंजीनियर और दूसरे लोगों को कंसल्ट किया और यहां पर विचार करके जिस हिस्से में खान ज्यादा गर्म होती है उसको बंद किया और दूसरे हिस्से में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अक्टूबर की ८ या ९ तारीख से वापिस काम शुरू किया है। इस प्रकार की मुश्किल परिस्थिति में भी इस प्रकार से काम चालू रखना चाहते है, इसलिये रखना चाहते हैं कि जब तक लिग्नाइट कम से कम एक महीने में ४ हजार टन का प्रोडक्शन नहीं कर लेंगे तब तक लिग्नाइट प्रोफिट में नहीं ला सकते। अब ४ हजार टन का उत्पादन या उससे ज्यादा उत्पादन किया जाय इस बात के लिये हमारे यहां माइनिंग इंजीनियर जिसका आपने जिक्र किया। पहले फर्स्ट क्लास माईनिंग इंजीनियर मिलने में दिक्कत थी, कई वर्ष तक नहीं मिल सका इसलिये सेकन्ड ग्रेड माइनिंग इंजीनियर रखा और सेकन्ड ग्रेड माइनिंग इंजीनियर ढाई हजार टन माहवार से ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकता इसलिये माइनिंग मेटीरियल कम था, मैनेजर की हैसियत कम थी इसलिये उत्पादन नीचा रहा।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अब हम उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट क्लास माइनिंग इंजीनियर भी है वह भी कोशिश करता है लेकिन मुश्किल यह है कि डिपोजिट्स कम हैं। कई प्रकार की नयी समस्याएं एरियाज़ में आ रही हैं इसलिये जो ४,००० टन महीने का टार्गेट पूरा हो तब जाकर पलाना का काम ज्यादा मुनाफा ला सकता है। ऐसी स्थिति लाने को लगातार, निरंतर कोशिश करते हैं लेकिन कम डिपोजिट्स के कारण टैक्निकल डिफिकल्टीज़ आ रही हैं; इसलिये इसको ओपन कास्ट माइनिंग करना चाहते हैं। जब तक ओपन कास्ट नहीं बनायेंगे तब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता और राज्य सरकार के जिस मुनाफे की कल्पना माननीय सदस्य कर रहे हैं और जिसके लिये सरकार स्वयं चिन्तित है वह नहीं कर सकते। इसके लिये एक ही तरीका है कि ओपन कास्ट माइनिंग सिस्टम किया जाय। इसके लिये जैसा राज्य सरकार ने जिक्र किया पहले से सोचा था। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ओपन कास्ट करने की बात कही जाती है लेकिन यह काम कितना डिफिकल्ट है, कितना ओवर बर्डन उठाना पड़ेगा, किस प्रकार मोडर्न इन्स्ट्रूमेन्ट्स लगाकर किस प्रकार काम को लगाया जा सकता है। इस प्रकार की रिपोर्ट सही ढंग से आज के युग में जो जरूरी है इस दृष्टिकोण से आज तक कोई रिपोर्ट नहीं बनी। थोड़े बहुत समय से चर्चाएं की जा रही हैं, कुछ पेपर्स भी लिखे हैं लेकिन मैं आज भी कहना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को ओपन कास्ट बनाने के लिये डिटेल्स में जाना आवश्यक है। इसकी टोटल कोस्ट ४-५ करोड़ रु० होगी। इसको पूरा करने के लिये एक चीफ इंजीनियर जो हाइली क्वालिफाइड है, मि. घोष, उनको नियुक्त किया गया है, वे रिपोर्ट प्रोजेक्ट के रूप में लिख रहे हैं.........

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यदि माननीय सदस्य मेरी बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो समय कुछ बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय १५ मिनट बढ़ाया जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ओपन कास्ट सिस्टम चालू करने के लिए, इसको डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए चीफ इन्जीनियर और उसके नीचे जिस स्टॉफ की आवश्यकता है उसका अपोइन्टमेंट करवाये जाने की स्कीम चालू है। इसके साथ ही इसके बाद, ओपन कास्ट सिस्टम बनने के बाद इस लिग्नाइट का क्या उपयोग हो ? इसके लिए उम्मीद करते हैं कि ओपन कास्ट सिस्टम बनने के बाद पर-साल लिग्नाइट का उत्पादन होगा वह पन्द्रह सौ, सोलह सौ, टन का होगा। इतना लिग्नाइट का उत्पादन करेंगे, उसका यूज़ राजस्थान में क्या होगा यह बड़ी समस्या है क्योंकि आज-कल जो उत्पादन सौ, एक सौ बीस टन के बीच में करते हैं उसका उपयोग बीकानेर के पॉवर हाउस में, थोड़े दिनों पहले भट्टों की बात कही, उसमें हुआ। उसके बाद में अगर प्रोडक्शन बढ़े तो उसका उपयोग कैसे हो,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

यह सवाल है। यह ऐसा सवाल है जिस पर बहुत सोच-विचार करने की आवश्यकता है कि इस प्रोडक्ट का उपयोग कैसे किया जाय। मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश, पलाना और देशनोक है, उसके नजदीक कहीं किया जाय जिससे थर्मल स्टेशन कायम करके उसका उपयोग कर सकें क्योंकि राजस्थान में पॉवर की काफी कमी रहेगी, आपके गांधी सागर, राणा प्रतापसागर और दूसरे प्रोजेक्ट के बाद भी कमी रहेगी उसको पूरा करने के लिए लिग्नाइट का उपयोग उस दूसरे प्रोजेक्ट में कर सकें इस दृष्टि से देशनोक या पलाना के नजदीक दूसरा पॉवर स्टेशन लगाया जाय, उस पर विचार चालू है। उस प्रोजेक्ट को एक दूसरे प्रॉजेक्ट के साथ जोड़ना होगा। उसकी मशीन कितनी हो, ओपन कास्ट सिस्टम बनाने के लिए कितनी मशीन लगाने की आवश्यकता है इसके लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि थर्मल स्टेशन लगाने के लिए काफी मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। उस इलाके में पानी की कमी है, वहां अन्डर ग्राउन्ड पानी नजदीक में कितना अवेलेबल है, उसके बारे में पांच-दस लाख रुपया खर्च करके पानी उपलब्ध करने के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। हव प्रोजेक्ट भी चार-पांच लाख के बीच में होगा। अब उसका उपयोग कब से करना चाहिए, तो जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं बहुत तेजी के साथ तो नहीं कह सकता कि सारा का सारा काम आने वाले समय में पूरा हो जायगा लेकिन ऐसा अन्दाज लगाया है भारत सरकार के लोगों को कन्सल्ट करने के बाद, और भारत सरकार ने विदेश के लोगों से कन्सल्ट करने के बाद, और उसके आधार पर कह सकता हूं कि ओपन कास्ट सिस्टम का फर्स्ट काम शुरू होने की बात होती है, वह प्रेक्टिकल रूप में १६६७ के पहले पूरा नहीं कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने के बाद जिस दूसरे प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया है, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। सोडियम सल्फेट के बारे में माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट के बारे में भी सही स्थिति मालूम हो जाय तो ठीक रहेगा। वह इस प्रकार से है कि सोडियम सल्फेट एक कुदरती पैदावार डीडवाना के इलाके में कई वर्षों से चली आ रही थी। पुरानी जोधपुर स्टेट ने इस मेटीरियल का उत्पादन कामर्शियल तरीके से किया। रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस नेचुरल सोडियम सल्फेट का प्रति टन उत्पादन ६० ७०, ७२ रुपये के बीच में था और उस समय सोडियम सल्फेट की २१० से २८० के बीच में बिक्री होती थी। इससे जोधपुर गवर्नमेंट को आर्थिक तौर पर लाभ हुआ करता था......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): ३८५ रुपये प्रति टन कलकत्ता के मार्केट में है।

श्री नाथूराम मिर्धा: यह गलत जानकारी है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं चैलेंज करता हूं। आपकी गलत जानकारी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी जानकारी है कि २५० रुपये प्रति टन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ३८५ रुपये प्रति टन हो तो आप इस्तीफा दे दें, नहीं तो मैं दे दूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : खैर, मैं और जानकारी कर लूंगा, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं पहले की बात कह रहा हूं और......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने कलकत्ता के मार्केट से कोटेशन मंगाये हैं। मंत्री महोदय चाहें तो मैं दे सकता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह नेचुरल डिपोजिट करीब करीब समाप्त हो गया। उसके बाद राजस्थान सरकार ने सोचा कि सोडियम सल्फेट की आवश्यकता भारत में है, इसलिये हमें इस काम को करना चाहिए। उसके बाद जो ब्राइन निकला, उसमें सोडियम सल्फेट काफी मात्रा में होता है। इसलिए इस पर विचार किया गया और यह विचार १९५८ से किया गया। इसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके २० लाख टन सोडियम सल्फेट तैयार करने के लिए एक प्रोजेक्ट उस इलाके में तैयार किया जाय। उस प्रोजेक्ट की तीस लाख की टोटल कॉस्ट होगी और जब उत्पादन चालू होगा तो औसत के तौर पर एक साल में पांच-सात हजार टन के बीच में सोडियम सल्फेट तैयार करेंगे। जो कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी इस प्रोजेक्ट में, वह एक सौ बीस, एक सौ तीस रुपये पर टन के बीच में होगी। उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी उसका.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी रिपोर्ट में ६६ रुपये दे रखी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह नेचुरल सोडियम सल्फेट की दे रखी है। यह जो कर रहे हैं वह जर्मन फर्म से कन्सल्ट करके कर रहे हैं। आप सुधार लीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी पुस्तक है, आप ही सुधारिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : ये एस्टीमेट, केल्कुलेशन और प्लान्ट की कोस्ट एवरी डे रिवाइज होती जाती है। इस वजह से किसी चीज को पकड़ कर बैठ जायं, यह सही दृष्टिकोण नहीं......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किसे पकड़कर, यह आपकी १९६१-६२ की किताब है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बैठिये। बार बार इस प्रकार खड़े होते रहेंगे तो चार दिन में भी खत्म नहीं हो पायेगा।

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री, उद्योग) : किस साल की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो मैंने आपको बताई है वह औसत तौर पर अन्दाज लिया है। पिछले वाले कई वर्षों में २६० रुपये पर टन के हिसाब से लिया है। इस प्रकार एक टन पर ८०, और १०० के बीच में नफा पड़ता है। उस दृष्टिकोण से इसका एनुअल प्रोफिट

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आंकते हैं कि कम से कम सात लाख और ज्यादा से ज्यादा दस लाख की आमदनी हम इस प्रान्त में इस प्रोजेक्ट से मान कर चलते हैं। इस तेंतीस लाख के इन्वेस्टमेंट से सात लाख से दस लाख तक हम नेट प्रोफिट इस प्रोजेक्ट से ले सकते हैं। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा और खास तौर पर रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चार साल चीफ इन्जीनियर और सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर के बीच बिल्डिंग के बारे में कौन फैसला करें इसमें निकल गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बिल्डिंग का नक्शा इस प्रोजेक्ट के साथ तैयार हो चुका था। जिस प्रकार की बिल्डिंग बन रही है, वह विभागीय तौर पर पी० डब्ल्यू० डी० से बनने वाली थी। इस प्रकार की बिल्डिंग बनाने का, जो कि दूसरी प्राइवेट फर्म, टैक्निकल फर्म को ज्ञान होता है यह प्रथम अवसर था, इसलिए पी० डब्ल्यू० डी० महकमे के इन्जीनियर ने इस टैक्निकल बिल्डिंग बनाने का जो शिड्यूल्ड प्रोग्राम जिस प्रकार का क्रम शुरू में कायम किया था, उस क्रम से हमारा डिपार्टमेंट पिछड़ गया। इसका नतीजा यह हुआ कि इस बिल्डिंग का कन्स्ट्रक्शन पूरा हो जाना चाहिए था जून में वह अब जाकर दिसम्बर में पूरा होगा। ..

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बहुत बड़ी टेक्निकल चीज थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां जी, थी। आप अपने आपको बहुत बड़ा टेक्नीशियन समझते हैं। मैं निवेदन......

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : मुश्किल यह है.....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !

श्री नाथूराम मिर्धा : बार बार इन्ट्रप्शन करके सदन का समय बरबाद करने से कोई मतलब नहीं होगा।

मैं निवेदन कर रहा था कि बिल्डिंग के शिड्यूल में डिपार्टमेंट पिछड़ गया। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि दिसम्बर के एण्ड तक बिल्डिंग का काम पूरा हो जायगा......

श्री हरिराम चौहान : मशीन बाहर कितने दिन तक पड़ी रही। मशीन बगैर बिल्डिंग के बाहर कितने दिन पड़ी रही ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह पड़ी रही साल भर तक।

श्री हरिराम चौहान : साल भर से क्यों पड़ी रही ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिल्डिंग को पूरा होने में छः महीने लेट हुए। अब अगर मशीन नहीं मंगाते और बिल्डिंग बनवा लेते तो आप कहते कि मकान बनवा लिया और मशीन क्यों नहीं आ रही है। हमने बिल्डिंग और मशीन का फेजिंग बराबर किया था.......

श्री हरिराम चौहान : पी० डब्ल्यू० डी० पिछड़ गया या आपकी सरकार पिछड़ गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप आराम से बैठिये। आप ऊंचा बोलने वाले हैं। आप बोल रहे थे तब हमने शांति से सुना। आप हमें भी शांति से सुन लीजिये। आप स्प्रिंग क्यों लगा रहे हैं ?

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जो प्लांट लगाने का कार्यक्रम आज तक पूरा हो जाना चाहिए था उसमें हम छः महीने शिड्यूल्ड टाइम से पिछड़ गये । अब आशा रखते हैं कि सारा काम जून-जुलाई तक खत्म हो जायगा और जुलाई से सोडियम सल्फेट का उत्पादन शुरू हो जायगा । इस तरह मैं सही जानकारी सोडियम सल्फेट के बारें में दे रहा हूं ताकि खास तौर पर जो लाल झंडे वालों ने बातें कहीं, उनकी जानकारी के लिए और सदन की जानकारी के लिए मैंने कुछ चीजें इस प्रोजेक्ट की उनके सामने पेश कीं । तीसरे प्रोजेक्ट के बारे में......

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हो जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैने कहा कि जून और जुलाई तक शुरू करने की बात होती है ! शूगर फैक्ट्री के बारे में, रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य जो विशेषज्ञ हैं और जानकारी रखते हैं, उनको थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें संदेह है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं आप तो और गला फाड़ कर बोलते हैं । अब चुप रह कर बैठें । मैं निवेदन करना चाहूंगा......

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : आप भी उनके पीछे नहीं हैं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : सुनने की इच्छा नहीं है तो......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : झूठी बात सुनने की इच्छा नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा :- शूगर फैक्ट्री के बारे में जिसके बारे में कहा गया है उसकी पुरानी भूमिका में मैं आपको ले जाना चाहता हूं । यह शूगर फैक्ट्री १९४६ में गंगानगर में चालू हुई थी । पोद्दार और बाफना कम्पनी के नाम से इस शूगर फैक्ट्री की स्थापना हुई । इसमें सन् ४६ से लेकर करीब ५५ तक यह फैक्ट्री इसी टाइटल के नीचे काम करती रही । इस दौरान में उसके नफे और नुकसान के आंकड़ों को हम देखें तो आपको मालूम होगा कि क्या स्थिति है । मैं आपका ज्यादा समय तो नहीं लूंगा लेकिन मैं आंकड़े आपको देना चाहता हूं ।

शुरू में सन् ४६ में १५,४६३ का नुकसान रहा ।

सन् ४७ में १,५७,४१४ रुपये का नुकसान रहा ।

सन् ४९ में १५,१८० रुपयों का नुकसान रहा ।

सन् ५० में ४,३३,३५१ का नुकसान रहा; और इसके बाद

सन् ५३ में २६,५८३ रुपयों का नुकसान रहा ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि ५५ - ५६ तक जब पुराने टाइटल के नीचे यह फैक्ट्री काम करती रही हमेशा घाटे में चलती रही । इसके बाद ५६ में राज्य सरकार के चूंकि इसमें शेयर्स थे उन्होंने यह सोचा कि यह ठीक ढंग से नहीं चलाई जा रही है इस लिये नुकसान हो रहा है । उन्होंने सन् ५६ में इस मिल को एक साल के लीज पर १, १७,५०० रु० पर लिया । इसी साल में जिस साल राज्य सरकार ने लिया पहले साल में मिल ने प्रोफिट दिया । अभी आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, इसलिये मैं उपस्थित नहीं

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कर सकता लेकिन वह नफे में चली। उसके बाद राजस्थान सरकार के ध्यान में आया कि इसके साथ में और प्रयास किया जावे तो यह मिल नफे में चल सकती है। उसके बाद सन् ५७ में राज्य सरकार ने अपने हिस्से को बढ़ाया और ७१ परसेन्ट शेयर अपना बनाया और फिर इसका पूरा कन्ट्रोल राज्य ने अपने हाथ में ले लिया। जब से यह काम कर रहे हैं हर साल प्रोफिट दे रही है। इसका प्रोफिट कभी २ लाख, कभी ४ लाख और कभी ६ लाख भी था और ९ लाख तक पहुंच गया। इसलिये यह मिल राज्य का काफी हिस्सा होते हुए भी जब प्राइवेट लोगों के हाथ में थी तो कोई फायदा नहीं पहुंचा रही थी। सरकार ने इसे साउन्ड बेसिस पर चालू की है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लाभ को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आंकड़े दिये कि इसके ५०० - ६०० टन क्रशिंग केपेसिटी थी आज ९०० टन की है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आज केपेसिटी कितनी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आज केपेसिटी ९०० टन या १००० टन तक है।

७०० टन तक पहुंची है और हम इसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं।

अब रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उठाये, उनमें तथ्य है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि शूगर केन क्रशिंग केपेसिटी...

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह मंशा है कि सदन का समय ५ मिनट के लिये और बढ़ाया जावे।

(स्वीकृत)

सदन का समय ५ मिनट के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : के बारे में कहा। मेरे ख्याल से यह बेसिक बात है। इसकी जानकारी मिल जावेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप एन्युवल रिपोर्ट दे दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं बराबर आपको हर साल एन्युवल रिपोर्ट दे दूंगा। यह इन्तजाम हम कर देंगे।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब और बिहार और उत्तर प्रदेश जो नोर्थ इंडिया के शूगर कल्टीवेटेड एरियाज हैं उनकी शूगर कान्टेन्ट ९ प्रतिशत और १०प्रतिशत के बीच में है। जहां तक साउथ में है उनके शुगर कोन्टेन्ट्स हैं वे १५ परसेन्ट और १६ परसेन्ट तक चली जाती है और १२ परसेन्ट से ऊपर रहती हैं। यह जो बात है वह हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन्स पर निर्भर करती है। नोर्थर्न इंडिया का शूगर कोन्टेन्ट है वह १० प्रतिशत है. हमारे यहां यह कम रहने का कारण शूगर फैक्ट्री के बन्द रहने के कारण हुआ है। या इस प्रकार चलती रही कि मिसमैनेजमेन्ट होने से इसका परचेज ऑफ शूगर केन पर असर पड़ा और जो सहूलियतें मिलनी चाहिये वे नहीं मिलती थीं। इसलिये शूगर की कंडीशन डिटोरियोरेट होती गई। आज हमारा राजस्थान का विभाग इन प्रोबलम्स को नजदीक से देखता है। आज अच्छे बीज और शुगर केन में जो बीमारियां घुस गई हैं उसके कारण शूगर कोन्टेन्टस में कमी रहती है, उसका सुधार हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शूगर फैक्ट्री के धुएं से डिटीरियोरेशन हुआ है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस प्रकार की बातों का मैं जवाब देना पसन्द नहीं करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : धुंएं का असर पड़ा है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपकी बातों का जवाब नहीं दूंगा।

मैं निवेदन कर रहा था कि शूगर केन की क्वालिटी ९ और १० परसेन्ट बीमारियों से रहती है तो फिर भी पंजाब और यू०पी० के मुकाबले में रह सकते हैं। यह जो कुछ भी हुआ है वह फैक्ट्री बन्द होने से हुआ है। अच्छा फर्टीलाइज़र और अच्छा बीज बोया जाये तो आज का कोन्टेन्ट बढ़ेगा। फिर भी मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि जो शूगर केन कोन्टेन्ट्स हमारे यहां मौजूद हैं, पंजाब की मिलें चल रही हैं उसका मुकाबला कर सकते हैं।

पर इसमें सुधार की आवश्यकता है, गुंजायश है, किया जाना चाहिये और हम इसके लिये प्रयत्न करेंगे।

मैं निवेदन करूंगा कि शूगर केन की कल्टीवेशन आस-पास के इलाके में सुधरे, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है अच्छे दर्जे के केन की, वह भी मीट आउट कर के, शूगर फैक्ट्री में कई कमियें हैं; जैसे कि कहा गया कोल का कन्ज़म्प्शन ज्यादा है, मशीनरी पुरानी होने से कन्ज़म्प्शन ऑफ कोल ज्यादा था जो रिनोवेशन करने थे वह करने के लिये हम प्रयत्नशील हैं। दो-तीन मैनेजर्स के बारे में जानकारी दी, जैसा कि उन्होंने कहा मैनेजर रिटायर हो गया है, हमने एक काबिल मैनेजर को भेजा है जो काफी अनुभवी और होशियार है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैनेजर नहीं चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने चीफ इंजीनियर के रिटायर होने का ही कहा है। मैनेजर के रिटायर होने का नहीं कहा, इसके लिये सरकार पूरी तरह सजग है और इसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हमारी राज्य सरकार को मिले, इसके लिये सुधार करेगी।

रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इससे जो मुनाफा हो रहा है वह शराब ही शराब बेचने से मुनाफा हो रहा है। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर फैक्ट्री ने लोकल शराब के प्रोडक्शन का अपने ऊपर जिम्मा लिया है, पर उसकी कोस्ट प्राइस बहुत कम रखी है। राज्य सरकार को, एक्साइज़ एंड टैक्सेशन विभाग को ज्यादा प्रोफिट हो इसकी व्यवस्था की गई है। प्रोफिट शूगर फैक्ट्री को ज्यादा न होकर सरकार को ज्यादा प्रोफिट हो, इस बात की व्यवस्था की गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन का ज्यादा समय लिया है, इसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने भूमिका बताई है कि राजस्थान सरकार के हाथ में उद्योगों के आने के बाद में क्या कार्यवाही की, यह बताया। राजस्थान सरकार इस बारे में पूरी सजग है। यही कह कर मैं माननीय उपाध्यक्ष, जो ज्यादा समय लिया है उसके लिये क्षमा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५.२३ बजे, दिनांक १६ अक्टूबर, १९६२ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(सोमवार, दिनांक १५ अक्टूबर, १९६२)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ९५१

भरतपुर जिले में राजनैतिक पीड़ितों को सहायता।

पापड़खार बनाने का ठेका–तहसील आमेर।
शराब के ठेके।

भूदान में प्राप्त भूमि।

उद्योग संस्थाओं को सुविधायें।

स्टाम्प खरीदने की व्यवस्था।

स्टेट होटल, खासा कोठी, जयपुर पर व्यय।

जालोर जिले में कॉलेज।

अलवर में कैटल ब्रीडिंग फार्म्स की जमीन।

बालिका प्राथमिक शिक्षा।

गोचरभूमि पर अनधिकृत कब्जा।

कोटा ट्रान्सपोर्ट कं० में बकाया।

गन्ना सर्वेक्षण एवं क्रय-प्रणाली।

कृषि विभाग की खाद की बिक्री।

डीडवाना में सोडियम सल्फेट प्राप्ति हेतु।

गिरदावरी दुरुस्ती हेतु दरख्वास्तें।

किशनगढ़ हाई स्कूल में विज्ञान की कक्षाएं।

स्कम्भ

खेती की जमीन पर मकान।

बनेड़ा में गर्ल्स हाई स्कूल।

बीकानेर जिप्सम कम्पनी।

'नाट्य संघ', जयपुर को अनुदान।

बीकानेर के राजकीय मंदिरों के लिये समिति।

यात्री कर।

मंदिरों की काश्त की जमीनें।

सेन्ट्रल लाइब्रेरी, जयपुर।

जयपुर नगर के स्कूलों की मरम्मत।

चरागाह भूमि।

देवस्थान विभाग के मंदिरों के कर्मचारियों के सेवाओं सम्बन्धी नियम।

कृषि योग्य सरकारी भूमि पर कृषि।

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स के मजदूरों को सुविधायें।

सक्सेशन सर्टीफिकेट।

अल्पकाल सूचना प्रश्नों के शीर्षक १००८

डूंगर कॉलेज, बीकानेर में छात्रों की हड़ताल।

२. याचिका का उपस्थापन

श्री मानिकचन्द सुराणा, सदस्य, विधान सभा, ने पलाना कोयला खान मजदूरों द्वारा कोयला काटने पर पाबन्दी लगने संबंधी एक याचिका का उपस्थापन किया।

३. सभापति तालिका

अध्यक्ष महोदय ने यह सूचित किया कि उन्होंने राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम ६ के अंतर्गत निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये मनोनीत किया है:—

१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल,
२. श्री भीमसेन,
३. श्री केशरीसिंह (८६) एवं
४. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

४. स्थगन प्रस्ताव

(१) दिनांक ५ अक्टूबर, १९६२ को धोलपुर सब-डिविजन के ग्राम बसई में डाकुओं द्वारा लूटपाट करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री भैरोंसिंह व श्रीहरिशंकर ने जिन स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें दी थी उन्हें सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

(२) सर्व श्री विजयसिंह, सम्पतिलाल बोहरा व हरिप्रसाद शर्मा ने अजमेर जिले में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाहियों से संबंधित जिन स्थगन-प्रस्तावों की सूचनायें दी थी उन्हें सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

५. प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

"स्टेट अण्डरटेकिंग्स (State Undertakings) पर विचार किया जाय।"

इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह।
२. श्री मोतीलाल चौधरी।
३. श्री मानिकचन्द सुराणा।
४. श्री गोकुल प्रसाद शर्मा।
५. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।
६. श्री बृजसुंदर शर्मा।
७. श्री हरिराम चौहान।
८. श्री रामकिशन।
९. श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।
१०. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।
११. श्री उमरावसिंह।

सरकार की ओर से श्री हरिश्चन्द्र, यातायात मन्त्री तथा श्री नाथूराम मिर्धा, राजकीय उद्योग मन्त्री ने उत्तर दिया।

सदन की बैठक ५ बजकर २० मिनट पर मंगलवार, दिनांक १६ अक्टूबर, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

मंगलवार, दिनांक १६ अक्टूबर, १९६२ को कार्य-सूची

राजस्थान जन-सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन पर विचार

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३० का उत्तर देखिये)

(१) श्री बुद्धीलाल गुप्ता नि० डीग, जिला भरतपुर।	३०) रु० प्रति माह पेन्शन।
(२) श्री हरचरण लाल, नि० भरतपुर।	श्री हरचरण लाल को पुनः नौकरी पर लेलिया गया और उनके dismissal order को रद्द कर दिया गया। उन्हें अनुपस्थिति-काल की अनुपातिक पेन्शन देने के आदेश कर दिये गये।
(३) श्रीमती जानकीदेवी बेवा श्री पंचमसिंह, जि० भरतपुर।	१०) रु० अतिरिक्त मासिक पेन्शन, उन्हें २०) रु० प्रतिमाह पहिले से ही मिल रहे हैं।
(४) श्रीमती वेजन्ती देवी बेवा श्री छत्तरसिंह, जि० भरतपुर।	१०) रु० अतिरिक्त मासिक पेन्शन, उन्हें २०) रु० प्रति माह पहिले से ही मिल रहे हैं।
(५) श्री मदन मोहन लाल पोद्दार, जि० भरतपुर।	५००) रु० अनुदान।
(६) श्री रामचन्द्र माथुर, जि० भरतपुर।	५००) रु० अनुदान।
(७) श्रीमती प्रीतम कौर बेवा श्री भैरूसिंह, भरतपुर।	२५) रु० प्रति माह पेन्शन।
(८) श्री नेमीचन्द जैन, भरतपुर।	३०) रु० प्रति माह पेन्शन।
(९) श्रीमती लीलावती देवी बेवा श्री किरोड़ी लाल, भरतपुर।	(क) ३०) रु० प्रति माह पेन्शन। (ख) २५) रु० प्रति माह पेन्शन उसके नाबालिग लड़के को जब तक वह बालिग न हो जाय।
(१०) श्री बलदेव स्वरूप, जिला भरतपुर।	५०) रु० प्रति माह पेन्शन।

Page No. 120

(११)	श्री मथुरा प्रसाद, भरतपुर।	७२) रु० प्रति माह पेन्शन।
(१२)	श्रीमती प्रीतम कौर बेवा श्री रमेश स्वामी, नि० बयाना, भरतपुर।	६०) रु० प्रति माह पेन्शन। ५००) रु० अनुदान लड़की के विवाह के लिये।
(१३)	स्वामी भगवान दास वल्द कन्हैया लाल, भरतपुर।	२५) रु० प्रति माह पेन्शन।
(१४)	श्री नत्थी लाल वल्द गंगाशरण, भरतपुर।	२५) रु० प्रति माह पेन्शन।
(१५)	श्री छोटे लाल वल्द नदली राम, नगर, जि० भरतपुर।	३७५) रु० अनुदान।
(१६)	श्री रामचन्द जैन वल्द मुरारी लाल, नि० कुम्हेर, भरतपुर।	५००) रु० अनुदान।
(१७)	श्री जगन्नाथ कक्कड़, भरतपुर।	५०) रु० प्रति माह पेन्शन।
(१८)	श्री पुन्नीलाल नागर, वल्द टीका राम, भरतपुर।	५०) रु० प्रति माह पेन्शन।
(१९)	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, भरतपुर।	५०) रु० प्रति माह पेन्शन।
(२०)	श्री यादराम, नि० नेवरा, भरतपुर।	२५) रु० प्रति माह पेन्शन।
(२१)	श्री पूरण सिंह वल्द श्री घीसा राम, नि० नागला भाट, भरतपुर।	६०) रु० प्रति माह पेन्शन।
(२२)	श्री मंगलराम लाभा वल्द नत्थी लाल, नि० कुम्हेर, भरतपुर।	२०००) रु० अनुदान।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५६ का उत्तर देखिये)

जयपुर शहर में कुल १० राजकीय माध्यमिक शालाएं व १०१ प्राथमिक शालाएं हैं जिनमें से १० माध्यमिक शालाएं एवं ४६ प्राथमिक शालाएं ऐसी हैं जिनमें छात्र-संख्या १०० से अधिक है, नाम निम्न हैः —

१	माध्यमिक शाला	दरबार, जयपुर
२	,,	रेज़ीडेन्सी, जयपुर
३	,,	घाट गेट, जयपुर
४	,,	रामगंज, जयपुर
५	,,	मोदी खाना, जयपुर
६	,,	लेबर कॉलोनी, जयपुर
७	,,	नाहरगढ़ रोड, जयपुर
८	,,	बेसिक मोडल, जयपुर
९	,,	महाराजा, जयपुर
१०	,,	गणपतिनगर, जयपुर
१	प्राथमिक शाला	फतेहटीबा, जयपुर
२	,,	गान्धीनगर, जयपुर
३	,,	कान्तीचन्द्र रोड, जयपुर
४	,,	रेल्वे स्टेशन, जयपुर
५	,,	हथरोई, जयपुर
६	,,	नुमाइश केम्प, जयपुर
७	,,	पातालेश्वर, जयपुर
८	,,	रेज़ीडेन्सी रोड, जयपुर
९	,,	पुराना घाट, जयपुर
१०	,,	नारी का नाका, जयपुर
११	,,	बरोदिया, जयपुर
१२	,,	सी० स्कीम, जयपुर
१३	,,	लाल कोठी, जयपुर
१४	,,	बापू नगर, जयपुर
१५	,,	बजाज नगर, जयपुर
१६	,,	वाटर वर्क्स, जयपुर
१७	,,	हाथी बाबू जी का बाग, जयपुर

१८	प्राथमिक शाला	सिविल लाइन, जयपुर
१६	,,	नादिर जी का मन्दिर, जयपुर
२०	,,	सरस्वती कुण्ड, जयपुर
२१	,,	जुगल बोरी, जयपुर
२२	,,	सूर कुढ़ी, जयपुर
२३	,,	ब्रह्मपुरी नं १, जयपुर
२४	,,	ब्रह्मपुरी सिन्धी, जयपुर
२५	,,	बान्दरी का नासिक, जयपुर
२६	,,	गंगापोल, जयपुर
२७	,,	रतनबिहारीजी, जयपुर
२८	,,	ब्रजराज बिहारीजी, जयपुर
२६	,,	पन्नीगरान, जयपुर
३०	,,	नाहर बाड़ा, जयपुर
३१	,,	नवाब खाना, जयपुर
३२	,,	मंडी खटीकान, जयपुर
३३	,,	मोदीखाना, जयपुर
३४	,,	चावलान लॉक्स, जयपुर
३५	,,	विनोदीलालजी, जयपुर
३६	,,	चान्द पोल द्वार, जयपुर
३७	,,	चौकड़ी तोपखाना, जयपुर
३८	,,	बाईजी का मन्दिर, जयपुर
३६	,,	देवड़ी जी का मन्दिर, जयपुर
४०	,,	तेलीपाड़ा, जयपुर
४१	,,	पुरन्दर जी की गली, जयपुर
४२	,,	बिहारी जी रामगंज, जयपुर
४३	,,	कल्डी को कोठो, जयपुर
४४	,,	घाटगेट नं० १, जयपुर
४५	,,	अनाजमन्डी होटल, जयपुर
४६	,,	अनाजमन्डी सिन्धी, जयपुर
४७	,,	मुरलीमनोहरजी, जयपुर
४८	,,	मोहल्ला महतान, जयपुर
४६	,,	पहाड़गन्ज, जयपुर

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक १५ अक्टूबर, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
९६९	१५	सही कि	सही है कि
९७५	१३	वसली	वसूली
१००१	अन्तिम से ५	मैं तो	म तो
१०१३	„ ८	सदद की	सदन की
१०१७	प्रथम पंक्ति	शट	शूट
१०१८	८	लेगी	लेती
१०१९	अन्तिम से ८	लेवर	लेकर
१०२३	शीर्ष	श्री भैंसोंसिह	श्री भैरोंसिह
१०३६	१६	सुझाग्रों के	सुझावों के
१०४३	२	उसन	उसने
१०४३	१०	मर्केडाइज	मर्केंडीज
१०५०	११	मालम	मालूम
१०७५	७	पार्टी को	पार्टी के
१०८५	२१	खचै	खर्च
१०८७	७	मजिस्ट्रेट	मैनेजर
११०२	१३	जिनने	जितने

२

१	२	३	४
११०४	अन्तिम से ६	कम	काम
११०५	५	रिड्यस	रिड्यूस
११०५	७	मुरक्वा	मुरव्वा
११२५	२३	बनियादि	बुनियादी
११३८	२	है होवा	होता है
११४४	अन्तिम से ७	सोष्ट	सोफ्ट
११५३	७	लोगल	लीगल
११६३	१६	वी	वही
११७२	अन्तिम से ४	माकट	मार्केट
११८६	६	कल्हैयालाल	कन्हैयालाल